खण्ड-381, अंक-10
गुरूवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1909
(16 जुलाई, 1987 ई0)

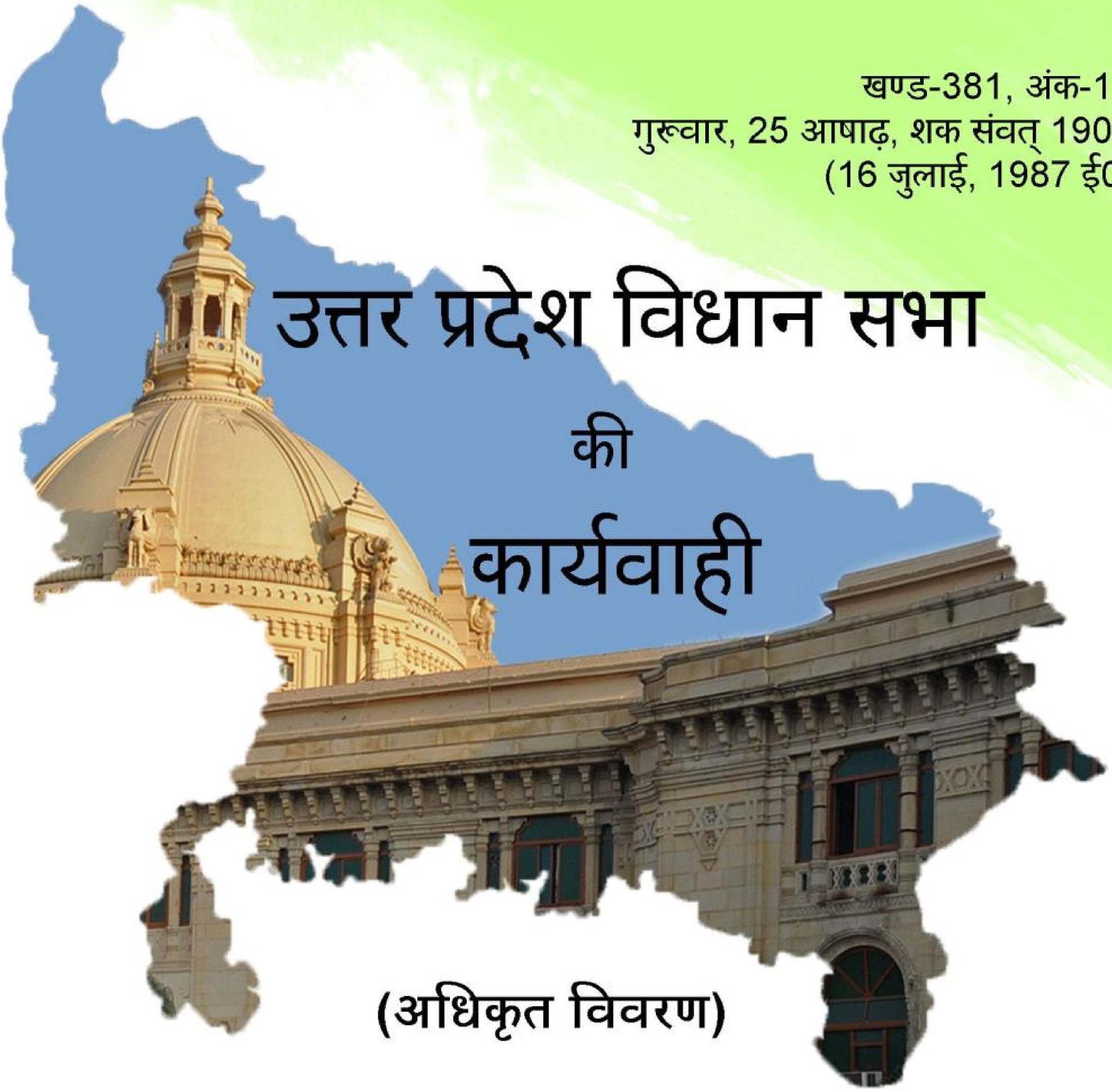

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करके जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्ज माफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं सदस्यों द्वारा किए गए वहिष्कार के सम्बन्ध में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	3–6
प्रश्नोत्तर	7–58
प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करके जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों को कर्जमाफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं सदस्यों द्वारा किए गए वहिष्कार के सम्बन्ध में सदन द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव पर बोलने का प्रयास ..	58
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लीलाधर अस्थाना, श्री भीम सिंह, श्री उमेद सिंह, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री राम अवध सिंह, श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के निधन पर शोकोद्गार	59–62
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	62–63
नियमों के निलम्बन सम्बन्धी रखे गए प्रस्ताव के विषय पर शासन से स्थिति स्पष्ट कराए जाने की मांग	63–65
नियमों को निलम्बित करके मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्जे माफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं 26 सदस्यों द्वारा किए गए वहिष्कार के सम्बन्ध में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	65–72
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	73–74
विशेषाधिकार के मामले में लिए गए निर्णय की सूचना	74
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित)	74
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित)	74–75
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	75–76
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग (स्वीकृत)	76–94
अनुदान संख्या 53—वन विभाग (स्वीकृत)	94–101
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित)	101–103
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	104
वाराणसी, आगरा तथा हाथरस में पेयजल सकट के से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	104–106
जनपद अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर आदि में गन्ने की फसल में पायरिला का प्रकोप होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	106–108
श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा के बारे में सूचना	109
पत्रियां	110–120

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 16 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
अकबर अहमद डम्पी, श्री	नैनीताल	धनराज यादव, श्री	बस्ती
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	परमाई लाल, श्री	हरदोई
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	बहादुर सिंह, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
औसान सिंह, श्री	इटावा	बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	बालेश्वर, श्री	देवरिया
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
कौशिक रमा शंकर, श्री	मुरादाबाद	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	मंगल देव, श्री	गोन्डा
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	महेन्द्र सिंह, श्री	गाजियाबाद
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
जागन सिंह, श्री	रामपुर	मानवेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी
जौहर लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्नन मियां)	मुरादाबाद
दूधनाथ, श्री	जौनपुर		
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	मोहम्मदजवानुल रिहक, श्री	मुरादाबाद
देवता दीन, श्री	बहराइच	रघुवर दयाल वर्मा, श्री	आगरा

रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
रणजीत, श्री	देवरिया
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र शर्मा, श्री	वाराणसी
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री	बस्ती
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

संसद भवन सचिवालय

प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करके जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कार्य माफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं 26 सदस्यों द्वारा किये गये बहिष्कार के सम्बन्ध में प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—

बैठ तो जाने दीजिये ।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, नियम 311 के तहत प्रश्नोत्तर काल निलम्बित करने के लिये सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, मनोहर लाल, कुशल पाल सिंह, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव, सरदार सिंह, विजय सिंह राणा, भोपाल सिंह, शफीकुर्रहमान वर्क, राम नरेश यादव, दिवाकर विक्रम सिंह, राम आसरे वर्मा, फजलुल बारी, किरणपाल सिंह, शिवमंगल सिंह, मोहम्मद मसूद खां, अब्दुल वहीद कुरेशी, बंगाली सिंह, सरोज वर्मा आदि ने प्रस्ताव दिया है । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कल भी इसी तरह का प्रस्ताव दिया था, और जिसके तहत आपसे मांग की गयी थी कि सारा उत्तर प्रदेश सूखा से दुखी है, परेशान है और यह निकम्मी सरकार उनको राहत दिला पाने में पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुई है और साथ ही साथ विशेषकर यह इस सरकार से। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में असफल रही है । मेरठ के अन्दर 5 लोगों की हत्या की गयी, दो लोगों की दूसरी जगह हत्या की गयी और मेरठ में जो हत्या की गयी, हिन्दू मुसलमानों की, वह किसी एक कौम और वर्ग की नहीं है, इन्सानियत का खून बहाया जा रहा है। 14 अप्रैल से साम्प्रदायिक दंगों की शुरूवात हुई है । सरकार की ओर से कहा गया है, सरकार बराबर कोशिश कर रही है, लेकिन आज 3 महीने से अधिक हो चुके हैं, प्रदेश के अन्दर मेरठ ही नहीं सभी जगह पर ऐसा वातावरण फैला हुआ है, हिन्दू और मुसलमानों को खतरा बना हुआ है । वीर बहादुर सिंह की सरकार के लिये, उनकी पी0 ए0 सी0 और पुलिस पर से उत्तर प्रदेश माइनारिटीज का विश्वास उठ चुका है । आज किसी तरीके से लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी इज्जत और जिन्दगी सुरक्षित नहीं है । सारे उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार जितने भी सूखाग्रस्त इलाके हैं, उनमें कोई राहत नहीं दे पा रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप नेता विरोधी दल जी, बैठें।

श्री सत्य पाल सिंह—

साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं बना पा रही है। पी0 ए0 सी और...

श्री अध्यक्ष—

अब बहुत हो गया। आप अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, कृपया आज प्रश्नोत्तरकाल को निलम्बित करके कृपया निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने एवं विचार करने हेतु आपकी अनुज्ञा अपेक्षित है—

यह सदन—

(1) जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या।

(2) प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्ज-माफी एवं सूखा ग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी।

(3) सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं 26 सदस्यों द्वारा किये गये सदन के बहिष्कार के सम्बन्ध में, तत्काल एक प्रस्ताव के रूप में अपनी घोर चिन्ता प्रकट करता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

[श्री विजय सिंह राणा, श्री गोपाल दास यादव तथा लोकदल (अ) के अन्य सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये और नारे लगाने लगे]

(श्री यदुनाथ सिंह ने-"बिना मुनाफा के खेती बारी, तो न उस पर माल गुजारी" लिखा हुआ पोस्टर दिखाया)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . (व्यवधान)

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 311 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह प्रस्ताव सदन ने अस्वीकृत कर दिया । अब उस सिलसिले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप सुन लें । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सदन में आया, उस पर आपने क्या प्रक्रिया निर्धारित की, मैं उस पर आपकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं । लेकिन नियम 311 में जो लिखा हुआ है, जो प्रक्रिया दी हुई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें लिखा है—"कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा । ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा निर्निश्चित की जायेगी ।" . . . (व्यवधान)

मेरठ के बारे में जो प्रस्ताव पेश हो गया, जहां पर कि 5 हत्यायें की गई हैं, साम्प्रदायिक तनाव बना हुआ है और कल भी नियमों को निलम्बित करने के लिये प्रस्ताव पेश किया गया था, सूखे के कारण कर्जे की माफी का सवाल था, जो हम लोगों ने प्रस्ताव पेश किया था वह भी प्रश्नोत्तर काल निलम्बित करने के सम्बन्ध में था । उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे, यह नियमावली में नहीं है । जब प्रस्ताव पेश हो गया तो परम्परा यह रही है कि प्रस्तावक उस पर दो शब्द बोलते हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह महत्वपूर्ण सवाल है, मेरठ में साम्प्रदायिक तनाव बना हुआ है, वहां के सारे अधिकारियों के तबादले के बावजूद भी हिंसा और साम्प्रदायिक तनाव बन्द नहीं हुआ है । इस गम्भीर स्थिति को देखते हुये मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए । वे आज सदन

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में मौजूद भी नहीं हैं और वहां पर हिंसा जारी है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस प्रस्ताव पर कोई प्रक्रिया सुनिश्चित कर दें और उस प्रस्ताव के सन्दर्भ में जिन-जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनको दो-दो मिनट बोलने का मौका दें।

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम नरेश यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, कल यहां पर राजस्व का बजट था। सूखे पर चर्चा हो सकती थी। फिर सूखे पर चर्चा लगी हुई है, मेरठ की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा लगी हुई है। ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही न चलने देना कहां तक उचित है? दूसरी बात यह है कि आपने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी। नियम 311 के अन्तर्गत आपने सदन में वोटिंग करा दी, वह प्रस्ताव गिर गया तो उसके बाद उस पर कोई व्यवस्था का सवाल नहीं हो सकता। आपके आदेश और सदन के निर्णय पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। अब इस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता।

विधान सभा सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नत्थी (क) प्रश्न संख्या 1, श्री किरन पाल सिंह .... (व्यवधान)

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद की सरकारी भूमि पर अनियमित कब्जा

**1–श्री किरनपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा औरंगाबाद की सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा अनियमित ढंग से कब्जा करने संबंधी शिकायती-पत्र 14-5-85 प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त जमीन संबंधी घोटाले में 50 लाख की सरकारी भूमि पर अनियमित कब्जा सिद्ध हुआ है ? यदि हां, तो भूमि को मुक्त कराए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

जी हां ।

कस्बा औरंगाबाद में 10 बीघा, 11 बिस्वा, 11 बिस्वांसी क्षेत्रफल पर कुछ व्यक्तियों का कब्जा कथित तबादले के आधार पर है । जिलाधिकारी द्वारा इस भूमि का मूल्य 5,40,451 रु0 सूचित किया गया है ।

इस संबंध में तबादले को निरस्त करने हेतु दीवानी न्यायालय में छः वाद दायर किए गए । इनमें से 3 वाद टाउन एरिया के विरुद्ध निर्णित हुए, जिनके संबंध में अपील दायर की जा चुकी है और शेष 3 वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश के कोआपरेटिव सचिव, सेल्समैन एवं चौकीदारों की हड़ताल

*1–श्री जनार्दन प्रसाद झा–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव इम्पलाइज यूनियन के निदेश पर प्रदेश के सहकारी सचिव, सेल्समैन एवं चौकीदार गत 26 अप्रैल से हड़ताल एवं 11 मई, 87 से मुख्यालयों पर क्रमिक अनशन चला रहे हैं ? यदि हां, तो इनकी मांगें क्या हैं एवं इन्हें तत्काल पूरा न किए जाने में क्या कठिनाई है ? क्या यह भी सच है कि 28 अप्रैल, 86 से उक्त यूनियन एवं विभाग के बीच कुछ समझौता भी हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस समझौते का पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जी हां । परन्तु दिनांक 23-5-87 को हड़ताल समाप्त कर दी गयी थी ।

मुख्य-मुख्य मांगों का विवरण संलग्न है । समितियों की आर्थिक स्थिति मांगें पूरा किए जाने में मुख्य बाधक है ।

सचिवों के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान सचिवों को देय विशेष भत्ते में रु0 100 प्रति माह दिनांक 1-5-86 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार निबंधक, सहकारी समितियां ने 28-5-86 को आदेश निर्गत कर दिए थे ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 110 पर)

जनपद लखनऊ में आलमबाग के कतिपय मोहल्लों में जल भराव दूर करने हेतु पाइप व्यवस्था

*2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमबाग लखनऊ में रामनगर, चित्रगुप्तनगर तथा न्यू श्रीनगर आदि मुहल्लों में जलभराव का पानी निकालने के लिए रामनगर से न्यू श्रीनगर के मकान नम्बर 559 ख/384 तक लाखों रुपयों की लागत से भूमिगत सीमेन्ट के पाइप डाले गए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सीवर से पानी निकालने के बजाय उल्टा रामनगर आदि मुहल्लों का पानी न्यू श्रीनगर की ओर बहता है जिससे अभी से सेन्ट एण्ड ड स्कूल के पीछे की निचली भूमि जलमग्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर वर्षा के पूर्व ही उक्त सीवर का जल निकास दुरुस्त कराने के आदेश तथा अधिकारी को दण्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जी नहीं ।

नाला जो बनाया गया है, वह तकनीकी दृष्टि से ठीक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की सीवर लाइनों की सफाई में मजदूरों को दुर्घटना से बचाने हेतु समिति का गठन

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-6-87 को लखनऊ में नरही जोन-11 सीवर लाइन की सफाई करते समय एक सफाई मजदूर की मृत्यु हो गई तथा इसी प्रकार लगभग 2 माह पूर्व अन्य 2 सफाई मजदूरों की मृत्यु सीवर लाइन साफ करते हुए हुई थी ? मजदूरों को प्रर्याप्त सुरक्षा उपकरण न उपलब्ध कराने तथा मौके पर तकनीकी ज्ञान तथा मार्गदर्शन न करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? भविष्य में मेन होलों की सफाई करते समय मजदूरों को दुर्घटना से बचाने हेतु शासन द्वारा कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

एक सफाई मजदूर घायल हो गया था जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी । दो माह पूर्व सीवर लाइन साफ करते समय लखनऊ जल संस्थान के किसी मजदूर की मृत्यु नहीं हुई है ।

मामले की जांच करायी जा रही है ।

भविष्य में मजदूरों को दुर्घटना से बचाने एवं उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जल संस्थान, लखनऊ द्वारा एक समिति गठित की गयी है । समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1985 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरिद्वार कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत धनराशि

*1—श्री गोपाल दास यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार कुम्भ मेला 1986 में मेला बजट पर कितना रुपया स्वीकृत हुआ था ?क्या यह भी सही है कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जो सामग्री लाखों रुपयों की खरीदी गई थी उसका भुगतान हो जाने के बाद उसमें सभी पाइप नकली पाये गये और वह काम में नहीं लाये जा सके ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी को क्या सरकार दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ-

हरिद्वार कुम्भ मेला 1986 हेतु शासन द्वारा लगभग रुपये 10,43,09,000 की धनराशि स्वीकृत की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्लों में जल भराव रोकने सम्बन्धी पत्र

*2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नगर विकास सचिव को सितम्बर, 86, नवम्बर, 86 तथा 27 मार्च, 87 को इलाहाबाद जनपद के जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर, बैरहना, मलाकराज, साहबतियाबाग आदि के जल भराव के संबंध में दिये गये पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शासन स्तर से उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

सितम्बर, 86 तथा 27 मार्च, 87 के पत्र हुये हैं ।

माह सितम्बर, 86 तथा 27 मार्च, 1987 के मा0 विधायक के पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशासक नगर महापालिका, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ माइक्रोबायोलाजी विभाग में लेक्चरर का चयन

*1—डा0 शिवानन्द मौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में जो माइक्रोबाइलाजी का नया विभाग खुला है उसके लिये पैथालाजी विभाग के ही लेक्चरर्स को नियुक्त किया जा रहा है जिनको माइक्रोबाइलाजी के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है ?? यदि हां, तो उसके लिये ओपन कम्पटीशन से अभ्यर्थियों का चयन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या शीघ्र इसकी व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी नहीं ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में पृथक रूप से स्थापित माइक्रोबायोलाजी विभाग में पैथालोजी विभाग का कोई लेक्चरर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ।

इस विभाग के लेक्चरर के पद को भरे जाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

*2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[7वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3–श्री काशी सिंह एरी–

[13वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को विशेष अनुदान एवं छूट

*4–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 85-86 में बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कृषि निवेशों पर 50 प्रतिशत छूट केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकार द्वारा कृषकों को उपलब्ध करायी गई थी, जिसका आवंटन विकास खण्ड सहकारी समितियों एवं राजकीय भण्डारों द्वारा कराया गया था ? तो क्या छूट का समायोजन शासन ने आवंटन करने वाली उक्त संस्थाओं को करा दिया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

प्रश्नगत वर्ष में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25% एवं 33 1/3 प्रतिशत की दर से पी0 और के0 उर्वरकों व सूक्ष्य तत्वों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जनपदों में दिनांक 29-11-85 को लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत एवं 33 1/3 प्रतिशत की दर से पी0 और के0 उर्वरकों पर अनुदान देने के आदेश दिये गये थे । बाद में 16-12-1985 को तीनों प्रकार के रासायनिक उर्वरकों (एन0 पी0 के0) एवं सूक्ष्म तत्वों पर अनुदान की सीमा बढ़ाकर 50% कर दी गई जो ऋण के समक्ष 1-10-1985 से तथा नकद क्रय पर 16-12-1985 से दी गई थी । शासनादेश दिनांक 27-12-1985 में उक्त अनुदान प्रदेश के समस्त बाढ़ प्रभावित जनपदों के लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय कर दिया गया था । गेहूं के प्रमाणित बीजों पर 50% अनुदान दिनांक 18-11-1985 से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुमन्य किया गया था ।

अनुदान की अधिकांश धनराशि का समायोजन अनुदान आवंटन करने वाली संस्थाओं को वर्ष 85-86 एवं वर्ष 86-87 में किया गया था। प्रादेशिक सहकारी संघ को 698.32 लाख का आवंटन होना अभी शेष है जिसकी व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ में आवास एवं विकास परिषद् की तेलीबाग आवासीय योजना

*5—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा तेलीबाग आवासीय योजना नं0 1 की समस्त विज्ञापित भूमि अधिग्रहीत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा उनके मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भूमि क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध एवं अन्य रुकावटों को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं । योजना के लिए 1050-22 एकड़ विज्ञापित भूमि में से केवल 350 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किये जाने का निर्णय आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनवरी, 1986 में लिया गया है ।

भूमि अधिग्रहण एवं उसके मुआवजे के भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने में लगभग 2 1/2 वर्ष का समय लग सकता है ।

प्रश्नगत भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबन्ध नहीं है । किन्तु जो अन्य रूकावटें हैं वे योजनान्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित 350 एकड़ भूमि का उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा-32 (1) की अधिसूचना गजट में प्रकाशन हो जाने के उपरान्त ही शेष भूमि पर समाप्त हो जाएगी ।

प्रदेश में नसबन्दी लक्ष्य आपूर्ति निर्धारित करने का औचित्य

*6—राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नसबन्दी के स्वैच्छित कार्यक्रम को, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लक्ष्य आपूर्ति निर्धारित करने का क्या औचित्य है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

देश की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना प्रदेश के लिए प्राथमिक महत्व का विषय है । तद्नुसार नसबन्दी कार्यक्रम स्वेच्छा से संचालित किया जा रहा है एवं इसके शिक्षा, सूचना एवं संचार कार्यक्रम को भी अधिक गतिशील बनाने का प्रयास है ताकि इसका महत्व समस्त प्रदेशवासियों को स्पष्ट हो सके। इस कार्यक्रम के प्रति जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये उन समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत/विभागवार प्रेरणा के लक्ष्य दिये गये हैं जो विशेष रूप से जनता के सम्पर्क में आते रहते हैं । चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में सक्रिय अभिरुचि बनाये रखने के लिये भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक समझा जाता है।

नगर महापालिका बलिया में अतिरिक्त स्वीपरों की मांग

*7—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका बलिया में आज से 10 वर्ष पूर्व स्वीपरों की संख्या क्या थी और 16-5-85 को कितनी है ? क्या इस नगर पालिका द्वारा अतिरिक्त स्वीपरों की मांग की गयी है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका बलिया में 10 वर्ष पूर्व स्वीपरों के पदों की संख्या-138 थी और यही संख्या 16-5-85 को भी थी ।

जी हां ।

नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा होने तथा नगरपालिका में कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण नगरपालिका बलिया में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन, फिलहाल सम्भव नहीं है ।

भारत सरकार के निर्देशों पर प्रदेश में माडल एक्ट लागू करने हेतु समिति का गठन

*8–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के कृषि विपणन विभाग के मोडेल एक्ट के अंतर्गत मण्डी समितियों पर कृषि विपणन विभाग का नियंत्रण देने हेतु आदेश किया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कठिनाइयों का क्या कारण है ? क्या सरकार अन्य प्रान्तों की भांति प्रदेश में मोडेल (आदर्श) एक्ट लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

भारत सरकार ने देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को माडल एक्ट की प्रतियां भेजते हुये कृषि विपणन निदेशालय के सुदृढ़ीकरण हेतु मंडी अधिनियम में कुछ संशोधनों की संस्तुति की थी । इस संबंध में शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन संबंधी अपनी संस्तुतियां शासन के निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी ।

*9–हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के कतिपय जनपदों में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप की रोकथाम एवं उपचार

*10–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सितम्बर अक्तूबर, 86 में जिला बरेली, पीलीभीत, रामपुर तथा नैनीताल में मस्तिष्क ज्वर (इन्सिफलाइटिस) का भारी प्रकोप हुआ तथा उचित उपचार के अभाव में इससे सैकड़ों मौतें हुईं ? यदि हां, तो मंत्री जी इस वर्ष में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ? क्या इस बीमारी से बचने हेतु मंत्री जी इस क्षेत्र में व्यापक रूप से इस रोग की प्रतिरोधी वैक्सीनेशन करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश के जनपद बरेली, पीलीभीत और नैनीताल में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ जिसमें 354 व्यक्ति ग्रसित हुए और उनमें से 134 रोगियों की मृत्यु हो गयी। किन्तु रामपुर में उक्त रोग से न तो कोई व्यक्ति ग्रसित हुआ और न ही किसी की मृत्यु हुई । प्रभावित जनपदों में रोगों की रोकथाम हेतु उपचार की समुचित व्यवस्था थी एवं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियां उपलब्ध थीं ।

जनता को मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से बचाने के लिए वर्तमान में जो योजना अपनाई गई है उसके अनुसार मूलतः सूचना मिलने पर शीघ्र उपचार आरम्भ करने पर बल है । इसी के साथ सघन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक रसायनों तथा उपचार हेतु उपयुक्त औषधियों की व्यवस्था भी कर दी गई है । इस योजना के अंतर्गत सघन प्रचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिससे मरीज को शीघ्र अस्पताल में लाने व उपचार करना सुनिश्चित किया जा सके ।

इन्सेफलाइटिस रोग के लिए प्रतिरोधी टीका परीक्षणात्मक दौर में है । अभी इस बीमारी के प्रतिरोधक टीके व्यापक रूप से लगाना प्रस्तावित नहीं है ।

आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु प्रोजेक्ट

*11—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा शहर में प्रति वर्ष जनवरी से जुलाई तक घोर पेयजल आपूर्ति संकट उत्पन्न हो जाता है और इस अवधि में नागरिकों को प्रदूषित जल पीने को बाध्य होना पड़ता है ? यदि हां, तो शासन को इसके स्थायी निराकरण करने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

केवल ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी के फलस्वरूप कठिनाई हो जाती है । जी नहीं ।

आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके अंतर्गत 19.29 करोड़ की लागत से एक अतिरिक्त वाटर वर्क्स का निर्माण तथा 1600 इण्डिया मार्क-11 हैण्ड पम्प नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

सक्षम अधिकारी नगर सीमारोपण गोरखपुर द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

*12—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी गोरखपुर को सम्बोधित एवं मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव सतर्कता अधिष्ठान, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को पृष्ठांकित दिनांक 27-9-86 का श्री कमलेश्वर दुबे, विशेष शासकीय अधिवक्ता, नगर भूमि सीमारोपण गोरखपुर का कोई ज्ञापन तथा उसके साथ संलग्नक सरकार को प्राप्त हुए हैं, जिसमें वर्तमान सक्षम अधिकारी नगर सीमारोपण, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं और घोटालों के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायती ज्ञापन तथा उपर्युक्त सन्दर्भगत संलग्नकों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? क्या इस सारे मामले में किसी अधिकारी ने जांच की ? यदि नहीं, तो क्यों और अब जांच कब तक पूरी करा ली जायेगी ? क्या जांच के समाप्त आरोपी श्री कमलेश्वर दुबे को भी आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री कमलेश्वर धर दुबे विशेष शासकीय अधिवक्ता की शिकायती पत्र दिनांक 27-10-86 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र बहुत विस्तृत है । अतएव सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

मामले में संयुक्त निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ द्वारा जांच करायी गयी है । जांच के समय शिकायत कर्ता श्री दुबे को आरोप सिद्ध करने का सम्यक् अवसर दिया गया ।

शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेय जल व्यवस्था

*13—श्री राम नरेश यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव पेयजल अभावग्रस्त हैं ? क्या उनमें पेयजल की व्यवस्था हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और वह कब तक पूरी होगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड शिकोहाबाद मदनपुर एवं हाथबन्त में कुल 300 ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त श्रेणी में हैं ।

जी हां ।

मार्च, 1987 तक 209 समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा दिया गया है शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेयजल व्यवस्था करने का लक्ष्य है ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को आरक्षण

*14—कर्नल केशरी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के लिए एक प्रतिशत का आरक्षण सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए नियत किया है ? यदि हां, तो उसके अधीन पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष सुरक्षा कर्मियों के कितने बच्चों को सुविधा किस-किस मेडिकल कालेज में प्रदान की गयी है ? क्या उनका एक प्रतिशत का आरक्षण उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से यह आरक्षण की सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एम0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के बच्चों के लिए एक प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। उक्त आरक्षण के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों अर्थात वर्ष 1985 तथा 1986 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष एक-एक अभ्यर्थी को लखनऊ मेडिकल कालेज में प्रवेश दिया गया । निर्धारित आरक्षण के अनुसार एम0बी0बी0एस0 में कुल 8 सीटें तथा बी0डी0एस0 में एक सीट प्रतिवर्ष उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु नियत थी जिसके विपरीत उक्त वर्षों में केवल एक-एक अभ्यर्थी ही प्रतिवर्ष एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त कर सका; फलतः शेष सीटों पर उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी ।

*15—श्री महेन्द्र भाटी—

[8वें बुध0 में ता0प्र0सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16—श्री राज किशोर सिंह—

[11वें मंगलवार में ता0प्र0सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में तिलहन बीज विकास बोर्ड के गठन की मांग

*17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा तिलहन बीज विकास बोर्ड का गठन किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो बोर्ड की रूप रेखा तथा कार्य क्या होगा तथा बोर्ड का गठन कब तक हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*18—श्री पूरन सिंह माहरा—

[14वें मंगलवार में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*19—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*20—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मूलचन्द—

[5वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

2—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों पर एवं गैर सरकारी कृषि संस्थाओं पर उत्पादित बीज के बिक्री मूल्यों में अन्तर

3—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों पर उत्पादित बीज गेहूं लाहा जौ चना आदि का बिक्रीकर मूल्य गैर सरकारी कृषि संस्थानों पर उत्पादित घटिया कृषि बीज से बाजार में कम होने के कारण सरकारी संस्थान का बीज कम बिक्री हो पाता है जिससे सरकारी संस्थान का नुकसान हो रहा है तथा किसान अच्छे किस्म के बीजों के प्रयोग से भी वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो बीजों के बिक्री मूल्यों के अन्तर का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं, परन्तु प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों पर उत्पादित बीजों के विक्रय मूल्य तथा गैर सरकारी कृषि संस्थाओं पर उत्पादित बीजों के विक्रीय में अन्तर अवश्य रहता है ।

जी नहीं ।

बीजों के मूल्य के निर्धारण की नीति भिन्न-भिन्न होने के कारण मूल्य में अंतर होता है।

प्रदेश के बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर को नगर महापालिका घोषित किए जाने के पश्चात् पेंशन नियम में संशोधन

4–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर को नगर महापालिका घोषित किए जाने के पश्चात् पेंशन नियम लागू न किए जाने के फलस्वरूप 1982 से अब तक जो कर्मचारी सेवा काल में मर गए हैं अथवा जो सेवा निवृत्त हो गए हैं उनकी पेंशन की क्षतिपूर्ति शासन किस प्रकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बरेली, मेरठ व गोरखपुर के पेंशन नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु इन नियमों में इन नगर महापालिकाओं के गठन की तिथि (15-6-82) के पश्चात् तथा पेंशन नियम लागू होने की तिथि के बीच, सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों को तथा मृत्यु प्राप्त कर्मचारियों के आश्रितों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के सम्बन्ध में सूचना

5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य स्वास्थ्य संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में अधिकांश प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ/सहायक प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ 20 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं जबकि शासनादेश संख्या 2650-सं0-5/पांच-1986 दिनांक 21 अप्रैल, 1986 के परिपालन हेतु निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मांगी गयी सूचना शून्य भेजी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ में इस समय जो प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ कार्यरत हैं वे सब स्वास्थ्य संवर्ग के हैं। ये सभी प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ पहले प्रयोगशाला सहायक के रूप में इस संस्थान में कार्यरत थे। मार्च, 1978 में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पदों के सृजन के फलस्वरूप सभी कार्यरत प्रयोगशाला सहायक इस समय प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रूप में संस्थान में कार्यरत हैं। चूंकि इनको प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रूप में कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है इसलिए ये शासनादेश संख्या–2650-5/1986, दिनांक 21 अप्रैल, 1986 में प्रतिपादित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नहीं आते। अतएव इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुभाग-4 (डी) द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उसके प्रत्युत्तर में राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई शून्य सूचना केवल चिकित्सा संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के सम्बन्ध में थी।

शासन एवं उ0 प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ की मांगों पर कृत कार्यवाही

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ के प्रतिनिधि मण्डल से क्रमश: 17-5-85 एवं 1-5-86 को कोई वार्ता हुई ? यदि हां, तो क्या उक्त बातों में लिये गये निर्णयों के संबंध में प्रमुख निदेशक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

दिनांक 17-5-85 एवं 1-5-86 को उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ की मांगों के संबंध में हुई वार्ता में लिए गये निर्णयों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला मलेरिया अधिकारी बस्ती को भेजी गई क्लोरोक्वीन की टिकियां में कमी की जांच

8–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मलेरिया अधिकारी बस्ती अगस्त, 1986 में सहायक निदेशक मलेरिया गोरखपुर मण्डल गोरखपुर से क्लोरोक्यून टेबलेट प्राप्त किये थे जिसमें से 40,000 टेबलेट गोरखपुर में ही गायब कर दिए गए ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सहायक निदेशक मलेरिया, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जिला मलेरिया अधिकारी, बस्ती को अगस्त, 1986 में दो लाख क्लोरोक्वीन की टिकियां चार काठ की सील्ड पेटियों में भेजी गयी थी परन्तु पेटियों के खोलने पर 1,60,000 क्लोरोक्वीन की टिकियां ही पायी गयीं और 40,000 टिकियां कम पायी गयीं । निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में क्लोरोक्वीन की टिकियां पाये जाने की जांच करायी जायेगी ।

प्रदेश के शीतगृह संघ द्वारा प्रस्तुत मांगें

9–श्री राम नरेश यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के समस्त शीतगृहों के मालिकों की चल रही हड़ताल के बारे में उनकी मुख्य मांगें क्या थी ? सरकार ने आलू किसानों के हित को देखते हुए इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश में शीतगृहों की वर्तमान समय में कोई हड़ताल नहीं चल रही है और न हुई है। समय-समय पर शीतगृह संघों की ओर से अनेक मांगें प्रस्तुत की गई जिनमें से मुख्य-2 मांगें निम्नानुसार थीं:–

1–वर्ष 1987 के लिये कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स का नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं करेगा, जब तक कि प्रान्तीय शीतगृह संघ उसे

सूचित न कर दें । साथ ही साथ सम्पूर्ण प्रदेश की एकता के लिये यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक जिला इकाई के इंचार्ज मूल लाइसेन्स एकत्रित करके अपने पास जमा कर लें ।

2--भविष्य में कोल्ड स्टोरेज किराये का निर्धारण शासन द्वारा संबंधित खर्चों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर होना चाहिये। खर्चे जो बिजली तनखाह एवं संचालन व्यय आदि से संबंधित होते हैं ।

3--वर्ष 1987 के लिये भण्डारण प्रभार रु0 55/- निर्धारित किया जाय ।

4--उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियम 1976 की धारा 3 द्वारा सलाहकार समिति में दो प्रतिनिधि कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय के सम्मिलित किये जायें ।

5--पश्चिम बंगाल के समान इन्शोरेन्स एवं सुखाने के शेड की पंखों तथा बिजलीयुक्त व्यवस्था के लिये अतिरिक्त अधिभार लेने की छूट दी जाये ।

6--उत्तर प्रदेश शासन एवं एडवाइजरी बोर्ड द्वारा डा0 भंवर सिंह की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये ही कोई निर्णय लिये जाये ।

7--एक्ट की धारा 39 का संशोधन किया जाय तथा उसका उल्लंघन का गनेजेबिल अपराध न माना जाये ।

8--1976 के पूर्व निर्मित की तरह ही 1976 के पूर्व निर्माण की स्वीकृति प्राप्त शीतगृहों को भी धारा (3)-11-1/1 से छूट प्रदान की जाये ।

आलू उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न कार्यवाहियां की:--

1--वर्ष 1987 के लिये अधिकतम भण्डारण प्रभार 23/- रु0 प्रति कु0 निर्धारित किया ।

2--शीतगृहों की लाइसेन्सों के नवीनीकरण की अन्तिम तिथि जो 31 दिसम्बर, 1986 थी, को 21 फरवरी, 1987 तक बढ़ा दिया, जिसके कारण अधिकांश शीतगृह स्वामियों ने आलू भण्डारण किया ।

3--सभी शीतगृहों को यह आदेश दिया गया कि शीतगृहों में आलू भण्डारण में किसानों को प्राथमिकता दी जाय ।

4--शीतगृह स्वामियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित भण्डारण प्रभार से अधिक प्रभार न वसूल किया जाय, इसके लिये समय-समय पर शीतगृहों का निरीक्षण किया गया ।

10--श्री कुशल पाल सिंह--

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 10 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के छटनीशुदा कृषि अमीनों एवं चपरासियों का समायोजन

11--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के छटनी शुदा कृषि अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्तियां दिनांक 31-8-75 से शेष हैं ? क्या यह सही है कि 11 वर्ष बीतने पर भी नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 6 माह के अन्दर इनकी नियुक्ति का आदेश देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कुल 238 चपरासियों तथा 157 कृषि अमीनों की सेवायें 1-9-75 से समाप्त की गयी थी जिनमें से 47 चपरासी तथा 74 कृषि अमीनों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया जा चुका है। समायोजन के पश्चात् 191 चपरासी तथा 83 अमीन अवशेष होने चाहिये किन्तु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके यहां उपलब्ध जीवित पंजी में 6 अमीन तथा 43 चपरासी नियुक्ति हेतु अवशेष हैं, जिनमें से एक अमीन की नियुक्ति और कर ली गयी है।

छंटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में खपाये जाने की अन्तिम तिथि 22-5-87 निश्चित् थी जो समाप्त हो चुकी है।

विधान सभा क्षेत्र पिपराईच के अन्तर्गत सहकारी साधन समितियों द्वारा कृषकों को लाभांश

12—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पिपराईच के अंतर्गत सहकारी साधन समितियों में जो कृषकों का हिस्सा जमा है कितने वर्षों से उन्हें उनके हिस्से का लाभ नहीं दिया गया है? क्या सरकार कृषकों को उनके हिस्से का लाभ दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

विधान सभा क्षेत्र पिपराईच के अन्तर्गत कुल 19 प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कार्यरत हैं। इनमें से 6 में वर्ष 1975-76 से, 9 में 1976-77 से, 1 में 1977-78 से, 1 में 1980-81 से और 2 में 1984-85 से लाभ का वितरण नहीं हुआ है।

समितियों के सदस्यों पर बकाया ब्याज अर्जित लाभ से अधिक है। बकाया ब्याज की वसूली हो जाने पर लाभांश का वितरण सदस्यों को कर दिया जायेगा।

जनपद गोरखपुर के साधन सहकारी समिति लि0 मौवापार में अनियमितताओं की जांच

13—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0 मौवापार वित्तीय अनियमितताओं के कारण कई वर्षों से बन्द है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समिति को पुनः चालू करने का आदेश देगी तथा जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं।

समिति वर्तमान में कार्य कर रही है। समिति के सचिव द्वारा पूर्व में की गयी अनियमितताओं के लिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं। अपहरण के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

राजकीय कृषि परिक्षेत्र सवायजपुर (हरदोई) पर हुई हानि की जांच

14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में राजकीय कृषि परिक्षेत्र सवायजपुर (जनपद हरदोई) पर कितने रुपयों का घाटा हुआ और क्या शासन इसे दोषी जिला कृषि अधिकारी से वसूलने का आदेश पारित करेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र सवायजपुर जनपद-हरदोई पर वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82, तथा 1982-83 में क्रमशः रु0 54,668, रु0 7,408 एवं रु0 1,98,316/- की हानि रही है।

मामले की जांच कराई जा रही है।

बरेली महापालिका चुंगी विभाग के सील किए गये अभिलेख

15—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 3 मई, 1986 को बरेली के कुछ नागरिकों द्वारा चुंगी आदि की शिकायतों पर आयुक्त बरेली मण्डल ने बरेली महापालिका के चुंगीकर विभाग के सभी संदिग्ध रिकार्ड्स सील कर दिये थे? यदि हां, तो उसकी जांच से क्या परिणाम निकला? क्या मंत्री जी दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, नगर महापालिका बरेली के चुंगी कर विभाग के कुछ अभिलेख सील किये गये थे।

जांच से आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली व आगरा स्थित मानसिक चिकित्सालय में स्वस्थ हो गये रोगियों को डिस्चार्ज करने की व्यवस्था

16—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली व आगरा स्थित मानसिक चिकित्सालय में अनेकों लोग ऐसे हैं जो वर्षों से अस्पताल में भर्ती हैं एवं ठीक भी हो चुके हैं किन्तु उनके घरवाले किन्हीं कारणों से उन्हें घर नही ले गये हैं? यदि हां, तो ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है? क्या मंत्री जी इन लोगों को अपने परिवारों में भेजने की कोई व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। ऐसे रोगियों की 1-7-87 को मानसिक चिकित्सालय, बरेली में कुल संख्या: 124 थी जिसमें 89 पुरुष व 35 महिलायें थीं और मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कुल संख्या: 32 थी जिसमें 18 पुरुष व 14 महिलायें थी। रोगियों के अभिभावकों तथा संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/परगना मैजिस्ट्रेट को रोगियों को डिस्चार्ज कराकर ले जाने के लिए लिखा जाता है और कभी-कभी चिकित्सालय के अटेन्डेन्ट द्वारा

या पुलिस की सहायता से भेजा जाता है। जो रोगी न्यायालय के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं और उनके पोषण शुल्क की अदायगी नहीं होती है उनको संबंधित न्यायालयों की सहायता से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है।

17—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना तथा ऊचौं गांव में फल संरक्षण केन्द्र खोलने की मांग

19—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या कृषि मंत्री स्याना विकास खण्ड तथा ऊंचा गांव विकास जिला बुलन्दशहर में फल संरक्षण केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं । स्याना विकास खण्ड तथा ऊंचागांव विकास खण्ड, जनपद बुलन्दशहर में फल संरक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है, इस जनपद में चार फल संरक्षण केन्द्र बुलन्दशहर, अनूपशहर, खुर्जा तथा सिकन्दराबाद में स्थापित हैं। इन दोनों विकास खण्डों में फल संरक्षण केन्द्रों की आवश्यकता के लिए परीक्षण कराया जायेगा।

जनपद बुलन्दशहर में स्याना, बुगरासी एवं खानपुर की पेय जल योजना

20—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना नगरपालिका बुगरासी एवं खानपुर टाउन एरिया जनपद बुलन्दशहर की पेय जल योजना का निर्माण कार्य यू0 पी0 जल निगम द्वारा आरम्भ हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पेय जल योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

धन उपलब्ध होने पर बुगरासी एवं खानपुर पेयजल योजनाओं का कार्य माह मार्च, 1989 तथा स्याना पेयजल योजना का कार्य माह मार्च, 1990 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

21—श्री शारदानन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी, बस्ती के कर्मचारियों के रोके गये वेतन देने की मांग

22—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती में वर्ष 1985-86, 86-87 में किन-किन कर्मचारियों का किन-किन माहों का वेतन किन कारणों से रोका गया? क्या उक्त रोके गये कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी का वेतन दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और कब ? शेष कर्मचारियों का वेतन कब तक दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती जोखना देवी महिला हेल्थ सुपरवाइजर प्रा0 स्वा0 केन्द्र बस्ती के चिकित्सा अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

23—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोखना देवी महिला हेल्थ सुपरवाइजर प्रा0 स्वा0 केन्द्र बस्ती जनपद का मेडिकल अवकाश प्रार्थना-पत्र मेडिकल फिटनेस के साथ दिनांक 25-6-86 को योगदान के समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था? क्या यह सही है कि वेतन एवं उक्त अवकाश के संबंध में उक्त महिला कर्मचारी ने जनपदीय स्वा0 वि0 के अधिकारियों को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। कार्यवाही की जा रही है।

24-25—श्री अशोक बाजपेई—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

प्रदेश के कुछ विभाग के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता

26—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत हेल्थ असिस्टेंट ए0 एन0 एम0, एफ0 डब्लू0 डब्लू0, वैक्सिनेटर एवं अन्य कर्मचारी जो पांच हजार जनता पर एक कार्यरत है 1979 से ही फिक्स टी0 ए0 प्राप्त कर रहे हैं जबकि कुष्ठ विभाग का एक एन0 एम0 ए0 पच्चीस से चालीस हजार जनता पर कार्य करते हुए भी पिछले वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत फिक्स टी0 ए0 से आज भी वंचित है? यदि हां, तो कुष्ठ विभाग के एन0 एम0 ए0 को भी फिक्स टी0 ए0 दिये जाने के आदेश करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी नियत यात्रा भत्ता की सुविधा दी जा रही है। चूंकि कुष्ठ कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र नगर सीमा से 8 कि0 मी0 के भीतर आता है। अतः इन कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

लखनऊ नगर महापालिका के कार्यरत लेखाधिकारी (श्री श्याम लाल गुप्ता) के विरुद्ध कथित आरोप की जांच

27—श्री सरस्वती प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में कानपुर नगर महापालिका के लेखाधिकारी तथा वर्तमान समय में लखनऊ नगर महापालिका के कार्यरत लेखाधिकारी श्री श्याम लाल गुप्ता के विरुद्ध एक दोहरे भुगतान के मामले में चल

रही विजलेंस जांच समाप्त कर दी गयी है? यदि हां, तो जांच समाप्ति का जो आधार प्रस्तुत किया गया है क्या उसकी विस्तार पूर्वक जांच संबंधित ठेकेदार के बैंक लेखों से कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मौ0 नेहरूनगर, गढ़रोड कालोनी में खड़न्जा एवं नाली का निर्माण

28—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में मौ0 नेहरू नगर, गढ़रोड मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कितने ऐसे खडन्जें एवं नाली हैं जो लम्बे समय से अधूरे पड़े हैं तथा कितने खडन्जों का निर्माण कराया गया है ? क्या ये सत्य है कि जो मकान मालिक विकास कर दे चुके हैं, उन गलियों में खड़न्जे एवं नाली न बनाकर जहां आबादी नहीं है वहां पर गलियों में खड़न्जे लगाये गये हैं, इसका क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वर्ष 1986-87 में मौ0 नेहरू नगर गढ़रोड पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भाग में कुल 1051 वर्ग मी0 खड़न्जा तथा 553 मीटर नाली बनाने का प्राविधान था, जिसे लक्ष्य के अनुसार निर्मित करा दिया गया है।

जी नहीं, कालोनी को उन्हीं गलियों में खड़न्जा तथा नाली की सुविधा प्रदान की गयी है जहां उक्त गलियों के अधिकांश निवासियों द्वारा विकास शुल्क जमा कर दिया गया है।

नगर पालिका महाराजगंज (गोरखपुर) में बक्शी के पद का संविलीनीकरण

29—श्रीमती शारदा देवी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया महाराजगंज, में सचिव नगर विकास ने किसी की वर्ष 1986 में नियुक्ति पहले बक्शी पद पर तथा अब अधिशासी अधिकारी के पद पर की है? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत नियुक्ति की गई है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, शासन द्वारा बक्शी के पद पर संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति उत्तर प्रदेश टाउन एण्ड नोटीफाइड एरिया केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 के नियम 31 के अधीन की गयी तथा प्रश्नगत टाउन एरिया के नगर पालिका में उच्चीकृत हो जाने के फलस्वरूप उसमें कार्यरत उक्त बक्शी को उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1966 के नियम 6 (4) (दो) के अधीन शासन द्वारा अधिशासी अधिकारी के पद पर संविलीन किया गया।

लखनऊ नगर महापालिका के लेखाधिकारी के विरुद्ध कथित आरोप

30—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के लेखाधिकारी, श्री श्याम लाल गुप्ता पर महालेखाकार उ0 प्र0/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 में शासकीय अनुदान का दुरुपयोग, अधिक भुगतान, महापालिका अंशदान का भुगतान न करना, आडिट फीस का भुगतान न करना तथा शासकीय ऋणों की अदायगी न करने जैसे गंभीर आरोप लगाये गए हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं, वर्ष 1984-85 की सम्परीक्षा का कार्य अभी चल रहा है। सम्परीक्षा में कोई भी आपत्ति किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं है। सामान्यतः लेखा परीक्षण एवं सम्परीक्षा की आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका समुचित उत्तर दिया जाता है। यदि सम्परीक्षा विभाग उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होता तो अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम लाल गुप्ता की नगर महापालिका लखनऊ में मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति

31—श्री सरस्वती प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत श्री श्याम लाल गुप्ता को मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति करने का क्या आधार है और इस पर नियुक्ति करने की क्या प्रक्रिया है? लेखाधिकारी के पद को इनएक्टिवियांस डालने का क्या औचित्य है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

विश्व बैंक योजना के अंतर्गत सृजित मुख्य लेखाधिकारी का पद निःसंवर्गीय पद है, जिस पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गयी है। निःसंवर्गीय पद को स्थानीय आधार पर सबसे अधिक उपयुक्त तथा योग्य अधिकारी से भरा गया है। चूंकि श्री श्याम लाल को नगर महापालिका के लेखाधिकारी के पद का कार्य भी साथ-साथ करने के निर्देश दे दिये गये थे, अतः लेखाधिकारी का पद इनएक्टिवएन्स रखा गया।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर के दानगंज बाजार को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव

32—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मंत्री वाराणसी जिलान्तर्गत विकास खण्ड चोलापुर के दानगंज बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं, दानगंज बाजार द्वारा टाउन एरिया कमेटी के गठन के लिए निर्धारित मानकों की पूर्ति न करने के कारण प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

जनपद एटा के कतिपय ग्राम सभाओं हेतु पेयजल योजना

33—श्री प्रेमपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम पंचायत गोधुआ, सकरोली बाधई, रजापुर रेरई, नगला पार एवं अवागढ़ ब्लाक में मिर्जापुर, रोहिल, जगलपुर, भटकना ग्राम पंचायतों का पीने का पानी खारी है? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाकर अतिशीघ्र लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

(अ) जनपद एटा के ग्राम गोधुआ, सकरौली, बाधई, मिर्जापुर रोहिल का पानी खारी है।

(ब) रजापुर, रेरई, नगलापार और जंगलपुर भटकना राजस्व ग्रामों की सूची में उपलब्ध नहीं है।

(अ) में उल्लिखित ग्रामों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु योजनायें बनाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दी गयी है जिनके प्राप्त होने पर कार्य कराये जायेंगे।

प्रदेश के समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल योजना

34—श्री राम नरेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने अभावग्रस्त ग्रामों में अब तक पीने के पानी की व्यवस्था करा दी गई है? शेष ग्रामों में व्यवस्था करने की क्या कोई प्रभावकारी योजना है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

माह जून, 1987 तक प्रदेश के 56642 समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करा दी गई है।

अवशेष समस्याग्रस्त ग्रामों में सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इण्डिया मार्क—2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर तथा जिन ग्रामों में हैण्ड पम्प सफल सम्भव नहीं है अथवा उनका पानी रासायनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, वहां पर पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था करने का लक्ष्य है।

35 से 37—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]।

आर्य कन्या इन्टर कालेज, गोविन्द नगर, कानपुर की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

38—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर की भूमि पर अवैध निर्माण के बारे में श्री बाल चन्द्र मिश्र, कानपुर का कोई शिकायती-पत्र उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को 30-12-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला? यदि हां, तो मुख्य मांग क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

संदर्भित पत्र में मुख्य मांग थी कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर में श्री सुरेन्द्र कुमार कत्याल द्वारा निर्मित अवैधानिक दुकान को अविलम्ब हटाया जाय एवं संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना आरोपित किया जाय। इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार कत्याल को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन कारण बताओ नोटिस दी गई तथा उनके विरुद्ध स्थानीय न्यायालय में अभियोजन स्थापित किया गया। न्यायालय द्वारा श्री कत्याल को रुपये 100.00 (सौ रुपये) जुर्माना किया गया। श्री कत्याल द्वारा अनधिकृत निर्माण अभी तक न हटाये जाने के कारण उनके विरुद्ध आवर्ती चालान की कार्यवाही की गई है जो मा0 मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (कारपोरेशन) के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रबन्धक, आर्य कन्या इण्टर कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर, के विरुद्ध भी विद्यालय की भूमि पर उनके द्वारा दुकानों के अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा जुर्माना किये जाने के पश्चात् पुनः आवर्ती चालान किया जा रहा है जो मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कारपोरेशन के न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जौनपुर द्वारा आवासीय योजना

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला जौनपुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कोई आवास योजना (गृह तथा भू-खण्ड) का निर्माण विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से तथा उसकी प्रगति क्या है? क्या यह सही है कि जौनपुर आवास योजना में गृह तथा भू-खण्ड प्राप्ति हेतु पंजीकरण वर्ष 1981 में जो हुए थे उनसे (पंजीकृत व्यक्तियों से) कुछ अतिरिक्त धन नवम्बर, 1985 तक जमा करने को कहा गया था अन्यथा पंजीकरण रद्द माना जायेगा? यदि हां, तो इस सूचना का उद्देश्य क्या था?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जौनपुर नगर में एक आवासीय योजना चलाना चाहती है, जिसके लिए भूमि की खोज की जा रही है।

जी हां। किन्तु वर्ष 1981 में विचाराधीन नईगंज एवं वाजिदपुर दोनों योजनाओं का क्रमशः वर्ष 1983 एवं 85 में परित्याग करते हुए उक्त नगर में अन्य भूमि पर नई योजना आरम्भ करने की कार्यवाही पर परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है।

उक्त सूचना का उद्देश्य भूमि एवं निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के मूल्य में वृद्धि की प्रतिपूर्ति किया जाना था।

साधन सहकारी समिति भोए ब्लाक जामों, सुल्तानपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

40—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक सहकारी समितियां एवं जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित साधन सहकारी समिति भोये ब्लाक जामो सुल्तानपुर के 25 सौ सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त दिनांक 14-2-86 तथा उपरोक्त को ही सम्बोधित ननकऊ सुत अगनू ग्राम कपासी ब्लाक जामो का दिनांक 25-6-86 का प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड जिसमें सम्बन्धित समितियों के सचिवों द्वारा फर्जी ऋण वितरण कर प्रार्थियों के नाम ऋण अदायगी किये जाने की शिकायत थी प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच किसी अधिकारी से कराई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 सुल्तानपुर एवं जिलाधिकारी सुल्तानपुर को पृष्ठांकित 25 सौ सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त नहीं बल्कि 25 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त दिनांक रहित शिकायती पत्र तथा निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 को सम्बोधित श्री ननकऊ सुत अगनू ग्राम कपासी ब्लाक जामों का दिनांक 17-7-86 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ।

जी हां।

25 सदस्यों के शिकायती-पत्र की जांच जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 सुल्तानपुर तथा श्री ननकऊ के शिकायती-पत्र की जांच सहकारी अधिकारी (उर्वरक) सुल्तानपुर से करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

41—श्री काशी सिंह ऐरी—

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जमा धनराशि के ब्याज का भुगतान सम्बन्धी पत्र

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक आवेदन पत्र जो श्री ओ0 पी0 शर्मा, 105 सोंधी टोला, चौक, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में योजना अन्तर्गत पंजीकरण की जमा धनराशि का ब्याज जो बकाया है, के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 14-5-87 (मई के दूसरे सप्ताह) में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्ति को ब्याज की धनराशि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति द्वारा इससे पूर्व कितने आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण को दिये गये किन्तु अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

श्री ओम प्रकाश शर्मा को उनके ब्याज की धनराशि वापस करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा इस आशय का पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10-7-87 को जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है। इस विषय पर मा0 विधायक के पत्र के साथ संलग्न श्री ओम प्रकाश शर्मा का केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ है।

43–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

44–45–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

46–श्री बलवीर सिंह यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बलिया नगर हेतु स्वीकृत पेयजल योजना

47–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया नगर के लिए स्वीकृत पेयजल सम्पूर्ति योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण।

बलिया नगर की सड़क, गली एवं नाली निर्माण में कथित अनियमितता की जांच की मांग

48–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया नगर में गत दो वर्षों के अन्दर सड़क निर्माण, गली निर्माण एवं नाली निर्माण में काफी घपला हुआ है? यदि हां, तो क्या इस घपले की जांच सरकार तुरन्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की मांग

49–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बलिया जनपद के पूर्वान्चल में एक पचीस बिस्तरे का आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर विचार करेंगे ताकि उक्त क्षेत्र के निर्धन रोगियों को सस्ता इलाज दिया जा सके?

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस प्रकार के चिकित्सालयों की स्थापना का विषय जिला सेक्टर के अन्तर्गत है। अतः जब तक जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, बलिया द्वारा इसके लिए धन की व्यवस्था एवं संस्तुति न की जाय तब तक चिकित्सालय की स्थापना सम्भव नहीं है।

जनपद गोरखपुर के टाउन एरिया पिपराइच में पेयजल योजना

50–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के टाउन एरिया पिपराइच में पेयजल के संकट के कारण जो पेयजल की योजना लागू की जा रही है उसमें विलम्ब का क्या कारण है और यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

अभी योजना का विरचन किया जा रहा है।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नगरों में मलिन बस्ती सुधार योजना लागू करने की नीति

51–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरों में मलिन बस्ती सुधार योजना लागू की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार गोरखपुर जनपद की टाउन एरिया पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों के सुधार के लिए यह योजना लागू करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना प्रदेश के समस्त प्रथम श्रेणी के नगरों में एवं संगठित विकास योजना के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों में, जिन्हें भारत सरकार द्वारा चयनित एवं स्वीकृत किया गया है, में लागू की गई है। चूंकि गोरखपुर जनपद का टाउन एरिया पिपराइच उक्त दोनों श्रेणी में से किसी में भी नहीं आता है अतः इसे योजना में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

52–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डा0 एस0 एन0 प्रसाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैसर बाजार, बस्ती द्वारा किए गए नसबन्दी आपरेशन

53–श्री अम्बिका सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एस0 एन0 प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैसर बाजार, बस्ती ने वर्ष 1986-87 में किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर किस किस की नसबन्दी आपरेशन किये हैं उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा उनका प्रेरक कौन है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 सी0 बी0 सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नाथनगर, बस्ती द्वारा नसबन्दी आपरेशन

54–श्री अम्बिका सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 सी0 बी0 सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नाथनगर, बस्ती ने वर्ष 1986-87 में किन-किन पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन किये हैं, उनके नाम एवं पते क्या हैं एवं उनके प्रेरक कौन हैं तथा किस-किस को उन्होंने कम्बल वितरित किया है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 भारत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सेमरियांवा, बस्ती द्वारा किये गये नसबन्दी आपरेशन

55–श्री अम्बिका सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भारत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सेमरियांवा, बस्ती ने वर्ष 1986–87 में किन-किन पुरुषों की नसबन्दी आपरेशन किया है? उनके नाम एवं पते क्या हैं एवं उनके प्रेरक कौन हैं? किस किस को उन्होंने कम्बल वितरित किया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, रानीखेत के कर्मचारियों की हड़ताल

56–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में रानीखेत के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 से अपनी 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में काम बन्द हड़ताल में थे? क्या उन्हें उनका 10 सूत्रीय ज्ञापन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापन में उल्लिखित मांगों पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।। किन्तु उद्यान निदेशक और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य मुख्य मांगों के सम्बन्ध में हुई वार्ता के फलस्वरूप हड़ताल 13-11-86 को समाप्त हो गयी थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के राजकीय अस्पतालों में क्षय रोगियों की संख्या

57–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में जनपद बरेली में राजकीय अस्पतालों की देखरेख में प्रत्येक वर्ष क्षय रोग से पीड़ित कितने-कितने रोगी नियमित उपचार करा रहे थे तथा प्रत्येक वर्ष कितने कितने रोगी रोग मुक्त किए गये?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद–बरेली में राजकीय अस्पतालों में पिछले पांच वित्तीय वर्षों में क्षय रोग से पीड़ित उपचार करा रहे रोगियों की संख्या और रोग मुक्त किये गये रोगियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कुल आये रोगियों की संख्या जिन्होंने उपचार कराया	रोग मुक्त किये गये रोगियों की संख्या
1	2	3
1982–83	6569	1779
1983–84	7685	3398
1984–85	6268	4246
1985–86	6181	4148
1986–87	3647	3222

जनपद एटा के जमों में बनी पानी टंकी की सीढ़ी का पुर्ननिर्माण

58–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में जमो में जो पानी की टंकी बनी है, वह बालू में बना दी गयी है और हवा में उसकी सीढ़ी टूट चुकी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर दुबारा टंकी को बनाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं, टंकी आर0 सी0 सी0 (सीमेन्ट कंकरीट) की बनी है।

इस टंकी की सीढ़ी जून, 1985 में गिर गयी थी, जिसका पुनः निर्माण ठेकेदार के व्यय पर करा दिया गया।

टंकी की कोई क्षति नहीं हुई अतः दुबारा बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कतिपय कर्मियों का स्थायीकरण

59—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सहायक निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश की कुछ परिवार कल्याण कार्य कर्मियों को 1-1-80 से स्थायी कर व उसकी प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित करने के आदेश संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ने उक्त आदेश जारी कर संबंधित कर्मचारी को उसकी प्रति उपलब्ध कराकर स्थायीकरण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों में कर दी है? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी? इस अनुचित विलम्ब के लिए कौन अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सात परिवार कल्याण कार्यकत्रियों को दिनांक 1-1-80 से स्थायी कर दिए जाने के आदेश पारित किए गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में पांच परिवार कल्याण कार्यकत्रियों को उनके स्थायीकरण आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी और उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जा चुकी है। शेष दो कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसकी जांच की जा रही है।

न्यू सिद्धार्थ शिक्षिका निकेतन, नन्दा खेड़ा, तालकटोरा, लखनऊ के भूमि अर्जन के सम्बन्ध में पत्र

60—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यू सिद्धार्थ शिक्षिका निकेतन, नन्दा खेड़ा, तालकटोरा, लखनऊ के भूमि अर्जन के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री दीप चन्द्र सोनकर का एक पत्र दिनांक 30-12-86 तथा श्री नरेश चन्द्र, मा0 सदस्य का एक पत्र दिनांक 9-1-87 व अन्य कई आवेदन पत्र उक्त दिनांक के तत्पश्चात् सरकार को प्राप्त होते रहे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि उक्त हरिजन विद्यालय, विकास प्राधिकरण द्वारा गिरा दिये जाने से वहां के बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी शिक्षा हेतु कोई अन्य विद्यालय वहां के आस पास खोलने हेतु विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मा0 सदस्य, श्री दीप चन्द्र सोनकर का पत्र दिनांक 30-12-86 के साथ में संलग्न श्री राम प्रसाद गौतम, प्रधानाचार्य, न्यू सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन, नन्दा खेड़ा का पत्र प्राप्त हुआ।

नन्दा खेड़ा काम्पलेक्स के निर्माण स्थल पर एक स्कूल न्यू सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन अनधिकृत रूप से बना हुआ था जिसे अन्य अनधिकृत कब्जों के साथ दिनांक 6-12-86 को हटा दिया गया।

चूंकि न्यू सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन अनधिकृत रूप से बना हुआ था अतः स्कूल को वैकल्पिक स्थान देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त वहां ऐसी भूमि भी रिक्त नहीं है जो स्कूल को दी जा सके।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में आशुलिपिक एवं टंकक की कथित परीक्षा

61—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा आयोजित दिनांक 8-2-86 की आशुलिपिक/टंकण की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया गया और उनकी नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या यह सही है कि लिखित परीक्षा में अन्य सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न बुलाकर उन्हें नियुक्ति भी नहीं प्रदान की गई? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या मंत्री जी लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 8-2-86 को आशुलिपिक एवं टंकण की कोई परीक्षा नहीं ली गई थी।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

बरेली नगर महापालिका कर्मचारी संगठन का मांग-पत्र

62—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर महापालिका कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 1 मई, 87 से क्रमिक अनशन किया था? यदि यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं? क्या मंत्री जी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर कर्मचारियों के हित में उन्हें स्वीकार करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

बरेली नगर महापालिका कर्मचारी संगठन द्वारा दिनांक 24-4-87 को एक मांग पत्र प्रशासक, नगर महापालिका, बरेली को दिया गया था जिसमें अंकित मांगें दिनांक 30-4-87 तक पूरी न होने पर दिनांक 1-5-87 से क्रमिक अनशन किये जाने की बात कही गई थी। दिनांक 30-4-87 को समझौता हो जाने से उक्त क्रमिक अनशन नहीं किया गया। सूची संलग्न है।

इन मांगों के सम्बन्ध में कर्मचारियों के हित को दृष्टि में रखते हुए, प्रशासक, नगर महापालिका, बरेली तथा संगठन के पदाधिकारियों के बीच समझौता हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 111 पर)

प्रदेश के नगर पालिकाओं के जलकलों के उच्चीकरण हेतु निर्धारित मानक

63—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिकाओं के जलकलों के उच्चीकरण के लिए क्या मानक निर्धारित हैं? इन मानकों के अनुसार वर्तमान में ऐसी कौन-कौन नगर पालिकायें हैं जिन्हें उच्चीकृत हो जाना चाहिए, परन्तु उच्चीकृत नहीं हैं? उन्हें उच्चीकृत करने हेतु प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिकाओं के जलकलों के उच्चीकरण के लिए निर्धारित मानक संलग्न हैं।

निर्धारित मानक के अनुसार जलकलों के उच्चीकरण का प्रस्ताव अभी तक किसी भी नगरपालिका से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही ऐसी नगरपालिकाओं के नाम तथा उनकी संख्या बताई जा सकती है।

पालिकाओं से प्रस्ताव आने पर ही कार्यवाही की जायेगी।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 112 पर)

जनपद वाराणसी एवं बलिया में राजकीय चिकित्सालयों की संख्या एवं चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद

64—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी और बलिया जनपद में कुल कितने राजकीय चिकित्सालय हैं और दोनों जनपदों में चिकित्साधिकारियों के कितने-कितने स्थान रिक्त हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद वाराणसी तथा बलिया में दिनांक 1-1-84 तक की सूचना के अनुसार क्रमशः 57 तथा 51 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। वर्तमान समय में वाराणसी तथा बलिया जनपद में पुरुष तथा महिला चिकित्साधिकारियों के क्रमशः 33/13 तथा 24/13 पद रिक्त हैं।

नैनीताल जिलान्तर्गत भुवाली स्थित टी0 बी0 सैनेटोरियम में सर्जरी व्यवस्था हेतु प्रस्ताव

65—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिलान्तर्गत भुवाली स्थित टी0 बी0 सैनेटोरियम में सर्जरी की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों और व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि टी0 बी0 जैसे भयंकर रोग के मरीजों को आकस्मिक सुविधा पहुंचाने के लिए आक्सीजन सिलिण्डर कितने दिये गये हैं और तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर आक्सीजन की कौन सी व्यवस्था की गई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

वर्तमान में क्षय रोग के उपचार में प्रायः सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है क्योंकि उपलब्ध दवाओं के खाने से रोगी रोगमुक्त हो जाता है।

सेनिटोरियम में 43 आक्सीजन सिलिण्डर उपलब्ध हैं। इसलिए तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है।

टी0 बी0 सेनेटोरियम, भुवाली, नैनीताल की स्टाफ व्यवस्था

66–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाक्टरों नर्सों, फार्मेसिस्टों के क्रमशः कितने पद टी0 बी0 सेनेटोरियम भुवाली के लिए सृजित हैं, और कितने पद खाली पड़े हैं? खाली पदों के भरने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

भुवाली क्षय रोगाश्रम में चिकित्सा अधिकारियों/फार्मेसिस्टों तथा स्टाफ नर्सों के विषय में सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ग का नाम	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद
वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक	1	1	–
चिकित्सा अधीक्षक	1	1	–
चिकित्साधिकारी	8	8	–
फार्मेसिस्ट	7	7	–
मैट्रन	2	–	2
सहायक मैट्रन	1	1	–
सिस्टर	17	10	7
स्टाफ नर्स	37	28	9

उक्त सेनीटोरियम में रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। सिस्टर के एक पद को भरने हेतु आदेश जारी हो गये हैं। मैट्रन के 2 पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और स्टाफ नर्स के 9 पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।

अवध सहकारी बैंक, लखनऊ में अग्रिम देने के प्राविधान

67–श्री राम आसरे वर्मा –

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में दिनांक 27-1-87 को मेसर्स संसार ट्रेडिंग कम्पनी के नाम के मात्र 100 रुपया जमा करके चालू खाता सं0 1192 खोला गया था और दिनांक 31-1-87 को 16,000 की (सोलह हजार) चेक पास करके नगद भुगतान दिया गया था? यदि हां, तो ऐसा क्यों? इस सम्बन्ध में प्रमुख दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां।

जी हां।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार तीसरी पार्टी द्वारा जमा किये गये निपेक्ष के विरुद्ध ऋण लेने वाले को अग्रिम देने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

68—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

69—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

70—श्री राम जनम—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

71—श्री राम जनम—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

72—श्री राम जनम—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

स्वास्थ्य विभाग में डिमांस्ट्रेटरों के पद का सृजन एवं नियुक्ति

73—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में डिमांस्ट्रेटरों का पद शासनादेश द्वारा क्रमशः 3 वर्ष के लिए (टेन्योर) होता है? यदि हां, तो राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सृजित डिमांस्ट्रेटर के पद पर किस व्यक्ति को किस अवधि तक के लिए सेवा का अवसर प्रदान किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

8 स्वीकृत पदों में से तीन पदों पर पदधारक प्रांतीयकरण के पूर्व से कार्यरत हैं दो पदों पर पदधारक टेन्योरेरूप से कार्यरत हैं तथा एक पद पर कार्यरत पदधारक का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्व होने के पश्चात अग्रिम आदेशों तक कार्यरत हैं। इस प्रकार तीन पद रिक्त हैं जिनपर शीघ्र नियुक्तियां की जा रही हैं। अधिग्रहण के पूर्व से तथा टेन्योर पद पर कार्यरत डिमांस्ट्रेटरों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 113 पर)

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में स्वीकृत शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की मांग

74—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में इस समय कुल कितने शैक्षिक पद सृजित हैं, और सी0 सी0 आई0 एम0 पाठ्यक्रम के अनुसार कितने पद होने चाहिए? क्या यह सही है कि सृजित पदों में से अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों और उन पर नियुक्ति कब तक करा दी जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रधानाचार्य के पद को छोड़कर 22 शैक्षिक पद स्वीकृत हैं।

सात विभागों हेतु 48 पद होने चाहिये।

22में से 10 पद रिक्त हैं।

रिक्त पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं। आयोग की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण पद रिक्त हैं। रिक्त पद तदर्थ नियुक्ति से भरे जाने हेतु विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जा चुका है। साक्षात्कार के उपरान्त तदर्थ नियुक्तियां शीघ्र कर दी जायेंगी । डिमांस्ट्रेटर के तीन रिक्त पदों पर निदेशक, आयुर्वेद द्वारा शीघ्र नियुक्ति की जा रही है।

75—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

76—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

नगर महापालिका, आगरा के स्टोर कीपर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

77—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, आगरा के केन्द्रीय स्टोर कीपर द्वारा फार्मों की छपाई में किये घोटालों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र 27 अप्रैल, 1986 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां। पत्र के संबंध में मुख्य नगर लेखा परीक्षक, आगरा द्वारा की गई जांच के उपरान्त संबंधित स्टोरकीपर का महापालिका के अन्य अनुभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया है । शेष दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता।

78—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका में वर्ष 86-87 के एकाउन्ट्स रूल्स फार्म व पंचवर्षीय कर निर्धारण फार्मों की छपाई के टेण्डरों में हुए घोटालों से संबंधित शिकायती पत्र दिनांक 28-5-86 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां। मामले में की गई जांच के फलस्वरूप संबंधित स्टोर कीपर का स्थानान्तरण महापालिका के अन्य अनुभाग में कर दिया गया है और शेष दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

79—श्री अफजाल अंसारी—

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति का गठन

80—श्री अफजाल अंसारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की मान्यता, शिक्षा प्रसार एवं प्रचार हेतु शासन द्वारा एक समिति निदेशक आयुर्वेद उ0 प्र0 तथा अन्य की गठित की गई थी जिसकी संस्तुतियों में से राज्य स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति परामर्शदात्री समिति का गठन शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो परामर्शदात्री समिति कब तक गठित कर दी जायेगी? समिति के गठन के विलम्ब का कारण क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

प्राकृतिक चिकित्सा परामर्शदात्री समिति का गठन दिनांक 28 मई, 1987 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0 आई0 पी0 मार्ग के पुनर्निर्माण पर व्यय

81—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बंगले के सामने से बी0 आई0 पी0 मार्ग जो पार्क रोड से मिलता है, पर कुल कितना व्यय हुआ है? क्या यह सच है कि इस सड़क पर कुल व्यय सामान्य दर से कई गुना अधिक है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत मार्ग पर अब तक कुल रु0 7,82,411.78 पै0 का व्यय हुआ है।

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

82—श्री शारदानन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

83—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फर्रुखाबाद की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में कर्मचारियों के स्वीकृत पद

84—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की कृषि उत्पादन मंडी परिषद् की समितियों में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है तथा कितने कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं और कितने स्थान रिक्त हैं? उन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद की कृषि उत्पादन मंडी समितियों की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों के 108 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान समय में विभिन्न पदों पर 84 कर्मचारी कार्य-

रत हैं और 24 स्थान रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार शीघ्र नियुक्तियां कर ली जायेगी।

प्रदेश के शीतगृहों की संख्या एवं लाइसेन्सों का नवीनीकरण

85—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने शीतगृह हैं? इन शीतगृहों में कितनों ने इस वर्ष अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण करा लिया है और कितनों ने नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ही नहीं प्रस्तुत किया है? नवीनीकरण न कराये जाने का क्या कारण है? शीतगृहों के न प्रारम्भ होने की स्थिति में किसानों के आलू के रख-रखाव की सरकार व्यवस्था करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्तमान समय में प्रदेश में 739 शीतगृह हैं।

इन शीतगृहों में से 715 शीतगृहों के लाइसेंसों के नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से अब तक 602 शीतगृहों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण हो चुका है। शेष के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिकांश शीतगृहों में किसानों के आलू का भण्डारण हुआ। 24 शीतगृहों ने नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र नहीं दिया, ये शीतगृह पारस्परिक विवादों अथवा मशीनों की खराबी के कारण बन्द हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वाहन व्यवस्था

86—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जीप तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था है तथा उनकी कैसी हालत है ? क्या शासन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जीप की व्यवस्था करायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद फर्रुखाबाद में कुल 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें से 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जीप तथा 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मैटाडोर आवंटित हैं, जो सभी आनरोड हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था नहीं है।

राजकीय चिकित्सालय, शीशगढ़, बरेली में चिकित्सक के तैनाती की मांग

87—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20 सितम्बर, 1985 को तथा पुनः दिनांक 20 अक्टूबर, 1985 को पत्र लिखकर मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली से यह आग्रह किया था कि जनपद बरेली कस्बा शीशगढ़ में स्थित राजकीय अस्पताल में एक डाक्टर की नियुक्ति की जाये? यदि हां, तो कस्बा शीशगढ़ में डाक्टर की नियुक्ति कब की गई तथा क्या प्रश्नकर्ता को उसके पत्रों के उत्तर में मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली ने नियुक्ति करने अथवा न करने के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध कराई? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधियों के पत्र का उत्तर न देने के लिए समय-समय पर इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किए गए शासनादेशों के अनुसार कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? राजकीय अस्प-

ताल शीशगढ़ में क्या मंत्री जी तत्काल एक डाक्टर की नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता के पत्रों के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में चिकित्साधिकारियों के अभाव के कारण राजकीय चिकित्सालय, शीशगढ़ में किसी चिकित्सक की तैनाती नहीं की जा सकी है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जिसके लिए उनको लिखा गया है, प्राप्त होने पर ही वहां किसी चिकित्सक की तैनाती किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद उन्नाव के गंगाघाट, शुक्लागंज में जल-प्रदूषण निवारण हेतु धन का आवंटन

88—श्री मनोहर लाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्ता के द्वारा नियम 301 के अंतर्गत दिनांक 7 मार्च 87 को विधान सभा में उठाये गये गंगाघाट, शुक्लागंज उन्नाव के प्रदूषण व गन्दगी को समाप्त करने के प्रश्न पर यह आश्वासन दिया है कि गन्दगी समाप्त करने के लिए 20 लाख रु0 देना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह रुपया कब तक दे दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

नगर पालिका, उन्नाव को जल निकासी व्यवस्था हेतु रु0 20 लाख दिनांक 19 जून, 1987 को स्वीकृत कर दिया गया है।

मण्डी समिति टूण्डला, आगरा द्वारा सड़कों का निर्माण

89—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1977-78 से अब तक कृषि उत्पादन मण्डी समिति टूण्डला द्वारा न तो मण्डी भवन का ही निर्माण कराया गया है और न ही क्षेत्रीय काश्तकारों व जनता के हित में सड़कों का निर्माण कराया गया है और मण्डी समिति उपरोक्त के पास लाखों रुपया की धनराशि उपलब्ध है ? क्या मंत्री जी बृहद जनहित में उपरोक्त धनराशि से प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में मुहम्मदाबाद से छिलरई मार्ग लम्बाई 1 कि0मी0 एत्मादपुर रेलवे स्टेशन से छिरबारी मार्ग वाया सरहरा 3 कि0मी0, एत्मादपुर से पांवर मार्ग पर से लालगढ़ी वाया राशपुर ग्राम तक 1-1/2 कि0मी0 तथा पचौखरा नारखी मार्ग से पखरपुर तक 600 मीटर मार्गों का निर्माण हेतु धन आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

नवीन मण्डी स्थल के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। वर्ष 1977 से अब तक मण्डी समिति टूण्डला द्वारा क्षेत्रीय काश्तकारों व जनता के हित में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराया गया है:—

1—एत्मादपुर रेलवे स्टेशन से सुरहरा 3 कि0मी0।

2—आगरा, फिरोजाबाद रोड से छितरई $1\frac{1}{2}$ कि0मी0।

3—कोटकी माहनर से सरायन नूरमहल 6 कि0मी0।

4–चुल्हावली से धीरपुरा 6 कि0मी0 ।

5–टुण्डला शहर से चुल्हावली 1.4 कि0मी0 । मण्डी समिति टुण्डला के पास इस समय लगभग 15 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है ।

मोहम्मदाबाद से छितरई मार्ग लम्बाई $1\frac{1}{2}$ कि0मी0 तथा एत्मादपुर रेलवे स्टेशन से सुरहरा लम्बाई 3 कि0 मी0 का खड़ंजा कार्य पूर्व में ही किया जा चुका है । चूंकि भूमि अर्जन व मण्डी स्थल के निर्माण के लिए मण्डी समिति के पास उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए अभी शेष मार्गों का निर्माण सम्भव नहीं है ।

जनपद देहरादून के झण्डा तालाब की सफाई एवं जीर्णोद्धार हेतु धन आवंटन की मांग

90–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देहरादून में घाटी के प्रसिद्ध एतिहासिक स्थल श्री दरबार साहिब (झण्डा मोहल्ला देहरादून) के पश्चिम सड़क पार 230 मी0 लम्बा 104 मीटर चौड़ा अति प्राचीन तालाब वर्षों से बहुत गन्दा पड़ा है ? यदि हां, तो इस तालाब के निकटस्थ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों तथा आसपास की आम जनता के स्वास्थ्य रक्षा के परिपेक्ष्य में इस तालाब की 1 मार्च, 87 से पूर्व कब-कब सफाई की गयी थी ? क्या सरकार उपरोक्त परिस्थितियों में इसे शीघ्र सफाई कराने के लिये आवश्यक धन आवंटित करते हुये जीर्णोद्धार करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

तालाब नगरपालिका की सम्पत्ति नहीं है, फिर भी जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष दो बार झण्डा मेले तथा दशहरे से पूर्व तालाब की सफाई पालिका द्वारा कराई जाती है । पिछली बार फरवरी के अन्तिम तथा मार्च, 87 के प्रथम सप्ताह में सफाई कराई गई थी ।

झण्डा तालाब गुरू राम राय साहब की निजी सम्पत्ति है अतः शासन द्वारा धन आवंटित करने तथा जीर्णोद्धार कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन से संबंधित शासनादेश

91–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन से सम्बन्धित मूल राजाज्ञा सं0 4601/16-11-79-9(155)79 चिकित्सा अनुभाग–11 दिनांक 23-2-80 में पति पत्नी दोनों में से केवल एक को प्रोत्साहन दिये जाने का प्रतिबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि परिवार कल्याण आयुक्त ने अपने आदेश चिकित्सा अनुभाग–11 सं0 5329/16-11-85-9 (155)/79 दिनांक 24-10-85 के साथ संलग्न घोषणा पत्र में यह प्रतिबन्ध क्यों और किस आधार पर लगाया है ? क्या यह प्रतिबन्ध लगाने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, परन्तु शासनादेश संख्या–प0क0 2667/16-11-80-9(155)/79, दिनांक 11 जून, 1980 में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि पति व पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तथा शासनादेश दिनांक 23-2-80 में, उल्लिखित शर्तें पूरी करते हैं, तो उन दोनों में से केवल एक को ही, जो भी चाहे, वैयक्तिक वेतन की सुविधा अनुमन्य होगी ।

शासनादेश संख्या–5329/16-11-85-9(155)/79, दिनांक 24-10-85 से संलग्न घोषणा पत्र उक्त शासकीय आदेशों के अनुसार है ।

जनपद मुरादाबाद में जिला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति की बैठक

92–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

प्रथम सत्र 1986 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-7-85 से दिनांक 30-11-85 पांच माह तक जिला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति की बैठक न होने का क्या कारण रहा तथा दिनांक 3-7-85 को सम्पन्न होने वाली बैठक में किन-किन सदस्यों को आमंत्रित किया गया था और किन किन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था ? क्या यह सही है कि जिला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समितियां का पुनर्गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद मुरादाबाद में पुनर्गठन के बाद कितनी बार समिति की बैठकें बुलायी गयी हैं और कौन-कौन सदस्य बैठक में उपस्थित रहे हैं और बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दिनांक 3-7-85 से दिनांक 30-11-85 के मध्य वांछित प्रस्ताव न होने के कारण बैठक नहीं बुलायी गयी । दिनांक 3-7-85 को सम्पन्न समिति की बैठक में जिन सदस्यों को आमंत्रित किया गया तथा जिन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था उनकी सूची संलग्न है ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद से नामांकन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार समिति का पुर्नगठन नहीं किया जा सका है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 114-115 पर)

93–श्री राज किशोर सिंह–

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 126 के अतर्गत स्थानान्तरित]

94–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बरेली महानगर के रिक्शा चालकों की समस्याओं का ज्ञापन

95–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20-4-87 को प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी रिक्शा चालक मोर्चे की ओर से बरेली महानगर के रिक्शा चालकों की समास्याओं का ज्ञापन नगर महापालिका प्रशासक को दिया गया था ?

यदि हां, तो ज्ञापन में अंकित समस्यायें क्या-क्या थी ? मांग पत्र में लिखी समस्याओं पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

जी हां ।

मुख्य-मुख्य स्टैण्डों से अवैध कब्जे हटाये गये व हदबन्दी कराई गई । स्टैण्डों पर बोर्ड लगवाये गये । कोचवानी में किराये के पुनरीक्षण शीघ्र कराने का निर्णय लिया गया । हार्ट मैन कालेज, कन्या पाठशाला भूड़, सिटी पोस्ट आफिस, बड़ा कारखाना व प्रसाद सिनेमा के पास अतिरिक्त नये नल लगवा कर पीने के पानी की व्यवस्था की गई। सूची की मांग सं0-10 का संबंध शिक्षा विभाग से है । अन्य मांगों की फिलहाल धनाभाव के कारण पूर्ति करना सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 116 पर)

बरेली नगर पालिका के कतिपय मोहल्लों की सफाई व्यवस्था

96–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर महापालिका स्थित मोहल्ले नरकुला गंज व माधोबाड़ी में नाले तथा नालियों व सड़कों की सफाई न होने के कारण भीषण गन्दगी व्याप्त है जिसके कारण इस क्षेत्र में कोई भी भयंकर बीमारी फैल सकती है और नागरिकों द्वारा बार-बार आवाह्न करने के बावजूद भी महापालिका द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया ? क्या मंत्री जी इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के सुधार हेतु तुरन्त निर्देशित करेंगे ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

नाली तथा सड़कों की सफाई प्रतिदिन की जाती है ।

पर्याप्त सफाई व्यवस्था पहले से उपलब्ध है ।

97–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

98–श्री मैनेजर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गोरखपुर के सिसवा ब्लाक में खाद वितरण में बरती गई अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच

99–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3 मार्च, 87 को प्रश्न कर्ता ने एक शिकायती पत्र सिसवा ब्लाक में खाद वितरण में भ्रष्टाचार के संबंध में उन्हें दिया है ? यदि हां, तो क्या इस शिकायती पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

शिकायती पत्र की जांच डा0 रघुबीर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर को सौंपी गई है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

100–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राजकीय कृषि बीज भण्डार कैम्पियर गंज, गोरखपुर के नव नियुक्त प्रभारी का स्थानान्तरण के अनुपालन में चार्ज

101–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भण्डार कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर का चार्ज तहसीलदार फरेन्दा द्वारा दिनांक 1-5-86 को ताला तोड़कर किन परिस्थितियों में दिलाया गया ? क्या इसके पूर्व ताला तोड़ने हेतु जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त किया गया था और क्या विभाग ने ताला तोड़कर चार्ज दिलाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो ताला तोड़ने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ताला तोड़ने के संबंध में मा0 विधायक, श्री राम लक्षन प्रसाद क्षेत्र महाराज-गंज गोरखपुर ने शासन को कोई शिकायती-पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खण्ड विकास अधिकारी, कैम्पियरगंज ने मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को यह सूचित किया कि राजकीय बीज भण्डार, कैम्पियरगंज के प्रभारी, श्री उमा-शंकर आर्य का स्थानान्तरण मई, 1985 में हुआ किन्तु उन्होंने अभी तक वर्तमान प्रभारी को चार्ज नहीं दिया । अतः मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 30-4-86 को परगनाधिकारी फरेन्दा को यह निर्देश दिया गया कि वह तहसीलदार की उपस्थिति में उक्त बीज भण्डार का ताला खोलवाकर चार्ज आदान-प्रदान की कार्य-वाही सुनिश्चित करें, जिसके अनुपालन में 1-5-86 को नवनियुक्त प्रभारी को चार्ज दिलाया गया ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में की गई, अतः ताला खोलवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है । जी हां, किन्तु उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में कार्यहित में थी, अतः प्रश्नगत मामले में अग्रेत्तर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

जिला कृषि अधिकारी हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

102—श्रीमती उमा त्रिपाठी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 27-5-87 को जिला कृषि अधिकारी हरदोई के भ्रष्ट कार्यों एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो शिकायती-पत्र लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर निकट भविष्य में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जिला कृषि अधिकारी हरदोई के विरुद्ध शिकायत सम्बन्धी एक पत्र दिनांक 23-5-87 का प्रश्नकर्ता का प्राप्त हुआ था, दिनांक 27-5-87 का नहीं । उक्त दिनांक 23-5-87 के पत्र को संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) को जांच के लिए भेजा जा चुका है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्याम लाल मुख्य लेखाधिकारी, नगर महापालिका लखनऊ का स्थानान्तरण आदेश निरस्त

103—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका में प्रान्त मुख्य लेखाधिकारी को सचिव के मौखिक आदेशानुसार लखनऊ महापालिका से कार्य मुक्त किया गया और फिर 24 घण्टे के अन्दर सचिव के ही मौखिक आदेशानुसार पुनः उसी मुख्य लेखाधिकारी पद पर (श्री श्याम लाल को आसीन) नियुक्ति कर दिया गया ? यदि हां, तो कार्यमुक्त करने एवं पुनः नियुक्त करने के अलग-अलग क्या कारण थे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं, नगर महापालिका कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान मुख्य लेखाधिकारी के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनके कारण संबंधित अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने हेतु अवमुक्त करने के आदेश दिये गये थे । जांच करने पर शिकायतें निराधार पायी गयी । अतः स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये ।

प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिधौली, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

104—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमशः प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिधौली, सीतापुर द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताएं एवं श्रीमती विनोदनी शर्मा, स्वा0 निरीक्षका प्रा0 केन्द्र सिधौली, सीतापुर को माह दिसम्बर, 1985 का वेतन भुगतान करने के संबंध में माह अप्रैल, 1987 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

105–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

106–107–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

108–श्री राम सजीवन–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

109–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

110–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जिला अस्पताल सीतापुर में सीनियर फिजीशियन आदि के रिक्त पद

111–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अस्पताल सीतापुर में सीनियर फिजीशियन तथा एस0 एम0 ओ0 के पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों पर नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला अस्पताल सीतापुर में सीनियर फिजीशियन का पद सितम्बर, 1986 से रिक्त है । उक्त अस्पताल में एस0 एम0 ओ0 का पद रिक्त नहीं है । एस0 एम0 ओ0 के पद पर डाक्टर एस0 एन0 गुप्ता कार्यरत हैं । सीनियर फिजीशियन के पद पर तैनाती साधारण ग्रेड से सीनियर ग्रेड में एम0 डी0 (मेडिसिन) की अर्हता के पर्याप्त चयनित अधिकारी उपलब्ध होने पर की जायेगी । साधारण ग्रेड में फिजीशियन के पद पर डा0 जे0 के0 गोयल, जिला अस्पताल सीतापुर में कार्यरत हैं ।

उत्तर प्रदेश पालिका कर्मचारियों/अधिकारियों को स्थानान्तरण के साथ भविष्य निधि लेखे को भेजे जाने का प्राविधान

112–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के स्थानान्तरण के समय उनका भविष्य निधि लेखा भी स्थानान्तरित स्थान पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भेजा जाता है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या यह सही है कि यह लेखे समयान्तर्गत स्थानान्तरित न किये जाने से कर्मचारी/अधिकारी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ? क्या शासन इस संबंध में त्वरित कार्यवाही कर रही है ? क्या निदेशक स्थानीय निकाय के पास पूरे कर्मचारियों का भविष्य निधि रखे जाने का कोई प्रस्ताव शासन के पास है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

नियमानुसार उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण पर उनके भविष्य निधि लेखे संबंधित पालिका द्वारा स्थानान्तरित स्थान को भेजे जाने का प्राविधान है ।

पालिकाओं द्वारा दृढ़ता से इसका पालन करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

113–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा पुरवा, उन्नाव द्वारा निलामी की गलत उद्घोषणा

114–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा पुरवा, जनपद उन्नाव ने वर्ष 1983 में अमृत प्रभात समाचार पत्र में ग्राम रैकड़ा निवासिनी मुसम्मात दुलारा बेगम बेवा श्री राम रतन यादव के नाम गजट निकाल कर रु0 4725·24 के बकाए का प्रकाशन कराया था किन्तु अनाथ बेवा से छः हजार रु0 ले लिए गये ? क्या यह सही है कि रु0 अदायगी के बाद भी उक्त बेवा को उक्त धन की वसूली हेतु परेशान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराते हुए प्रकाशित धनराशि से ज्यादा वसूल की गयी धनराशि उक्त बेवा को वापस दिलाने तथा दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मु0 4725·74 रु0 की नीलामी उद्घोषणा दिनांक 26 मार्च, 1983 को की गयी । वसूली के नोटिस की वास्तविक धनराशि 7548·45 रु0 थी । नीलामी उद्घोषणा में त्रुटिवश यह धनराशि 4725·74 अंकित हो गयी । इस त्रुटि के लिये शाखा प्रबन्धक को सख्त चेतावनी दे दी गई है । मु0 दुलारा ने रु0 6000 (छः हजार रु0 मात्र) दिनांक 18-4-83 को शाखा कार्यालय पर जमा किया । उक्त वसूली के पश्चात् भी मु0 दुलारा के ऊपर बैंक का लगभग 4500 (चार हजार पांच सौ रु0) मूलधन, ब्याज आदि शेष रह गया जिसकी वसूली के लिए बकायेदार मु0 दुलारा से नियमानुसार सम्पर्क करके तकाजा किया जा रहा है ।

कु0 धर्मवती ग्राम पूरनपुर, मुरादाबाद की एक्सरे रिपोर्ट

115–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के जोया अस्पताल में दिनांक 22-8-84 को कु0 धर्मवती उम्र 15 वर्ष पुत्री श्री बल्देव सिंह ग्राम पूरनपुर ब्लाक जोया का डाक्टर एस0 सिंह द्वारा मेडिकल हुआ था उसका एक्सरे भी जिला अस्पताल मुरादाबाद में दिनांक 24-8-84 को नम्बर 2626 से हुआ था तथा उसके एक्सरे की रिपोर्ट एन0 ए0 डी0 है परन्तु फिर भी डाक्टर सिंह ने उसको सिम्पल इन्जरी के स्थान पर गिरीविंस इन्जरी लिख रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

कु0 धर्मवती पुत्री श्री बलदेव सिंह ग्राम पूरमपुर ब्लाक जोया जिला मुरादाबाद का एक्सरे सं0 2626 से दिनांक 24-8-84 को मुरादाबाद में हुआ था जिसकी रिपोर्ट एन0 ए0 डी0 है। परन्तु पुनः कु0 धर्मवती का एक्सरे दिनांक 27-8-84 को किया गया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 28-8-84 जो डा0 ए0 एन0 सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोया द्वारा हस्ताक्षरित है, के अनुसार इन्जरी नं0 1 ग्रीवियस, इन नेचर पाई गई, अतः उसको उसी प्रकार लिखा गया ।

श्री ब्रह्मा नन्द शर्मा तत्कालीन उपनिदेशक (भूमि संरक्षण) राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

116–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1972 से 1974 तक राबर्ट्सगंज जनपद मिर्जापुर में तत्कालीन उप निदेशक (भूमि संरक्षण), श्री ब्रह्मानन्द शर्मा ने कृषकों को कृषि यंत्रों का किराये पर वितरण किया था ? यदि हां, तो कितना किराया किसानों पर बना जो वसूल किया गया और किसानों से किराये से कृषि यंत्र वापिस लिये गये अथवा नहीं ? क्या यह भी सही है कि विभागीय आडिट में 94.945 रुपयों का उक्त अधिकारी द्वारा गबन करना सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, तत्कालीन उप कृषि निदेशक, जमुनावाद फार्म, खीरी के विरुद्ध अनियमितता की जांच

117–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में जमुनाबाद फार्म जनपद खीरी में तत्कालीन उप कृषि निदेशक श्री ब्रह्मानन्द शर्मा ने कोई फेन्सिंग कराई थी ? यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि इस फेंसिंग कार्य को फर्जी कराकर व्यय दिखाया गया है जो आडिट रिपोर्ट द्वारा फर्जी सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक इस गम्भीर आरोप की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अधिकारी का निलम्बन न करने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने इस आडिट रिपोर्ट को निदेशालय स्तर तर दबवा रखा है ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

रु0 2399443.82 पैसे की धनराशि व्यय की गयी थी ।

आडिट के द्वारा प्रकाश में आई अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है जिसके पूर्ण होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जांचोपरांत यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में रेडियोलांजी विभाग में एक्सरे थेरेपी आपरेटर के वेतनमान का निर्धारण

118–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में रेडियोलाजी विभाग में कार्यरत एक्सरे थेरेपी आपरेटर श्री रमेश चन्द्र भार्गव के वेतनमान पुनरीक्षित हेतु पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित मामले से संबंधित कोई पत्र 14 मार्च, 1986 को शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ । इस पद के धारक को 470-735 रुपये का वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1979 से वैयक्तिक रूप से दिये जाने के आदेश दिनांक 29 मई, 1985 को जारी किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त दिनांक 15 मई, 1987 के शासनादेश द्वारा भविष्य में इस पद के लिये अर्हतायें भी निर्धारित कर दी गयी हैं ।

मानसिक चिकित्सालय आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच

119–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मानसिक चिकित्सालय, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित कोई पत्र दिनांक 24-4-87, 25-4-87 व 28-4-87 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । दिनांक 24-4-87 तथा 25-4-87 के शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं । दिनांक 28-4-87 का पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । उपरोक्त प्राप्त शिकायती पत्रों में कथित आरोपों की जांच कराकर आख्या देने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देश दिया गया है ।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा, स्थित पोस्ट मार्टम गृह की एयरकण्डीशन चालू न होने की जांच

119–(अ) -श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज व चिकित्सालय आगरा में स्थित पोस्ट मार्टम गृह हेतु शासन द्वारा प्रदत्त एयर कण्डीशन प्रदान किये जाने की तिथि से आज तक किन परिस्थितियों में चालू नहीं हो सका है ? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मामले की जांच कराई गई है । जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात दोष निर्धारण हो सकेगा । सम्प्रति शेष प्रश्न नहीं उठता ।

120–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

121-123—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद सुल्तानपुर की कतिपय साधन सहकारी समितियों के ऋण वितरण का ब्योरा

124—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र चांदा के ब्लाक प्रतापपुर कमैचा की साधन सहकारी समिति कसईपुर, कमैचा, प्रतापपुर, शाहपुर, चितावनपुर, कोथरा में कितने कृषकों को मध्यकालीन एवं अल्पकालीन कर्ज वर्ष 1985-86 में वितरित हुआ है ? क्या सहायक निबंधक सहकारी की निष्क्रियता के कारण साधन सहकारी समिति शाहपुर चितावनपुर का कारोबार एकदम बन्द है जिससे कृषकों के समक्ष समस्यायें आ गयी हैं ? यदि हां, तो शासन क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

साधन सहकारी समिति राजपुर, जिसके कार्यक्षेत्र में ग्राम कसईपुर भी है, साधन सहकारी समिति मरछ जिसके अंतर्गत ग्राम शाहपुर आता है सा0 स0 समिति चितावनपुर कोथराकला तथा प्रतापपुर कमैचा में वर्ष 85-86 में वितरीत अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण का विवरण संलग्नक में दिया गया है ।

साधन सहकारी समिति मरछ जिसके कार्यक्षेत्र में शाहपुर ग्राम है, का कारोबार बन्द है । साधन सहकारी समिति चितावनपुर का कारोबार बन्द नहीं है ।

साधन सहकारी समिति मरछ के सचिव की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं । समिति को चलाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 117 पर)

झांसी कन्जूमर्स स्टोर में नियुक्त सेल्समैनों पर कथित गबन के आरोप

125—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झन्सी कन्जूमर्स स्टोर नियुक्त सेल्समैनों पर हजारों रुपये का गबन का आरोप होते हुए भी सहायक निबन्धक द्वारा इन्हीं से सेल्समैन का कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी इसकी विजिलेंस से जांच कराकर ऐसे अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

झांसी कन्ज्यूमर्स स्टोर में वर्तमान समय में कार्यरत 11 सेल्समैनों पर गबन का कोई आरोप नहीं है। केवल श्री कालका प्रसाद चौरसिया, सेल्समैन, पुलिस लाइन राशन डिपो पर रु0 18274.39 पैसा बकाया दिखाया जा रहा है । यह धनराशि विवादास्पद है, जिसकी जांच की जा रही है। जांचोपरान्त उचित कार्यवाई की जायेगी।

कार्यरत सेल्समैन पर गबन का कोई आरोप न होने से विजलेंस से जांच कराने तथा किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपनिबन्धक झांसी मण्डल द्वारा सहकारी पर्यवेक्षकों की बहाली आदेश

126–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले में उप निबन्धक झांसी मण्डल द्वारा कितने सहकारी पर्यवेक्षकों जिनके विरुद्ध गबन के आरोप हैं तथा जिनकी पुलिस में सूचना दर्ज हुई है, को बहालकर के संस्थानों में नियुक्त कर दिया गया है? क्या मंत्री जी इसकी विजिलेंस से जांच करा कर ऐसे अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरूण कुमार सिंह–

झांसी जिले में उप निबन्धक झांसी मण्डल द्वारा सहकारी पर्यवेक्षकों, जिनके विरुद्ध गबन के आरोप हैं तथा जिनकी पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज हुई है को बहाल करके संस्थाओं में नियुक्त नहीं किया गया है।

सहकारी पर्यवेक्षकों का क्षेत्र के भीतर स्थानान्तरण के मामलों को छोड़कर सहकारी पर्यवेक्षक के समस्त सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण सहकारी संघ-प्राधिकारी (व्यवसायिक) विनियम, 1976 की विनियम संख्या 9 में गठित क्षेत्रीय कमेटी द्वारा होता है। क्षेत्रीय कमेटी के निर्णयानुसार उप निबन्धक ने विनियम संख्या 9-क-(1) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उसका कार्यान्वयन किया है जिसके अनुसार निम्न चार सहकारी पर्यवेक्षक जिनके विरुद्ध गबन के आरोप हैं तथा पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज है, को क्षेत्रीय कमेटी के निर्णयानुसार एक को अन्तिम रूप से तथा तीन को अनन्तिम रूप से कतिपय दण्डों के साथ बहाल किया गया है।

1–श्री राम सिंह यादव निल0स0पर्य0-झांसी–

क्षेत्राधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा (स0) झांसी द्वारा इनको निर्दोष सिद्ध किया गया। अतः इन्हें अन्तिम रूप से बहाल किया गया है।

2–श्री बाबू लाल नामदेव-निल0स0पर्य0-झांसी–

श्री नामदेव को विगत चार वर्षों से आरोप-पत्र न दिये जाने के कारण क्षेत्रीय कमेटी ने इन्हें निलम्बित रखने का औचित्य न पाते हुए अनन्तिम रूप से बहाल किया।

3–श्री राम भरोसे लाल आभा, निल0सह0पर्य0-झांसी–

जनपदीय कमेटी झांसी की संस्तुति के आधार पर अनन्तिम रूप से बहाल किया गया।

4–श्री राज कुमार त्रिपाठी-निल0स0पर्य0-झांसी–

श्री त्रिपाठी को विगत दो वर्षों से आरोप पत्र न दिये जाने के कारण अनन्तिम रूप से बहाल किया गया।

क्षेत्रीय कमेटी ने उक्त चार सहकारी पर्यवेक्षकों को झांसी जिले की किसी संस्था में नियुक्त करने का निर्णय नहीं लिया और न ही उप निबन्धक ने इन्हें किसी संस्था में नियुक्त किया। अतः उप निबन्धक के विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के सहकारी प्रशासनिक कमेटी द्वारा सचिवों की बहाली

127–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिले में वर्तमान सहायक निबन्धक द्वारा अपने कार्यकाल में कितने सचिवों, जिनके विरुद्ध गबन के आरोप हैं तथा जिनकी पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज हुई है को बहालकर के समितियों में नियुक्त कर दिया है? क्या मंत्री जी इसकी जांच विजिलेंस से कराकर ऐसे अधिकारी को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जनपद झांसी के वर्तमान सहायक निबन्धक जिन्होंने नवम्बर, 85 को झांसी में योगदान किया था, के योगदान करने के पूर्व से 6 सचिवों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज थी। इनके कार्यकाल में उपरोक्त 6 सचिवों को बहाल किया गया। सभी 6 सचिवों के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राप्त जांच रिपोर्ट पर जिला प्रशासनिक कमेटी द्वारा सचिवों को बहाल करने का निर्णय लिया गया। एक सचिव, जिसके विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट पुलिस ने लगा दी थी को बहाल करके समिति का सचिव नियुक्त किया गया तथा अन्य 5 की पुलिस जांच के परिणामों को प्रभावित किये बिना अनन्तिम रूप से बहाल करके कैडर कार्यालय में सम्बद्ध किया गया।

प्रशासनिक कमेटी के निर्णय के लिए सहायक निबन्धक के विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

128–श्री अचल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ स्थित महिला आश्रम की अधीक्षिका के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

129–श्री रणजीत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती नगर, लखनऊ स्थित महिला आश्रम की कितनी लड़कियां पिछले तीन वर्षों में भागी हैं तथा जांच में दोषी पायी गयी अधीक्षिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सात लड़कियां।

अधीक्षिका के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी जो अब सेवा निवृत्त हो चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0एम0एच0एस0 सम्वर्ग में आरक्षण सुविधा एवं विनियमितीकरण की जानकारी की मांग

130–श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में दिनांक 1-1-77 से 1-5-83 तक प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के महिला व पुरुष साधारण ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये गये थे? उनमें से कितने महिला व पुरुष चिकित्सा अधिकारियों का विनियमितीकरण हो चुका है?

क्या इनकी वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है? यदि नहीं, तो कब तक तैयार हो जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के कतिपय स्केलों में आरक्षण नीति

131–श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में सीनियर स्केल स्पेशल ग्रेड, संयुक्त निदेशक स्केल व निदेशक स्केल में कितने पद अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु आरक्षित हैं, इनमें से प्रत्येक स्केल में इस समय कितने पद अग्रनीत, वर्तमान में आरक्षित हैं? विभाग उन रिक्तियों को आरक्षित वर्ग के अधिकारियों से भरने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्तमान में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पुरुष/महिला) में सीनियर स्केल, स्पेशल ग्रेड, संयुक्त निदेशक स्केल व अपर निदेशक स्केल में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये आरक्षित/अग्रणीत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पुरुष/महिला) में सीनियर स्केल के पदों पर चयन का मापदण्ड "वरिष्ठता अनुपयुक्तों को छोड़कर" तथा उच्चतर वेतनमान के पदों पर चयन का मापदण्ड "श्रेष्ठता" निर्धारित है।

उक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन विभागीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों के लिये आरक्षित/अग्रणीत पदों को आरक्षित वर्ग के उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना होता है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 118 पर)

साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा भनैतापुर, बस्ती द्वारा लघु/सीमान्त कृषकों को ऋण वितरण में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध शिकायत

132–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

द्वितीय सत्र 86 के दूसरे शुक्र के अतारांकित प्रश्न सं0 171 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22-11-85 से 25-12-85 के बीच अरविन्द सिंह पुत्र राम शंकर सिंह तथा राम शंकर सिंह पुत्र सरस्वती सिंह (पुत्र एवं पिता) को क्रमशः तीन एकड़ एवं पांच एकड़ भूमि दिखाकर लघु कृषक की सीमा में छूट पर खाद उपलब्ध कराई गयी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिता पुत्र दोनों ही जोत हदबन्दी सीमा के अन्तर्गत आते हैं और इनके विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो यह दोनों व्यक्ति किस प्रकार पात्र व्यक्ति में आते हैं तथा क्या इससे शासन की नीतियों का जो उल्लंघन किया गया है, उसके लिए सचिव के विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण क्या है?

श्री अरूण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

133–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, गोला द्वारा रेट तालिका के अनुसार तहबाजारी शुल्क

134–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया गोला में टी0 ए0 द्वारा लगायी गई तहबाजारी शुल्क की रेट तालिका बोर्ड कहीं नहीं लगवाई गयी है और वहां का टी0ए0 ठेकेदार तहबाजारी बिना किसी वैध रसीद के वसूली करता है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? सरकार इस दुर्व्यवस्था को कब तक दूर कर देगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं, जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, गोला बाजार में तहबाजारी शुल्क की रेट तालिका लगी है और टाउन एरिया ठेकेदार रसीद जारी करके ही तहबाजारी की वसूली करता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ में कृषि सामग्री भण्डारण हेतु निर्मित भवनों का उपयोग

135–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में कितने बीज गोदाम हैं जो कि कृषि विभाग द्वारा बनाये गये थे और अब बेकार पड़े हैं? क्या सरकार उन बेकार बीज गोदामों को काम में लाने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेरठ जनपद में कृषि विभाग द्वारा 50 राजकीय भवन कृषि सामग्री भण्डारण हेतु बनाये गये थे इनमें से 15 भवन उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं।

जी हां। इनके उचित उपयोग के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली के कतिपय स्वास्थ्य कर्मियों को नियमितीकरण करने की मांग

136–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली में स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिकों व स्टोर कीपर कम लिपिकों को लगातार सेवारत रहते हुए सात वर्ष से अधिक हो जाने पर भी अभी तक नियमितीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 45 (1)/72/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 4-6-75 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी की साधन सहकारी समिति फरिहा को दी गई सबसिडी में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

137–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की साधन सहकारी समिति फरिहा के लिये वर्ष 1982–83 लगायत 1985–86 के लिए शासन द्वारा सबसिडी दी गयी? यदि हां, तो कब और कितनी और उसका लाभ किस सदस्य को दिया गया? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

शासन की नीति के अनुसार साधन सहकारी समिति फरिहा को भी नियमानुसार वर्ष 1982-83 से वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत निम्न प्रकार सबसिडी दी गई:–

वर्ष	कृषकों को देय सबसिडी जिनका भुगतान उनके ऋण खात में समायोजन कर भुगतान कर दिया गया			
	खाद पर		आई0आर0डी0 के अन्तर्गत	
	सं0 स0	धन	सं0स0	धन
1982–83	..	..	6	5988.00
1983–84	..	265 36204.00	..	..
1984–85	..	168 15522.05	..	..
1985–86	..	..	3	2994.00

वर्ष 85–86 के लिए 517 कृषकों के सबसिडी के लिए मु0 149923.40 के बिल पी0 सी0 एफ0 को भुगतान हेतु दिये गये थे, जिसके साक्षेप में अभी तक पी0 सी0 एफ0 द्वारा मु0 188736.50 का भुगतान जिला सहकारी बैंक को समिति के खाते में दिया गया है। इस धनराशि से सम्बन्धित कृषकों के ऋण खातों में समायोजित करने के आदेश दे दिये गये हैं। शेष 11186.90 धनराशि पी0 सी0 एफ0 से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अवशेष धनराशि पी0 सी0 एफ0 से प्राप्त होने पर संबंधित कृषकों के खातों में समायोजित कर दी जाएगी। जिन सदस्यों को सबसिडी दी गयी उनकी सूची किसी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है। इस सम्बन्ध में कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अतएव कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

138–श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या यह सही है कि प्रश्नगत साधन सहकारी समिति के कर्मचारीगण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में सन् 1984 में अपर जिलाधिकारी मैनपुरी ने अन्तर्गत धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट आदि में अभियोग पंजीकृत कराया और कर्मचारीगण जेल भेजे गये ?

यदि हां, तो क्या कर्मचारीगण सही विवेचना के लिए स्थानान्तरित व निलम्बित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, 3/7 ई0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत आप जिलाधिकारी मैनपुरी ने केस पंजीकृत कराया था और पांच कर्मचारीगण जेल भेजे गए थे, ये कर्मचारीगण जमानत पर हैं। सम्बन्धित पांच कर्मचारियों में से सचिव द्वारा निलम्बन/स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय मुन्सिफ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया, जो अभी तक खारिज नहीं हुआ है।

समिति की प्रबन्ध समिति ने शेष चार कर्मचारियों को निलम्बित करना उचित नहीं समझा। इन कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस अथवा अन्य अधिकारियों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जिसमें इन कर्मचारियों द्वारा जांच में किसी प्रकार की रुकावट डालने की सूचना हो। पुलिस द्वारा इन कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही कराने की संस्तुति नहीं की गई है। अभी तक पुलिस ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में कोई चार्ज शीट भी दाखिल नहीं की है।

जहां तक स्थानान्तरण का प्रश्न है, चार कर्मचारी फरिहा साधन सहकारी समिति के कर्मचारी हैं। अतः इनका किसी दूसरी समिति में स्थानान्तरण करने का प्राविधान नहीं है।

जनपद गाजीपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति जंगीपुर की श्रेणी एवं आय विवरण

139—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की कृषि उत्पादन मण्डी समिति जंगीपुर किस श्रेणी की मण्डी है? वर्ष 1984-85 व वर्ष 1985-86 व वर्ष 1986-87 में इस मण्डी की आय कितनी थी? इस मण्डी में कुल कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85, 1985-86 व वर्ष 1986-87 में मेन्टिनेन्स के मद में कितना-कितना धन किन-किन कार्यों के लिए खर्च किया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

गाजीपुर जनपद की कृषि उत्पादम मण्डी समिति जंगीपुर "ग" वर्ग की मण्डी है। आय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रु0
1984—85	4,03,394·85
1985—86	6,14,562·54
1986-87	6,18,219·77

1 जुलाई से मई तक।

विवरण निम्न प्रकार है:

मद का नाम	संख्या
सचिव	1
मंडी निरीक्षक	2
मंडी सहायक	3
चौकीदार (गार्ड)	1
माली	1

अनुरक्षण मद में व्यय का वितरण निम्न प्रकार है :

मद	84–85 रु0	85–86 रु0	86–87 रु0
हैण्ड पम्प मरम्मत का कार्य	–	5100·00	782·00
कार्यालय भवन एस0बी0आई0 का स्ट्रांग रूम मरम्मत व चेनेल गेट ।	–	6726·00	–

प्रदेश के कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि फार्मों पर लम्बी अवधि तक कार्यरत अधिकारी

140–श्रीमती शारदा देवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि फार्मों पर वर्ग-2 व ग्रुप-3 के कितने ऐसे अधिकारी हैं जो कृषि फार्मों पर लगातार 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि प्रदेश के सभी कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं ? यदि हां, तो उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कृषि फार्म पर 10 वर्ष के बाद भी रहने का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के प्रक्षेत्रों पर वर्ग-2 के 12 एवं वर्ग-3 के 4 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा प्रक्षेत्र अधीक्षक के रूप में पूरा कर ली है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त 16 कर्मचारी जिन प्रक्षेत्रों पर कार्यरत हैं उन प्रक्षेत्रों पर वर्तमान समय में कोई नुकसान नहीं है ।

सेवा निवृत्त श्री मोरमुकुट अग्रवाल सहा0 लेखाधिकारी चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय मथुरा के आर्थिक देयों का भुगतान

141–श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि श्री चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय के मथुरा प्रागंण के सेवा निवृत्त सहायक लेखा अधिकारी श्री मोरमुकुट अग्रवाल को सामूहिक बीमा, प्राविडेन्ट फन्ड, बोनस वेतन यात्रा भत्ता एवं उपार्जित अवकाश का नगदीकरण आदि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब श्री अग्रवाल के उक्त देयों का भुगतान कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर उनके अवशेष अर्जित अवकाश के बदले नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है । शेष देयों का भुगतान अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण ।

जी हां ।

श्री अग्रवाल के ऊपर बकाया धनराशि को रोककर शेष धनराशि के भुगतान के आदेश कुलपति द्वारा कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

कृषि विभाग में श्रेणी दो से श्रेणी प्रथम में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के विरुद्ध कथित गबन की जांच

143—श्री आंसान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ष 1977 एवं 1980 में जो पदोन्नति श्रेणी दो से श्रेणी प्रथम में हुई है उनमें कितने अधिकारियों के विरुद्ध गबन के सतर्कता अधिष्ठान में केस चल रहे थे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करके जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक **हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्ज माफी एवं सुखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं सदस्यों द्वारा किये गये बहिष्कार के सम्बन्ध में सदन द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव पर बोलने का प्रयास . . .**

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम नरेश जी, सदन के सामने मैंने प्रस्ताव रख दिया । उस पर सदन ने निर्णय ले लिया । अब उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा—

इस तरह से नहीं चलेगा । आप दो मिनट बोलने का मौका दें . . . . (व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता . . . . . (व्यवधान) । मैंने सदन के सामने प्रस्ताव रख दिया । अब आप मेहरबानी करके बैठ जायें ।

श्री विजय सिंह राणा—

आप दो-दो मिनट सब को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

सदन के सामने मैंने प्रस्ताव रख दिया । उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, आप एक मिनट सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक-एक मिनट सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपा करके बैठ जायं (व्यवधान)

मैं सदन को 12 बज कर 20 मिनट तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी।)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापत्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री लीलाधर अस्थाना, श्री भीम सिंह, श्री उमेद सिंह, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री राम अवध सिंह, श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुझे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं सांसद, श्री लीलाधर अस्थाना का निधन दिनांक 28 जून, 1987 को लम्बी बीमारी के उपरान्त हो गया । वह लगभग 85 वर्ष के थे । उनका जन्म 1902 में उन्नाव जनपद के एक ग्राम में हुआ था । उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की । वर्ष 1946 से 1957 तक जिला उन्नाव से वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के कांग्रेस दलीय सदस्य रहे । वह राज्यसभा और लोकसभा में भी रहे । श्री लीलाधर का पूरा जीवन राजनैतिक कार्यों से और सामाजिक कार्यों से भरा पड़ा है और उन्होंने जनता की सेवा, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, उनके न रहने से जो कमी हुई है उसका पूरा होना मुश्किल है ।

मान्यवर, श्री भीम सिंह, भूतपूर्व सदस्य उ0 प्र0 विधान सभा का निधन 21-6-87 को हो गया । वह लगभग 57 वर्ष के थे । अल्पआयु में उनके निधन से हम लोगों को बहुत दुख है । उनका जन्म 15 जुलाई, 1930 को मेरठ के ग्राम सीना में हुआ था । उन्होंने हाईस्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी । 1980 के सामान्य निर्वाचन में मेरठ से कांग्रेस (आई) के टिकट पर निर्वाचित होकर प्रथम बार यहां पदार्पण किया था और 1985 तक सदस्य रहे थे । उन्होंने अपने जिले में विभिन्न पदों पर रहकर जनता की सेवा की। वह काफी दिनों तक डिस्ट्रिक बोर्ड और दूसरे जो आर्गनाइजेशन हैं, उसमें सदस्य रहे। उनके न रहने से हम लोगों को बहुत दुःख है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री उमेद सिंह का निधन 8 जून, 1987 को हो गया। वह लगभग 91 वर्ष के थे। उनका जन्म जुलाई, 1896 में जनपद गोंडा के ग्राम बेनीजीत में हुआ था । उन्होंने बी0 ए0, एल-एल0बी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी ।

वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में जिला गोंडा से निर्वाचित होकर प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में आये और 1935 में जिला परिषद् गोंडा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, 1945 में नगरपालिका, बलरामपुर के चेयरमैन बने थे । वर्ष 1957 के बाद श्री सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया किन्तु सामाजिक संस्थाओं में निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे । उनके न रहने से हम लोगों को बहुत दुख है ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री इन्द्रपाल का निधन 22-5-87 को हो गया, उनका संबंध कोल जाति से था, इनका जन्म बांदा जनपद में गरीब परिवार में हुआ था लेकिन वह अपनी बिरादरी की समस्याओं के लिए सदैव चिंतित रहते थे और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिये अथक प्रयास किया और इस कार्य में वे निरन्तर लगे रहे । वर्ष 1967 में मानिकपुर, बांदा से वह सदस्य चुने गये । उनके न रहने से आज हम लोगों को बहुत गम है क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने वाले समाजसेवी को हमने खो दिया है जिसके लिए हमको बहुत दुख है ।

भूतपूर्व सदस्य श्री राम अवध सिंह का निधन 21-2-87 को हुआ था । वे निधन के समय 69 साल के थे । उनका जन्म 1918 में गोरखपुर में हुआ था । वह वर्ष 1952 में गोरखपुर से कांग्रेस टिकट पर प्रथम बार विधान सभा के सदस्य चुने गये थे । उसके बाद 1962 से 1967 तक सदस्य रहे, फिर 1970 से 1976 तक वे विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । उन्होंने बहुत से स्कूल बनाये और बहुत सी संस्थायें खोलीं उन्होंने गोरखपुर जनपद और उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत सेवा की । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं जिसकी कमी आज हम महसूस कर रहे हैं ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई साहब का 22-6-87 को निधन हुआ । उस वक्त यह लगभग 75 वर्ष के थे । इनका जन्म 1912 में मुरादाबाद में हुआ था और वहीं से इन्होंने एम0 ए0, एल-एल0 बी0 की डिग्री हासिल की । 1957 के सामान्य निर्वाचन में यह सबसे पहले मुरादाबाद से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उसके बाद 1962 में रिपब्लिकन पार्टी से तथा 1969 में तीसरी बार निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा के लिए चुने गये । सन् 1940 में वह कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1949 में कांग्रेस से अलग होकर वह सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे । किन्तु फिर 1953 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गये । मान्यवर, सियासी कामों के अलावा उनका बहुत बड़ा हिस्सा समाज के दूसरे कामों में भी रहा । उन्होंने समाज की बहुत बड़ी सेवा की थी । मुरादाबाद के सब हिस्सों से उनका ताल्लुक था और वह बहुत अच्छे दोस्त थे । जिन लोगों से उनका ताल्लुक रहा था, आखिरी समय तक मौलाई साहब ने उनके साथ अपने ताल्लुक को निभाने की हर कोशिश की और यह उसे अपना फर्ज समझते थे ।

मैंने इन 6 लोगों के निधन के सन्देश बड़े दु:ख भरे दिल से इस सदन में रखे हैं। हर हलचल के बाद खामोशी होती है और हर जिन्दगी के बाद मौत का होना स्वभाविक है । लेकिन मौत उनको खत्म करती है, किन्तु उनके आदर्शों और उसूलों को नहीं तबाह करती है, जिनको अपनाने की हमेशा इंसान कोशिश करता रहता है । उनके जो आदर्श हैं, उनके जो नेक काम हैं और समाज की सेवा की है, उसके लिए वह हमेशा याद रखे जायेंगे और उनकी कमी को हमेशा उनके नेक कामों से दूर करते रहेंगे । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी और हमारे दल की भावना और जज्बात को उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन में 6 भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन के संदेश दिए हैं । उसमें मान्यवर, श्री लीलाधर अस्थाना उन्नाव के थे, स्व0 भीम सिंह जी मेरठ के थे, श्री उमेद सिंह गोंडा के, श्री इन्द्रपाल बांदा के, श्री रामअवध गोरखपुर के और राहत मौलाई जी मुरादाबाद जनपद के थे । यह मान्यवर, 6 भूतपूर्व सदस्य, जिनका अभी पिछले दिनों में निधन हुआ था, के सम्बन्ध में जो संवेदना संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन में व्यक्त की है, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करना चाहता हूं । यह लीलाधर अस्थाना साहब, जिनका निधन 28 जुन, 1987 को लम्बी बीमारी के बाद हुआ, उनकी आयु 85 वर्ष की थी और यह हमारे स्थानीय सदन के सन् 1946 से लेकर 1957 तक बराबर जिला उन्नाव का प्रतिनिधित्व करते रहे और

मैं समझता हूं कि उनके निधन से उन्नाव जनपद का एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी हमारे बीच में नहीं रहा ।

श्री भीम सिंह, जिनका निधन 21-6-87 को हुआ है, जनपद मेरठ के निवासी थे । उनके साथ मुझे भी बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था । वह अपने क्षेत्र की और जनपद की समस्याओं को हमेशा बड़ी निर्भीकता के साथ सदन में उठाते थे। उन्होंने जब भी देखा कि गरीबों पर कोई जुल्म या अत्याचार-अन्याय हुआ, तो वह चुप होकर नहीं बैठे रहे । वह वास्तव में मेरठ का ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे । इसी तरह उमेद सिंह का निधन 8 जून, 1987 को हुआ है और यह 52 के सामान्य निर्वाचन में गोंडा से चुनकर सर्व प्रथम इस सदन में आए थे । इनका राजनैतिक जीवन बड़ा ही जुझारू रहा है और मैं समझता हूं कि जनपद गोंडा के अन्दर बहुत ही कुशल और जनप्रिय समाजसेवी को खो दिया गया है । इसी प्रकार माननीय इन्द्रपाल जी, जो कि हमारी इस विधान सभा के अन्दर सन् 1967 में निर्वाचित होकर आये थे, बांदा से जनसंघ के सदस्य के रूप में चुने गये थे । इन्द्रपाल जी बांदा के बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे । हमेशा वहां के जन-जीवन से अपने को जोड़ते रहे थे, वहां की समस्याओं से लड़ते रहे । श्री रामअवध सिंह जी गोरखपुर से 1962 से 1967 तक विधान सभा के सदस्य रहे । 1970 से 1976 तक वे विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । यह गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को निर्भीकता से सदन के सामने रखते रहे । मान्यवर, श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई सर्वप्रथम 1957 में सामान्य निर्वाचन में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । दूसरी बार 1962 में रिपब्लिकन पार्टी से तथा तीसरी बार 1969 में निर्दलीय सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे उन्होंने कई विद्यालय और संस्थाओं की स्थापना भी की । इन्होंने हमेशा गरीब जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष किया । आज हमारे सदन के अन्दर, जैसा हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि यह सदस्य सदन के अन्दर प्रवेश की सेवा विभिन्न तरह से विभिन्न रूपों से करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनके निधन से उन जनपदों में ही नहीं इस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र के अन्तर्गत भी शून्य उत्पन्न हुआ है इनके निधन से सारे प्रदेश का राजनीतिक वर्ग दुःखी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी और हमारे दल की शोक सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सम्वेदनायें जो उद्गार स्वर्गीय लीलाधर अस्थाना, श्री भीम सिंह, श्री उमेद सिंह, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री राम अवध सिंह तथा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के संबंध में व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को और अपने निर्दलीय समुदाय को सम्बद्ध करता हूं। इन लोगों का राजनीति में और सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रहा है। इनके असामयिक निधन से दुःख होना स्वाभाविक है । मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो उद्गार स्वर्गीय श्री लीलाधर अस्थाना, श्री भीम सिंह, श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उमेद सिंह, श्री इन्द्रपाल, श्री राम अवध सिंह तथा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई की बेवक्त की मौत के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे ताजियत के अल्फाज उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आज श्री लीलाधर अस्थाना, श्री भीमसिंह, श्री उमेद सिंह, श्री इन्द्र पाल सिंह, श्री राम अवध सिंह तथा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके जाने से हमारे देश और प्रदेश को एक भारी क्षति हुई है और उनकी जो सेवायें देश और प्रदेश के लिए थीं वह अनुकरणीय हैं, जो भावनायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने, श्री राम आसरे वर्मा जी ने एवं फजलुल बारी जी ने सदन में रखीं मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवारों तक आपकी और हमारी भावनायें पहुंचा दी जायेंगी। अब हम खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार जब आयेगा तब सुनूंगा।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय अध्यक्ष ने नियम 311 को निलम्बित करने के बारे में रूलिंग दे दी है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा हालांकि मेरा नाम उसमें था और मेरठ मण्डल के किसानों के बारे में मैं कहना चाहता था लेकिन चूंकि व्यवस्था आ चुकी है इसलिए उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी, नियमों को निलम्बित करने के बारे में राय जान ली और व्यवस्था दे दी तो उसके बारे जो मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था और मैं यहां पर मौजूद था तो मेरा नाम पुकारना चाहिए था।

मान्यवर, यह सवाल गत मंगलवार को आया था। यह सवाल एक कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में है। इसका जवाब मेरे पास लिखित आया है और उसमें 5,40,451 रु0 के जमीन के घपले की बात जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर बतायी गयी है। जो सरकारी अभिलेखों के अनुसार दाम हैं वह बताये गये हैं लेकिन इस जमीन की कीमत बाजार भाव पर 50-40 लाख रु0 है। मेरा निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी मंत्री को हल्केपन से न ले, किसी की चरित्र हत्या न कर सके इसकी वजह से मैंने माननीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा अग्रिम दे दिया है और मांग की है कि इस सदन की एक समिति बना दें जो इसकी जांच करे। यदि मेरा कथन असत्य है तो उसी दिन से मेरा इस्तीफा समझ लें ताकि भविष्य के लिए कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री की चरित्र

हत्या न कर सके और उन पर झूठे इल्जाम न लगा सकें । इसलिए मैंने इसको उठाया है । मेरी बात का प्रमाण अंशतः सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है कि साढ़े 5 लाख रु0 का घोटाला है । जब मैं मौजूद था तो अध्यक्ष जी को मेरा नाम पुकारना चाहिए था । अल्पसूचित प्रश्न पर मेरा नाम नहीं पुकारा गया । मुझे 2-3 सालों से लगातार इस विषय को उठाते हो गये हैं। मेरा दुर्भाग्य है या मेरे क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि उनको न्याय नहीं मिल सका । इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अगर आप इस प्रश्न को फिर से लेने की व्यवस्था दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है । यदि आप नहीं लेते हैं तो सदन की एक समिति गठित कर दें। सदन का उसमें जो निर्णय होगा, मैं पहले ही अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे चुका हूं, यदि समिति मेरे आरोपों को असत्य पाती है तो उसी दिन से मेरा इस्तीफा समझ लें । इस बात की मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, उस रोज आपको याद होगा कि सारी बात तय हो गयी थी कि आज प्रश्न ले लिया जायेगा । प्रश्न का उत्तर दिया है । अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया, आपने उसको देखा, उसमें कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है । जहां तक सरकार का संबंध है हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया और किसी तरह किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं । जो कुछ इसमें फैक्ट्स हैं वह आपके सामने रख दिये हैं । आप जब चाहें इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए । सरकार पूरी तरह तैयार है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जो इल्जामात लगाये जा रहे हैं, जब आप उन्हें देखेंगे तो सदन खुद निश्चय करेगा और आप लोग खुद फैसला करेंगे कि यह इल्जाम निराधार है, आप जब भी चाहें इसका जवाब दिला दीजिए । हमें मान्यवर, किरनपाल सिंह जी की चुनौती स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्न उत्तरित हो चुका है । (व्यवधान) अध्यक्ष जी ने किरनपाल सिंह जी का नाम पुकारा था। नियमावली को देख लीजिए।

(घोर व्यवधान)

(कई विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहने से घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, अगर उन्हें चुनौती स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है ।

(घोर व्यवधान)

नियमों के निलम्बन सम्बन्धी रखे गये प्रस्ताव के विषय पर शासन से स्थिति स्पष्ट कराये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रश्नोत्तर से पूर्व नियम 311 के तहत प्रस्ताव लाया था जिसमें हमारे काफी माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे और वह लोग प्रस्ताव इस बात का लाये थे कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह हो रही है । आज मेरठ के अन्दर दंगा जो कि अप्रैल 14 . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब अध्यक्ष जी का निर्णय हो गया । अध्यक्ष जी के निर्णय के बाद मैं बुलवाना शुरू कर दूं, यह उचित नहीं मालूम होता है । नेता विरोधी दल आप तो परम्पराओं को जानते हैं । (व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आज मेरठ के अन्दर दंगा हो रहा है और जिसे 3 महीने के अन्दर भी यह सरकार नहीं रोक पाई है । इस वीर बहादुर सिंह की सरकार को एक क्षण भी उत्तर प्रदेश में रहने का हक नहीं है । इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए । दूसरा यह है कि मैंने कल बात उठायी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर भीषण सूखा पड़ा है और सरकार की ओर से कोई राहत प्रदान नहीं की गयी है, कोई घोषणा नहीं की गयी है और न ही कोई वसूली स्थगित की गयी है । सारे प्रदेश की जनता मान्यवर, दुःखी है। मैंने इस बात की मांग की थी कि किसी की जमीन नीलाम न की जाय, किसी की ट्रैक्टर ट्राली नीलाम न की जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय । यह जो समस्याएं हैं, जो मैं समझता हूं कि जनमानस से जुड़ी हुई हैं और अगर इन समस्याओं को समाधान कराने के लिए सरकार, यह सदन सक्षम नहीं है तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को आप मजबूर करें, सरकार को निर्दिष्ट करें । जो भीषण परिस्थिति आज मेरठ के अन्दर व्याप्त हो गयी है जिसके लिए सरकार 3 महीने से कोशिश कर रही है । कोशिश करने के बावजूद यह सरकार वहां के उपद्रव को रोकने में, वहां के साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में अक्षम साबित हो रही है । इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की घोषणा करे । प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है और वहां के किसानों के ऊपर जो जुल्म ढाये जा रहे हैं इससे वहां सरकार कोई राहत प्रदान करने की इच्छा रखती है या नहीं । इन घोषणाओं को करने में सरकार सक्षम है है या नहीं । मान्यवर, यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को कोई राहत अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं दिला रही है । इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस विषय पर और मैं आपसे अनुरोध करता हूं सरकार से इन ज्वलन्त समस्याओं के लिए जिसके तहत सारा प्रदेश सम्प्रदायिकता में झुलस रहा है, अल्पसंख्यकों का विश्वास पुलिस और पी0 ए0 सी0 से उठ चुका है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि इस विषय पर आप सरकार से स्पष्टीकरण दिला दें कि यह कुछ करने जा रही है या नहीं कर रही है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कल भी एक प्रस्ताव आया था, आज भी आया है । प्रदेश के सामने जो गंभीर समस्यायें हैं, उन समस्याओं को लेकर दो दिन से सदन की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है । 52 सदस्य पहले ही निलम्बित किये जा चुके हैं । भारतीय जनता पार्टी के 16 सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया है । आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतने विरोधी सदस्यों के सदन में न रहने के बाद सदन की स्थिति कितनी नाजुक है । दूसरी बात यह है कि इस भीषण सूखे के बावजूद भी प्रदेश में किस तरह से कर्जे के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है । गरीब किसानों के कर्जे माफ करने का सवाल आया दूसरे प्रदेशों में कर्जे माफ किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कर्जा माफ करने

को तैयार नहीं है । कर्जा वसूल करने के लिए इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है । यदि सब सामने आ जाय तो सर शर्म से टूट जायेगा । विधान सभा से लोग उम्मीद करते हैं कि राहत मिलेगी। विधान सभा में सुनने को तैयार नहीं है। दुःख होता है मेरठ में आज स्थिति नियंत्रण में नहीं है । जितना इनके कहने के अनुसार स्थिति नियंत्रण में होती जाती है । उतना ही स्थिति असामान्य होती जा रही है । अगर स्थिति सामान्य बनानी है, आप चाहते हैं कि मेरठ सामान्य हो जाय तो विधान सभा के सदस्यों के बीच से एक समिति बनायें जो स्थिति का अध्ययन करे । और ठोस सुझाव दे । ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव कल आया था, आज आया है उस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर निर्णय हो चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

निर्णय जो हो चुका है वह शिरोधार्य है। जिन समस्याओं से प्रदेश जूझ रहा है। राहत नहीं मिल रही है । समस्याओं के समाधान के बारे में शासन क्या सोच रहा है । दो दिन से स्थिति नाजुक है । शासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है । मैं चाहता हूं कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उन पर क्या रुख है, वह सदन के सामने आ जाये ।

श्री उपाध्यक्ष -

शतरुद्र प्रकाश जी, व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

नियमों को निलम्बित करके मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्जे माफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं 26 सदस्यों द्वारा किए गए बहिष्कार के संबंध में प्रस्ताव

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोगों ने नियम-311 के अंतर्गत प्रश्न काल को निलम्बित करने का प्रस्ताव दिया था । प्रश्न काल समाप्त हो गया । 311 में फिर से नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव किया है । जिसमें सभी सदस्यों के नाम हैं, हस्ताक्षर हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी, शिरोधार है । हमने दूसरा प्रस्ताव फिर से पेश कर दिया है । हम लोगों का यह प्रस्ताव है कि इस समय पौने एक बज रहा है, नियमों को निलम्बित करके मेरठ के सवाल पर, सूखे के सवाल पर और जो मुद्दे हैं उनके बारे में नियमों को निलंबित करके सुनें । नेता विरोधी दल ने अनुग्रह नारायण सिंह जी ने, कमाल यूसुफ जी ने, विजय सिंह राणा जी, ने सरोज वर्मा ने तथा और बहुत से सदस्यों ने नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव पेश किया है। मेरठ के संबंध में पूरे प्रदेश में चिन्ता है । सौ-डेढ़ सौ लोग मारे जा चुके हैं । साम्प्रदायिक हिंसा अभी तक रुकी नहीं है । सारे अधिकारियों का तबादला हो गया । गृह सचिव से लेकर दरोगा तक स्थानान्तरित हो गये, मेरठ में हिंसा नहीं होती । इनके तबादलों के बावजूद अरबों रुपये बरबाद हो जाने के बावजूद हिंसा नहीं रुक पायी । यह हिंसा नहीं रुक पायी है, इसका मान्यवर, एक ही इलाज है कि यह सरकार त्याग-पत्र दे और अगर यह सरकार त्याग-पत्र नहीं देगी, तब तक ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लग रहा है कि यह हिंसा रुक नहीं पायेगी और यह मंत्रि मण्डल अपने आपसी झगड़ों में लगा हुआ है, माननीय परिवहन मंत्री की माननीय मुख्य मंत्री जी से बोल-चाल नहीं है,, इसी प्रकार से एक माननीय राज्य मंत्री जी की माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बोल-चाल बंद है । तो मान्यवर, यह सारा मंत्रि-मण्डल आपसी झगड़े में फंसा हुआ है और इसके नतीजे में मेरठ हिंसा की आग में जल रहा है, वहां किसी प्रकार से शांति नहीं हो पा रही है और मान्यवर, इस सरकार ने यह घोषणा की थी कि सूखे की दृष्टि को देखते हुए उत्पीड़न की कार्यवाही कहीं पर नहीं होने देंगे, परन्तु मान्यवर, हर जगह आज उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है और यही कारण है कि मंत्रि-परिषद् और कार्य-पालिका में कोई सामंजस्य नहीं रह गया है, इसीलिए आपसे मान्यवर, इस संबंध में अनुरोध है कि यह जो प्रस्ताव आपके समक्ष आज रखा गया है, इसमें जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, 2-2 मिनट का मौका सभी माननीय सदस्यों को दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप प्रस्ताव तो रखें यहां पर ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्रस्ताव मान्यवर, यही है नियम 311 के अंतर्गत कि यह सदन जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्ज माफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलंबन एवं 26 सदस्यों द्वारा किये गये सदन के बहिष्कार के संबंध में, तत्काल एक प्रस्ताव के रूप में अपनी घोर चिन्ता व्यक्त करता है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह जनपद मेरठ में दिनांक 15-7-87 को साम्प्रदायिक हिंसा के कारण 5 व्यक्तियों की हत्या, प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति के बाद किसानों की कर्ज माफी एवं सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की फीस माफी तथा सदन के 52 सदस्यों के निलम्बन एवं 26 सदस्यों द्वारा किये गये सदन के बहिष्कार के संबंध में, तत्काल एक प्रस्ताव के रूप में अपनी घोर चिन्ता प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मत विभाजन कराइए (घोर व्यवधान के बीच) आप वोट कराइए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब निर्णय हो गया, मत विभाजन की कोई बात नहीं उठती । आपके प्रस्ताव को मैंने स्वीकार किया, और सदन में प्रस्तुत होने पर, वह अस्वीकृत हुआ, इसलिए अब कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

लगता है मान्यवर, आप हमेशा एक नई प्रथा डाल रहे हैं, सदन की कार्यवाही जब व्यवस्थित नहीं रहती, तभी आप उन चीजों को प्रस्तुत करते हैं और मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा और यह भी कहा कि जिन

माननीय सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हैं, उनको आप केवल 2-2 मिनट के लिए बुलवा दीजिए क्योंकि इस पर सदस्यगण बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 2-2 मिनट के लिए इन्हें सुन लीजिए ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री

(व्यवधान)

अब माननीय सदस्यगण क्यों खड़े हैं, कृपया बैठ जायं माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात अपनी रखी, उस पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला चुका हूं, कृपया उनकी बात सुनें तो सही ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बारी साहब की बात भी सुन लीजिए, इनकी बात रह गयी आने से इन्हें भी सुन लीजिए ।

*श्री फजलुल बारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात तय करनी पड़ेगी कि क्या आप जम्हूरियत की हिफाजत कर रहे हैं, या नहीं । क्या अब इस प्रदेश में सिर्फ तादाद की बुनियाद पर हाउस चलेगा, या अगर कोई दल तादाद लेकर यहां पर आए तो क्या अपोजीशन की बात नहीं सुनी जायगी, क्योंकि अपोजीशन हमेशा कम ही रहेगा । आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश के लोग परेशान और तबाह-बेहाल हो रहे हैं। सूखे से परेशान थे ही. उस जगह से सरकार ने कहा कि वसूली नहीं करेंगे, वसूली रोक देंगे, लेकिन हो यह रहा है कि लोगों के साथ जिस किस्म की ज्यादती हो रही है, वह बयान के बाहर है। हर आदमी, जिस पर जरा भी कर्जा है, परेशान किया जा रहा है । किसानों के ट्रैक्टर, जमीन, खेत नीलाम किये जा रहे हैं । उनके जानवर मवेशीखानों में ले जाकर भूखे प्यासे मारे जा रहे हैं । क्या इन हालात में तादाद के आधार पर हां और ना कराई जायगी । यहां पर इन्सान के दर्द और गम की आवाज को नहीं उठाया जायगा ? इस प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । मेरठ जल रहा है । मुख्य मंत्री वहां की स्थिति बहुत ठीक बताते हैं । जितने सरकारी कर्मचारी थे, होम सेक्रेटरी से लेकर दरोगा तक, सबको हटाया जा चुका है । इसका नतीजा यह है कि सरकार नाहाली का सबूत पेश कर चुकी है । लेकिन वहां इन्सान इन्सान का खून पी रहा है । हिन्दुस्तान के तमाम अखबारात में लिखा है कि मुख्य मंत्री ने खुद बैठकर दंगा करवाया है, इन्सानों को कटवाया है, मरवाया है । इन हालात में मैं गुजारिश करूंगा कि हमें सरकार से यह कहने का मौका दिया जाय कि इस सरकार को इखलाकी जवाब का कोई हक नहीं है । मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप बताएं कि इस सदन में जम्हूरियत ही हिफाजत होगी या यह सदन सिर्फ तादाद की बुनियाद पर चलेगा या फिर जजबात, ख्यालात और तफलीश का गुजर है इन हालात में कैसे सदन चलेगा, बता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं नियम 311 के अंतर्गत । आज जब यह प्रस्ताव पहले आया, उस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के बाद माननीय अध्यक्ष पुनर्विचार करके माननीय सदस्यों को फिर सुन सकते हैं । मान्यवर, इस पर दोबारा प्रस्ताव मंगा करके. . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रस्ताव समाप्त हो गया है ।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उत्तर प्रदेश में और कौन सा इससे ज्यादा बुरा दिन, इससे ज्यादा दर्दनाक घटना होने वाली है, जिसमें आप नियमों को निलम्बित करेंगे । मेरठ की जो घटना है, यह कोई आसान या मामूली घटना नहीं है । इसमें पूरा प्रदेश आन्दोलित है । मेरठ 3 माह, 4 माह से जल रहा है और आपकी सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है । क्या आप उत्तर प्रदेश को दूसरा पंजाब बनाना चाहते हैं । आप यह स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप पूरी तरह से पराजित हुए हैं । निकम्मी है आपकी सरकार, और आपकी निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर सकती । मुख्य मंत्री जी हर बात में यह कहते हैं कि मेरठ में शांति है । वहां की कानून व्यवस्था ठीक है । उन्होंने प्रधान मंत्री राजीव गांधी से बहुत अच्छी तरह से एक पाठ सीखा है जो हर बात पर कहते हैं कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जायगा और शांति व्यवस्था ठीक है । लेकिन मैं यह कहती हूं कि अगर मेरठ में इसी तरह से जुल्म होते रहे तो वीर बहादुर सिंह क्या देखेंगे, जनता उनको देख लेगी और उनको हटा देगी । मैं यह आपसे कहना चाहती हूं कि मेरठ का दंगा मामूली दंगा नहीं है । मैं आपसे एक कवि की सिर्फ 4 लाइन कहकर अपनी बात खतम करना चाहती हूं ।

"अपने ही सही होने का दावा
दावानल है, फल है—
चारों तरफ धू धू
चारों तरफ मैं मैं
चारों तरफ तू तू ।"

इस सरकार का यही हाल है । इसलिये आप नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा जरूर करायें । यह एक अहम मसला है और बहुत बड़ा मसला है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मत आ जायेगा । एक मिनट में माननीय राम नरेश यादव जी अपनी बात कहें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जिस तरह से मेरठ में घटना घट रही है और अन्य जगहों पर घटना घट रही है.....

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, क्या आप इस पर चर्चा करा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें । माननीय यादव जी अपनी बात कहें ।

श्री राम नरेश यादव–

आज लोगों में जो असुरक्षा की भावना आ गयी है, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर लोग सुरक्षा की भावना से रह सकें ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरठ की चिंता नहीं है, प्रदेश की चिंता नहीं है । मान्यवर, उधर के बैठने वाले जो लोग हैं, जो उधर बैठने वाली सरकार है, मेरठ में किस तरह से घटना घट रही है, किस तरह से साम्प्रदायिक सौहार्द पर कुठाराघात हो रहा है, उन्हें उसकी चिन्ता नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, यह तो आप चर्चा करा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुला रहा हूं ।

श्री राम नरेश यादव–

यह केवल यहां से दिल्ली तक चक्कर लगाकर, अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार जानबूझकर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है । इस सरकार को चाहिये कि अपना चरित्र स्पष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात कहें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, कल से बहुत सी बातों को लेकर, सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है । मान्यवर, आप सब चाहते हैं कि सूखे पर चर्चा हो, मेरठ के बारे में बात हो।

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

आप चाहते हैं कि मेरठ में कत्ल हो ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैं सब बता रहा हूं, हरेन्द्र जी, बैठें । अगर किसी विषय पर गंभीरता से बात करना चाहते हैं, तो बात करने के लिये वैसा वातावरण बनाना चाहिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं, उन तमाम सदस्यों को जिन्होंने जिज्ञासा प्रकट की है, बताना चाहता हूं कि सरकार ने, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में, उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने के आदेश दे दिये हैं । जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त एरिया है, वहां पर अभी वसूली नहीं होगी और, पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां-जहां वर्षा नहीं हुई है, उसे सूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा, इसके आदेश दे दिए गए हैं । इसके साथ-साथ रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को लिखा गया है कि जो सेन्ट्रल ड्यूज हैं, बैंक ड्यूज इत्यादि, सूखे की स्थिति को देखते हुए, उनकी इस समय वसूली न की जाय । यह केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पहले अपनी बात कह लेने दें । शांति बनायें रखें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, यह जो मेरठ की बात करते हैं, कहते हैं कि मेरठ में किसी प्रकार का कम्युनल झगड़ा हुआ इस वक्त या मेरठ में कोई ऐसी स्थिति हुई है कि शासन निकम्मा साबित हो रहा है, मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उधर के माननीय सदस्यों को और सारे सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मेरठ में जो परसों घटना घटी, वह बिल्कुल साम्प्रदायिक नहीं थी । वह एक व्यक्ति जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, इंदर राज-वह स्क्रेप बेचने का धंधा करता था । वह दो तीन दिन पहले हरिचरनपुर गया था, जहां से वह आर्मी सेल उठा लाया था और उसे बेचा । उस सेल को हथौड़े से तोड़ा गया, जिससे विस्फोट हुआ । जिससे 3 व्यक्ति मरे । यह किसी प्रकार की साम्प्रदायिक घटना नहीं थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उधर के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जब हम बोल रहे हैं तो सुनने का कष्ट करें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बनाना चाहते हैं, जो प्रदेश को अनुशासन में नहीं रखना चाहते हैं, उनके लिये क्या कहा जाय । मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे, तो मैंने आपकी बात सुनी । मान्यवर, मैं बोल रहा हूं उधर से तमाम माननीय सदस्य खड़े हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें । शांति बनाये रखें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल पहले अपने सदस्यों को बिठायें । मैं उन्हें आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि यहां से कोई नहीं बोलेगा । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल इस बात का प्रदर्शन करें कि उनके दल के सदस्यों में उनका कंट्रोल है या नहीं । अपने दल के सदस्यों को खामोश करायें, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है । मेरा अनुरोध है कि माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपने दल के सम्मानित सदस्यों से कहें कि वे शान्त रहें । हमारी तरफ के लोग अव्यवस्था उत्पन्न करें तो आप शिकायत करें ।

(माननीय श्री विजय सिंह राणा व कई अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर-शोर)

अभी तक तो यह कह रहे थे कि यह साम्प्रदायिक दंगा है लेकिन जब इन्होंने देख लिया कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है । इन्दर राज ने मुकेश को सैल बेचा, दुकान-दार उसको साम्प्रदायिक बनाना चाहते हैं । मान्यवर, यह साम्प्रदायिक घटना नहीं है । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने यह कहा कि यह सूखे पर चर्चा कराना चाहते हैं । हम एक नहीं, दो नहीं चार दिन सूखे पर चर्चा कराना चाहते हैं । सूखे से प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर हम चार दिन यहां पर चर्चा कराना चाहते हैं । जो कुछ भी मेरठ में हो रहा है उसके संबंध में हम सबका सहयोग चाहते हैं ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, सरकार की ओर से जो घोषणायें हुई हैं कि हम उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होने देंगे, वसूली नहीं होने देंगे । इस प्रकार की जो भी घोषणायें की गई हैं वह सभी गलत हैं ।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर माननीय नेता विरोधी दल बैठ गये)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पर प्यार आता है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो तथाकथित घोषणायें अभी की हैं, उनके संबंध में मुझे कहना है पहली बात तो यह कि जो घोषणायें वह करते हैं, राजस्व मंत्री जी भी यहां पर विद्यमान हैं उनकी किसी भी घोषणा का इनके अधि-कारियों पर कोई असर नहीं होता है, इनकी नौकरशाही इनके कब्जे से बाहर हो गई है । राजस्व मंत्री जी की किसी भी घोषणा का कोई भी असर प्रदेश के लोगों पर नहीं है । उन्होंने कहा था कि किसी की भी जमीन नीलाम नहीं की जायेगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा उन्होंने चुप्पी साध ली। हमने मांग की थी कि छात्रों की फीस माफ की जाये । जनता पार्टी के शासन काल में

जब सूखा पड़ा था तो छात्रों की फीस माफ की गयी थी और किसानों के कर्जे भी माफ किये थे । उन्होंने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया । इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वह मेरठ में साम्प्रदायिक दंगा नहीं होने देंगे लेकिन आज सारा मेरठ जल रहा है वहां अभी पांच लोग मारे गए हैं, उनकी लाशें मिली हैं । यह वहां पर साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ना चाहते हैं । इन्होंने मान्यवर, वहां पर कर्फ्यू लगाया है, यह सरासर सदन को गुमराह कर रहे हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया जबकि आपके डी0 आई0 जी0 ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां पर दो लाशें स्टेविंग की हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने केवल बम विस्फोट से मरे व्यक्तियों के बारे में बताया । जो दो लाशें स्टेविंग की हैं वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वहां पर साम्प्रदायिक तनाव है । आज प्रदेश के अंदर मेरठ के साम्प्रदायिक तनाव को लेकर सूखे तक की समस्याएं हैं । सूखे के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है कि जो किसानों के ऊपर सेन्ट्रल ड्यूज है उनको कुछ समय के लिए वसूल न किया जाए । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कोई भी राहत किसानों को नहीं उपलब्ध करवा पाए हैं इसलिए मेरा कहना है कि इस भीषण परिस्थित में आप पुनः इन गम्भीर मुद्दों पर विचार करें । सदन के अंदर जो भी घोषणाएं आज आप कर रहे हैं उनका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं । एक प्रकार से प्रदेश की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं और अपनी इस विफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं । इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप घोषणा करें कि किसी की जमीन व फार्मिंग इन्स्ट्रूमेंट्स का मिलान नहीं किया जाएगा छात्रों की फीस माफ की जाएगी और मेरठ के साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जमीन की नीलामी व फीस माफ करने के संबंध में जब चर्चा होगी तब वह अपनी बात कहें । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । हम भी उससे अवगत हैं । हम उन बातों का पूरी तरह से विचार करेंगे और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो भी राहत उपलब्ध की जा सकती है वह उपलब्ध करवाएंगे जहां तक मेरठ के तनाव के बारे में प्रश्न है यह सही है कि कुछ समय पहले वहां पर तनाव हुआ था और कुछ दिनों तक यह स्वाभाविक है कि उसका असर रहेगा जैसे जब किसी का जिस्म कमजोर हो जाता है तो पूरे जिस्म पर उसका प्रभाव होता है लेकिन जिस घटना की तरफ माननीय सदस्यों ने संकेत किया है वह साम्प्रदायिक घटना नहीं थी यही मेरा निवेदन है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

यह सरकार निकम्मी है । हमारी बातों पर विचार नहीं करती इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा एवं लोक दल (अ) के बहुत से सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया । इस व्यवधान के कारण नेता विरोधी दल सदन से उठकर नहीं गये ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1987 की बैठक में सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 16 जुलाई, से 20 जुलाई, 1987 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाए:–

जुलाई, 1987	
16 गुरूवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान ।
	2–उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
17 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मदान ।
18–शनिवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान ।
	2–जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किए जाने के संबंध में श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।
19 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
20 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान ।
	2–उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
	3–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
(अनन्तिम रूप से)	4–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा की सिफारिश की सूचना जो माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, उससे सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा की सिफारिश से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश संसदीय संग्रहालय

विशेषाधिकार के मामले में लिये निर्णय की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अध्यक्ष ने विशेषाधिकार के एक मामले में निर्णय ले लिया है, जो इस प्रकार है :–

दिनांक 6 जुलाई, 1987 को श्री सुखपाल पाण्डेय ने जिलाधिकारी, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। उनका कथन है कि सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के इस आश्वासन के बावजूद कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उक्त जिलाधिकारी द्वारा कर्मचारियों की नई नियुक्ति संबंधी कार्यवाही रोक दी जाएगी, जिलाधिकारी ने नई नियुक्ति 3 जुलाई, 1987 को पिछली तारीखों में किया है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी शिकायत की है कि जब कुछ लोग इस प्रसंग में जिलाधिकारी से मिलने गए तो उक्त अधिकारी ने उनसे सदन और श्री पाण्डेय के लिए अपशब्द कहे। इस मामले में शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके राजस्व विभाग द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती को एक टेलेक्स 6 जुलाई, 1987 को भेजा गया है।

पूरे प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त मैं समझता हूं कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है। अतः मैं इस विषय को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987†

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987††

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 23 जुलाई, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††दिनांक 24 जुलाई, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

विरोध स्वरूप मैं अपने दल सहित तीन दिन के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल सहित तीन दिन के लिए सदन का त्याग किया ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्रथम सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क की, दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री गोपाल दास यादव की, तीसरी सूचना सुश्री शारदा देवी की, मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

अब हम भोजनावकाश तक के लिये उठते हैं ।

(इस समय 1 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिये स्थगित कर दी ।

भोजनावकाश के उपरान्त 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने लंच के पहले भी आपके सामने एक बात रखी थी कि जम्हूरियत का तकाजा यह है जिसका कि मैंने सुबह तस्किरा किया था कि आप जम्हूरियत के मुहाफिज के तौर पर वहां बैठे हुए हैं । आप यह बतायें कि क्या तादाद के बल पर जम्हूरियत चलायी जायेगी या तर्क के बल पर ? बात कितनी भी मजबूरी की हो, लेकिन तादाद जब ऐसे लोगों की ज्यादा हो जाती है जिनका दिल अहसास से खाली हो जाता है, इन हालात में जबकि पूरे अपोजीशन के लोग यहां मौजूद नहीं हैं, सरकार अपना कोई काम चलाती रहे यह समझा जायेगा कि प्रदेश में एक पार्टी का रूल हो गया है । यह कांस्टीट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है इसलिए जो यह 52 लोग सदन से निलम्बित हैं और इनका निलम्बन वापस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं लिया जाता है तो यह प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीका नहीं है बल्कि इस प्रदेश में इससे डिक्टेटरशिप आ जायेगी । यदि ऐसा नहीं होगा जैसा कि मैं सुबह से ही देख रहा हूं, तो मैं इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फजलुल बारी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पहले 52 सदस्य यहां से गये, फिर 16 सदस्य गये, आज लोक दल (अ) के 54 सदस्य सदन से बाहर चले गए हैं । ऐसा लगता है कि जैसे सदन में विपक्ष की उपस्थिति आवश्यक नहीं रह गयी है । माननीय मुख्य मंत्री अपने आचरण से साबित कर रहे हैं, तो वे बैठते नहीं हैं लेकिन लाबी में बैठ कर विधायकों के सामने वे नीतिगत घोषणायें करते हैं और सदन में बैठते नहीं हैं । इतना ही नहीं वह इमालूमेन्ट्स में, तनख्वाह में बढ़ोत्तरी तक कर रहे हैं । जब सदन में विरोधी पक्ष नहीं रह गया है । सदन की आखिरी सांस के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं । जब तक सदन में विरोधी पक्ष के कोई भी सदस्य वापस नहीं आते हैं तब तक निर्दलीय विधायक समुदाय भी सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री काशी सिंह एरी सदन से बाहर चले गये ।)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कहिये ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, आज सदन सुबह से अव्यवस्थित है, लगता है कि शासक दल के लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये सारी प्रजातांत्रिक मान्यताओं को खो बैठे हैं । वह नहीं चाहते हैं कि विपक्षी दल के लोग यहां रहें और प्रजातांत्रिक तरीके से इनके भ्रष्टाचार को सदन में उजागर करें । इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं, जब तक सभी सम्मानित सदस्य सदन में वापस नहीं आ जायेंगे ।

(श्री हरिशंकर तिवारी सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री कामेश्वर उपाध्याय भी सदन से उठ कर चले गये ।)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

*परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,87,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से दो शब्द अपने बजट पर कहना चाहता हूं कि आज के विकास के युग में जिसमें आज 21वीं शताब्दी की ओर हम सब देख रहे हैं उसी के विकास की कड़ी में जिस तरह से संचार व्यवस्था, जिस तरह से और भी अन्य व्यवस्थायें जो सामाजिक जीवन में लोगों की दिन प्रति दिन की दिनचर्या में अपना अहम स्थान रखती हैं, उसी का परिवहन व्यवस्था भी ऐसा अंग है, जिसके माध्यम से हमारे देश में और दुनिया में बहुत बड़े 2 विकास हुये हैं । अपने इस देश में और उत्तर प्रदेश सरीखे बहुत बड़ी आबादी वाले प्रदेश में अवश्यमेव चिन्ता का विषय है, क्योंकि आज विज्ञान और प्राद्योग के युग में विकसित यातायात और संचार व्यवस्था और उसके माध्यम से जो प्रगति होनी है, वह जल परिवहन, वायु परिवहन और थल परिवहन हैं और इन्हीं परिवहन के माध्यम से हमारा जीवन चलता है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और जो हमारी उत्पादकता है, वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है । आज जहां तक सड़क परिवहन का प्रश्न है अवश्यमेव जहां हमें पहुंचना चाहिये था, उसमें काफी कमी है, लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रयास से, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों से अवश्यमेव उसमें तीव्र गति आई है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आज बड़े अर्से, बहुत साल के बाद हमारा परिवहन निगम फिर से फायदा शुरू किया है । आज हमारे यहां जो पहले जितनी तादाद में बसें थी उनके बारे में बहुत सारे कटाक्ष प्रदेश की जनता के माध्यम से उठा करते थे कि एक स्थान पर बैठ गये तो दूसरे स्थान पर पहुंचना निश्चित नहीं है, लेकिन वर्ष 1985-86 में 1 हजार बसें ली गयी हैं, 1986-87 में करीब 15500 बसें ली गयी हैं और उनकी आज तादाद 7 हजार हो चुकी है और सिर्फ 13 प्रतिशत बसें ऐसी हैं, जिनका रिप्लेसमेंट बाकी है और अगर वह व्यवस्था हो गयी तो हमारी बसों का जो बेड़ा है, जिसे नया कहा जायेगा, उससे प्रदेश की सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगे । इस वर्ष के अन्त तक 1600 नयी बसें लाने का प्राविधान है, जिसमें 1400 डीलक्स या सुपर डीलक्स होगी जिनमें वी0 डी0 ओ0 कोचेज भी होंगे और 10 एअर कन्डीशन्ड बसें होंगी, उनको इस वर्ष चलाने की व्यवस्था है । इस तरह से बहुत से सदस्य इन सारी कमियां जो होती हैं, उनके बारे में पार्टी मीटिंग में चर्चा के समय, पत्रों के द्वारा और बातचीत के द्वारा अवगत कराते हैं, कि बसों का जो रख-रखाव है, उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है और इस ओर ध्यान देना चाहिये, कभी उनमें सीट कवर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि 91 डिपो, 16 क्षेत्रीय कार्यशाला और 2 केन्द्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से उनका रख-रखाव स्वस्थ्य ढंग से रह सके ।

मान्यवर, हमारी इन कार्यशालाओं में कभी-कभी ठीक से मशीनें नहीं थीं, टूल्स नहीं थे इसलिए हमने 52 लाख रुपये की मशीनें और टूल्स खरीदने की व्यवस्था की है, जिनके माध्यम से अपने वर्कशाप में 10 बसों की बाडी बना लेते हैं और उनके रख-रखाव की व्यवस्था कर लेते हैं । बसों में शिकायत हुआ करती थी कि उसमें स्पेयर

पार्ट्स नहीं होते, स्टेपनी नहीं होती । जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे इस सम्बन्ध में कोई बात कहने पर वह संतोषप्रद नहीं होती थी । इसके लिये अब स्पेयर पार्ट्स, स्टेपनी और एक्सट्रा ह्वील की व्यवस्था बसों में कर दी गई है जिससे रास्ते में बसों के खराब होने के कारण कोई परेशानी न हो सके । मान्यवर, अभी तक हम फोल्डेड सेक्शन नहीं बना सकते थे लेकिन कानपुर में जो एलेन फारेस्ट सेन्टर है उसमें इनके बनाने की व्यवस्था हो गई है । इनके लिये जो भी टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनें बनाने की जरूरत हो उनको यहां पर नई बनाने की व्यवस्था हो गई है ।

मान्यवर, सबसे बड़ी तकलीफ आज यह होती थी जिसकी शिकायत माननीय सदस्य भी करते रहे कि बस स्टेशनों पर शौचालय और सफाई आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । बसों के समय से आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है । इसके लिये भी हम लोगों ने व्यवस्था की है । वहां पर पानी का इंतजाम किया है । टाइम टेबुल नहीं होता था । इन सब चीजों के लिये व्यवस्था की गई है कि लखनऊ से कंट्रोल करके बसों में और बस स्टेशनों में समय-सारिणी लगा दी जायं जिससे कर्मचारियों को और यात्रियों को कोई असुविधा न हो सके । साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि बुकिंग और विश्रामालय ठीक तरह से रखे जायं जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके । हमारे कर्मचारियों, ड्राइवरों और कंडक्टरों का यात्रियों के प्रति सौहार्दपूर्ण, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार हो जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । इस तरह की हम अपने निगम की तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं । मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में जो कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, जहां तक हमारे कर्मचारियों द्वारा शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे निगम में अभी तक जहां पर कि 60 हजार कर्मचारी हैं, उसमें कोई भी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी । हम लोगों ने निश्चय किया है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि इसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो सके, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके इसके लिये भी हम लोगों ने व्यवस्था की है । . . .

(सर्वश्री राजीव कुमार सिंह, राम कृष्ण तथा योगेन्द्र कुमार विरोध पक्ष की तरफ से आगे की बेंचेज में आकर बैठ गये तथा श्री राजीव कुमार सिंह के नेता विरोधी दल की सीट पर बैठने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल के आसन पर न बैठें ।

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं और जितने भी टेक्निकल कर्मचारी हैं, कार्मिक कर्मचारी हैं उनको समय-समय पर ट्रेनिंग की व्यवस्था हो सके जिसके लिये यहां पर भी चर्चा होती है, अखबारों में भी बात आती है कि दुर्घटनायें होती हैं, ऐसी व्यवस्था की गई । इसका कारण यह भी है कि इन ड्राइवरों और कर्मचारियों को नई बसें चलाने का मौका नहीं मिला था । इधर काफी नई बसें आयी हैं जिनमें ट्रेनिंग का कम होना, बसों की स्पीड आदि कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे दुर्घटनाओं की काफी

गुंजाइश थी । इसको रोकने के लिये बस सेवा में जो भी कर्मचारी लगे हुये हैं उनके शारीरिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है । चेकिंग स्पाट भी बनाये जा रहे हैं जिससे यह देखा जा सके कि हमारी इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो । मान्यवर, अभी तक 1500 चालकों, परिचालकों और मैकेनिक्स को डिपो स्तर पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है । 1 अगस्त, 1987 से एलेन फारेस्ट कानपुर में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, हमारे शहरों में नगर बसों की सेवा बहुत ही आवश्यक होती है । दुर्भाग्य से आज जो कवाल टाउंस हैं उनमें नगर बस सेवा की जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं है । जन संख्या के हिसाब से उनमें बसों की काफी कमी है । हमने इसी वर्ष निर्णय लिया है कि दो सौ बसें और डाली जायं । कानपुर, बनारस, आगरा, लखनऊ आदि में जहां नगर बस सेवा है में ज्यादा बसों की व्यवस्था हो सके इसके लिये नये डिपोज भी बनाने की जरूरत होती है इसकी भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं । लखनऊ में नया डिपो बनाने के लिए गोमती नगर में जमीन ली जा चुकी है और वहां नये डिपो का निर्माण होगा जहां से सीटी बसों की संचालन व्यवस्था होगी । जैसा मैंने पहले ही इस सम्मानित सदन में घोषणा की थी पल्लवन तमिलनाडु कंसलटेंसी एजेंसी है उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्टडी कराई थी और जिसके आधार पर विकेन्द्रीकरण की हमारे यहां व्यवस्था हुई थी जिसमें बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर के पहले चरण में लिया था । उस विकेन्द्रीकरण के अच्छे परिणाम आये हैं, ज्यादा बसों के द्वारा ज्यादा यात्रियों को सुविधायें बढ़ी हैं और ज्यादा आकुपेंसी आयी है और अच्छी सर्विस हुई है और इन रीजनों में ज्यादा अच्छा लाभ अर्जित किया है । दूसरे पेज में भी हमने तीन रीजन लिये हैं जिसमें कार्यशालाओं में सुधार के लिये 35 लाख रु0 स्वीकार किये हैं वहां पर अधिकारियों के चयन एवं कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई है ।

इस तरह से आने वाले भविष्य में यह परिवहन निगम आम जनता की सेवा करने में अपने को सक्षम पायेगा । नये शेड आदि बनाने के लिये सिविल निर्माण का काम करने के लिए हमने करीब 45 लाख रु0 मशीन और करीब 28 लाख रु0 का निर्माण कार्य करने की योजना बनाई है उसमें लखनऊ में चारबाग बस स्टेशन का विस्तार उसमें और सुविधायें बढ़ाने की बात है जिसमें यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है तो करीब 50 लाख उस बस स्टेशन में लगेंगे ।

इस तरह जो भी प्रयास किये गये हैं उससे अवश्यमेव बसों में नयापन और उनमें सुविधा तथा रख-रखाव में काफी अच्छा परिणाम सामने आया है ।

संचायन व्यय में भी काफी वृद्धि हुई है । 1983-84 की तुलना में संचायन व्यय 1987-88 में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है उनमें बस चैसिस, टायर ट्यूब, फ्लैप स्पात, पेट्रोल एवं डीजल आदि हैं ।। इन्हीं आधारों पर बसों का किराया भी बढ़ाया गया । हमने 20 सितम्बर 86 से बसों के भाड़े में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जिससे अवश्यमेव निगम को अच्छा काम करने का मौका दिया ।

मान्यवर, वर्ष 1986-87 में 84 प्रतिशत बस आन दि रोड रही जो 1985-86 में 76 प्रतिशत थी बसों के दैनिक उपयोग में भी काफी वृद्धि हुई । वर्ष 1984-85 में प्रतिशत दैनिक उपयोग 158 कि0 मी0 था जो वर्ष 1985-86 में बढ़ कर 169 कि0 मी0 हुआ और 87-88 में 190 कि0 मी0 प्रति बस प्रतिदिन हो गया । वर्ष 1986-87 में परिवहन निगम की बसों द्वारा 47.60 करोड़ अर्जित कि0 मी0 तय किया गया जो वर्ष 1985-86 की तुलना में 3.25 करोड़ कि0 मी0 अधिक है । वर्ष 1986-87 में गत वर्ष की तुलना में बसों का लोड फैक्टर 76 प्रतिशत रहा जबकि वह वर्ष 1984-85 में 66 प्रतिशत तथा 85-86 में 73 प्रतिशत था ।

इसी तरह से संचालन में सुधार के फलस्वरूप निगम ने 181.39 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया । जो विगत वर्ष 21.38 करोड़ रुपये अधिक थी । 10 वर्षों से लगातार घाटे के बाद 1986-87 में 2.52 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाया है । इस तरह से जो व्यवस्था में लगे हैं निगम के माध्यम से आज तो सारी चर्चायें इक्कीसवीं शताब्दी में कम्प्यूटरीकरण की आती हैं । निगम की कार्य कुशलता बढ़ाने और प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में एक कम्प्यूटर की निगम के मुख्यालय पर लगाने का प्राविधान किया है जो कर्मचारियों के वेतन, उनकी मानेटरिंग, संचालन, कर्मचारियों का बायो-डेटा, वार्षिक लाभ-हानि आदि का कन्ट्रोल किया जायेगा ।

मान्यवर, सबसे बड़ी चीज होती है इमेज की और जो पहले थी उसमें बदलाव आया है और लोगों में स्वीकृति अपने आप पैदा हुई है । मैंने दिल्ली में स्वयं देखा है कि सीटों के रिजर्वेशन के लिये हफ्ते-दस दिन पहले से रिजर्वेशन कराते हैं । निगम ने अपनी एक ऐसी इमेज बदली है जिसको सभी स्वीकार करते हैं ।

मान्यवर, निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा सुलभ कराने के लिए भी परिवहन निगम जागरूक है । वर्ष 1982 में स्वीकृत जनशक्ति से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, किन्तु मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की कठिनाई को देखते हुए निगम ने प्रतिबन्ध को शिथिल किया और निर्णय लेकर 110 ऐसे लोगों को परिचालक के पदों पर नियुक्ति की । इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बस स्टेशनों में धुलाई और सफाई आदि के लिये ठेके की दर पर कार्य करने के लिये वरीयता देने के निर्देश क्षेत्रों को दे दिये गये हैं जिससे कि मृतक आश्रितों को आय का स्रोत बना रहे ।

मान्यवर, इसी वर्ष कुछ ऐसे फैसले लिये गये हैं चूंकि डेढ़ दो वर्षों से हमें बहुत बड़ी कठिनाई देखने को मिली है कि यात्रियों को सुविधा बस स्टेशन के माध्यम से कैसे दी जाये इसके लिये हम लोगों ने बस स्टेशनों की दुर्व्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक स्वतंत्र एवं पूर्णकालिक "बस टर्मिनल प्राधिकरण" की स्थापना की जा रही है । यह बस स्टेशन निगम एवं निजी बसों के प्रयोग में लाया जायेगा । चूंकि बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट बसें कहीं दूर खड़ी होती हैं जिससे यात्रियों को भागना पड़ता है, अब इस बस टर्मिनल एथारिटी के शेड में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बसें उपलब्ध होंगी । बस शेड, बस स्टेशन और बस स्टाप जहां बनाना होगा उसका कंट्रोल यह एथारिटी करेगी।

मान्यवर, वर्ष 1987-88 में परिवहन निगम में बस उपयोग (कि0मी0 प्रति बस प्रति दिन) 199 कि0 मी0 तथा आकूपेशन रेशियो 73 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मान्यवर, हम प्रयास में हैं कि 1600 नई बसें इस वर्ष में ली जायं और इसमें जैसा पहले कहा है कि डिलक्स और एयर कन्डीशन्ड बसें बनाने का प्राविधान है। मान्यवर, संचालन स्तर को सुदृढ़ करने हेतु 17 नये डिपो खोले जाने तथा 100 गाड़ियों से अधिक बस बेड़े वाले डिपो का विभाजन करके पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है जिससे कहीं कम और कहीं अधिक बसें नहीं होंगी बल्कि हर जगह बराबर बसें दी जायेंगी और उनका रखरखाव किया जायेगा।

मान्यवर, इस तरह से कारपोरेशन प्रयास में है जो भी इसमें नयापन और तेजी आयेगी जिससे यह सुनिश्चित कर सकें कि आज जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिये हर तरीके से सुविधा देखी जाती है, उनके आराम करने के लिए, उनको प्रतीक्षा करने के लिए, उनके समय आदि की जानकारी करने के लिए वह सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक चीज हम और आज अपने माननीय सदस्यों से चाहते हैं। हम यदि इस कारपोरेशन के माध्यम से इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं तो आवश्यकता है कि हमारे जो यात्री हैं, जिनको यह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी यह ध्यान देना चाहिए। उनका भी कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, उनका सदुपयोग ही करें। हम देखते हैं कि कहीं कोई झगड़ा-फसाद होता है तो सबसे पहले जनता का रोष इन्हीं बसों पर उतारा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम अपने नागरिकों में यह कल्चर डालने की कोशिश करें, यह प्रचार-प्रसार करें कि हमारी जो सम्पत्ति है, बस के रूप में है, जिसका हम उपयोग करते हैं—अपने लिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसका सही रूप में इस्तेमाल करें।

आज आवश्यकता इस बात की है, हम दो लाख नागरिकों के माध्यम से यहां चुनकर आते हैं, हम में यह भावना पैदा होनी चाहिए, जिस तरीके से हम 21वीं सदी की बात करते हैं, उसी तरह से हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए। आज परिवहन निगम में अब भी कुछ कमियां हैं, फिर भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं मैं स्वयं पूरी तरह से अपने को सन्तुष्ट नहीं पाता हूं, एक चीज अवश्य सन्तोषजनक है कि हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है, उससे अवश्यमेव ऐसा लगता है कि हम इस कारपोरेशन के माध्यम से उसके रूप को बदलने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम अधिक से अधिक सुविधा लोगों को दे सकेंगे। जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को हम किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका न दें। हमने बहुत सी इन्सेन्टिव स्कीमें भी चलाई हैं। बहुत सख्ती से दण्ड भी दिए हैं, बहुत कर्मचारियों के साथ कड़ा रुख अपनाया है। इन सबके बाद यह रूप हमारे सामने आया है।

इसका एक दूसरा अंग परिवहन आयुक्त का संगठन है, जिसके बारे में हमें बहुत जगहों पर सुनने को मिलता है, आज पार्टी मीटिंग में भी कटाक्ष सुनने को मिले। मैं समझता हूं कि यदि हमारे दोस्तों को किसी काम के लिए वहां जाना पड़ा होगा तो वह अच्छा नक्शा लेकर वहां से नहीं लौटे होंगे। वह हमने भी महसूस किया है। लेकिन इस पर भी हम हतोत्साहित नहीं हैं और यह चाहते हैं कि यह संगठन नियन्त्रणात्मक ही न होकर विकासोन्मुख हो और ऐसा न हो कि वह केवल मात्र इन्फोर्समेंट एजेन्सी हो, बल्कि

जनता को हम उसके माध्यम से अच्छा कल्चर देना चाहते हैं, जिससे लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप यह विभाग अपने को सिद्ध कर सके। इसमें इसके अनुकूल परिवर्तन करने की व्यवस्था में हम हैं।

आज इस 21वीं सदी के माहौल में बहुत सारे लोगों ने और हमारे विधायकों ने कहा है कि हमारे बस और ट्रक मालिकान जब वहां जाते हैं तो पता नहीं यह सुविधा शुल्क क्या है, उनको सुविधा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। वास्तव में मुझे इस चीज का अफसोस है लेकिन मेरी जानकारी में यह सब आया है। मुझे यह घोषित करने में कोई संकोच नहीं है कि यह माहौल अगर थोड़े दिन और रहा तो किसी भी पालिसी के माध्यम से हो, हम उसमें चेंज लाने का पूरा प्रयास करेंगे। वर्ष 1986-87 में विभाग द्वारा रु0 143.55 करोड़ राजस्व का संग्रह किया गया है। मान्यवर, प्रदेश में अनधिकृत संचालन अनधिकृत बत्तियों तथा अनधिकृत नम्बर प्लेटों को रोकने का प्रयास हम इस विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोग कानून और नियमों में जो व्यवस्था है उसी हिसाब से वाहनों की नम्बर प्लेटें लगायें ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जन यातायात एवं माल अभिवहन में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप हमने यात्री गाड़ियों के नये परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। आर0 टी0 एस0 को अच्छा और सुदृढ़ करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से हमने ऐसा निश्चय किया है कि पांच लाख यात्री गाड़ियों को परमिट दिए जाएं आज तक यह विभाग सारे कार्य करता रहा है इसलिए इस विभाग को सुदृढ़ और स्वतंत्र बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, आज जो भी प्रक्रिया है चाहे टिकट कलैक्ट करने की हो चाहे लाइसेंस रिन्यू कराने की हो इसका सरलीकरण कराया जा रहा है ताकि हमारे लोगों को जो उपयोग कर्ता हैं उनको कम से कम परेशानी हो।

मान्यवर, एक चीज और बताना चाहूंगा संभागीय परिवहन कार्यालय जो हैं वह पुराने भवनों में हैं जहां नयापन लाना सम्भव ही नहीं है तमाम गन्दगी दीखती है वहां ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि जो उपयोग कर्ता हैं जो मोटर स्वामी हैं उनको सुविधा मिल सके तो उनके सारे कामों को तरीके से नियंत्रण किया जा सके हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। नये भवनों का निर्माण शुरु हो गया है इस दिशा में मेरठ, इलाहाबाद और लखनऊ में भूमि की व्यवस्था हो गई है इस तरह से हम समझते हैं कि पांच साल में जो कार्यालय पुराने भवनों में हैं, वह नये भवनों में हो सकेंगे, जिससे नये तरीके से लोगों को सुविधा दी जा सकेगी और जो आज लोगों को इतनी परेशानी होती है वह नहीं होगी।

मान्यवर, पहले नये वाहनों के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी विभिन्न संभागीय परिवहन अधिकारियों कार्यालयों द्वारा किये जाते थे लेकिन मान्यवर, अब यह सुविधा विभिन्न वाहन निर्माताओं को दे दी गयी है। मान्यवर, लर्निंग लाइसेंस देने का अधिकार परगना अधिकारियों और तहसीलदारों को दे दिया गया है। मान्यवर, एक बात मैं हेलमेट के बारे में कहना चाहूंगा हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है इसको बहुत क्रिटीसाइज किया गया है, लेकिन जो लाभ है जो जीवन में इससे मदद मिलती है, जो हमारे वाहन हैं वह बहुत बड़ी जनसंख्या के बीच में चलते हैं तो जो टू-व्हीलर

हैं उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है जिस तरह से ब्रेन हेमरेज से लोगों की मृत्यु होती है उसको देखते हुए ऐसा किया गया है । मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में इसके लाभ से लोग अवगत हो जायेंगे और फिर इसको स्वीकार करने में लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा ।

मान्यवर, प्रदूषण की बहुत चर्चा होती है। प्रदूषण पर कंट्रोल होना आवश्यक है। प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर असर डालता है। हम इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं । लेकिन मुझको इसमें संतोष नहीं है कि हमारा विभाग कुछ कर पा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिये। हम जल्दी ही इसके बारे में कुछ कठोर कदम उठायेंगे और आपके माध्यम से इस सदन में यह कहने लायक हो सकेंगे कि हमने वास्तव में कुछ कार्य किया है। मान्यवर, इसी तरह से स्मोक मीटर्स की लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा मेरठ, बरेली में व्यवस्था की गयी है। इसको अभी कहने भर को किया गया है, इसमें अभी कोई खास परिणाम नहीं निकले हैं।

मान्यवर, जल परिवहन के बारे में मैंने पिछले बजट में भी निवेदन किया था। जल परिवहन की योजना के संबंध में सर्विसेज और स्टडी के लिये हमने भारत सरकार को रिपोर्ट सब्मिट की है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्राविधान भी है। इसके लिये एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इस विभाग के माध्यम से हमने कुछ फैसले किये हैं और लोगों को सुविधा देने जा रहे हैं। मोटर कार, मोटर साईकिल, मोपेड आदि के जो मालिक हैं उनको एक बार ही रोड टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इसमें वाहन की लाइफ आंकी जायगी और एक बार में ही वाहन की पूरी जिंदगी के लिये वाहन का टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिये एक अधिनियम भी बनाया जा रहा है। मान्यवर, इसी तरह से 4 नये सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बनाये जा रहे हैं । अराष्ट्रीयकृत तथा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ बढ़े हुये संचालन को समयबद्ध करने के लिये 4 पूर्णकालिक संभागीय परिवहन प्राधिकरण स्थापित किये जा रहे हैं।

मान्यवर, आज शहरी और ग्रामीण यातायात के सभी पहलुओं पर अध्ययन, सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने के लिये प्रदेश में पहली बार जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था 4 अथारिटीज बनायी गयी हैं। इसके अलावा 20 नये संभागीय कार्यालय 20 जिलों में खोले गये हैं। प्रदेश के जिन जिलों में कार्यालय नहीं हैं वहां के लोगों को टैक्स जमा करने, लाइसेंस लेने, बसों के परमिट लेने आदि की सारी सुविधायें वहां पर दी जायेंगी ।

मान्यवर, यह विभाग सन् 1947 में चालू हुआ था । आज यह विभाग परिवहन निगम के रूप में है। उस समय वाहनों की संख्या हजारों में थी और आज लाखों करोड़ों की तादाद में वाहन हैं। प्रदेश में इनके रख रखाव के लिये और कंट्रोल के लिये और लोगों को सुविधा देने के लिये यह विभाग कार्यरत है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों के इस विभाग के बारे में सुझाव आयेंगे और उनके माध्यम से हम इसमें सुधार कर सकेंगे और एक दिन यह कारपोरेशन एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पर वह एक मेजर सोर्स होगा लोगों के विकास के लिये और प्रदेश के विकास के लिये। इस तरह

से आपके माध्यम से कुछ शब्दों में मैंने इस प्रस्ताव को माननीय सदन में रखा है। मुझे विश्वास है कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको आप बहुत से पास करेंगे और बहुमत से पारित करके इसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। (मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि नत्थी (च) पर छपे कटौती के प्रस्ताव के प्रस्तावकों में से कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं और कोई अन्य सदस्य उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत भी नहीं किया गया है अतः कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा किन्तु मूल प्रस्ताव पर अन्य सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसके समर्थन में कुछ विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और मान्यवर, विरोधपक्ष को जो आज कटौती का प्रस्ताव लाना था, चूंकि निरन्तर परिवहन विभाग की सफलता अपनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढ़कर सदन का बहिष्कार किया। वह नहीं चाहते थे, चूंकि वह जनता की भावनाओं के अनुरूप कटौती का प्रस्ताव नहीं होगा और वह आलोचना जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं होगी इसलिए वह सदन छोड़कर चले गये हैं। मान्यवर, बजट के फेवर में वह लोग सदन छोड़कर चले गये हैं। मान्यवर, आज निश्चित रूप से यह कोई बहुत बड़ी सराहना की बात नहीं है। परिवहन विभाग जिस तरीके से पहले बहुत ही सेवाओं में कमजोर था तमाम उसमें गड़बड़ियां थी तमाम प्रकार की कठिनाइयां आ रही थी, जनता को जितनी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही थी। हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने अपने प्रयास से और उनके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने प्रयास से जो आज सफलता हासिल की है उसके लिए माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं और अभिनन्दन करता हूं।

मान्यवर, एक नया कल्चर पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश के अन्दर। हम जब हरियाणा जाते थे, पंजाब जाते थे, जब मद्रास जाते थे तब देखते थे कि वहां पर परिवहन की व्यवस्था कैसी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को इस बात का गौरव है। मान्यवर, आज कल डीलक्स बी0 डी0 ओ0 कोच चल रहीं है जिससे यात्री अपना पूरा मनोरंजन करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इसी तरह से जो आर्डिनरी गाड़ियां हैं जिनमें कम किराया है, उनमें जो पहले आवाज हुआ करती थी, कहीं शीशे निकल जाते थे, कहीं पर यात्रियों के चढ़ने उतरने में कपड़े फट जाते थे तो वह कठिनाइयां आज नहीं हो रहीं हैं। मान्यवर, मैं इन सबके लिए अपने परिवहन विभाग को बधाई देना चाहता हूं। कुछ कठिनाइयां जो अभी शेष हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी नौजवान हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वह स्वयं उसके निराकरण में लगे हुए हैं।

अब मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, परिवहन विभाग और यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 दोनों के संतुलन में जो सामंजस्य होना चाहिये, वह नहीं है। जब यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की बैठक होती है उस वक्त यदि हम प्राइवेट बसों के लिए रूट बढ़ाने की बात करते हैं तो यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निधि संबंधित रूट पर स्टे लेकर आ जाते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो ओवर लैपिंग एक किलोमीटर, दो किलोमीटर की होती है वह लम्बा रूट बनाने में बाधक है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कोई उप नियम बनाकर, नियम बनाकर, कानून बनाकर इस समस्या का निश्चित रूप से निराकरण किया जाय।

मान्यवर, मैं कानपुर देहात से चुनकर आता हूं वहां हमने एक समस्या देखी है कि जहां एक ओर सिटी बसेस की सेवा बहुत अच्छी है वहीं मैं देखता हूं कि शहर के आसपास कस्बों में जो बसें संचालित की जा रही है हमारे देहात में उस पर एक-एक रूट पर जहां 10-10, 12-12 बसें चलती थी। लेकिन जब सहालकों का समय था जब लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी बसों की, तो हमारे यहां बसों की कटौती कर दी गयी जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत ही कठिनाई का सामना उठाना पड़ा है।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में विभिन्न सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में एक नई कठिनाई की स्थिति पैदा की जा रही है। आज मैंने माननीय मंत्री जी का पार्टी की बैठक में इस ओर ध्यान आकर्षित किया था और सदन के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में परमिट हस्तांतरण का प्रश्न आता है गाड़ी हस्तांतरण का प्रश्न आता है और जब मोटर साइकिल, स्कूटर के हस्तान्तरण का प्रश्न आता है तो आर0 टी0 ओ0 आफिस में उनसे एन0 एस0 सी0 मांगा जाता है। वह छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, आपके विभाग के माध्यम से एन0 एस0 सी0 जमा करने में सफल नहीं हो पाते। परिवहन विभाग की छवि बढ़ रही है। इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा करके परिवहन विभाग की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आर0 टी0 ओ0 को इस संबंध में तुरन्त निर्देश जारी किये जायं जिससे इनका समाधान हो सके। हेलमेट के लिए जो घोषणा मा0 मंत्री जी ने की है इसकी तो मैं मांग ही करने जा रहा था। मैं स्वयं बहुत परेशानी अनुभव करता था। मेरे परिवार में पांच दुर्घटनायें हो चुकी हैं। मैं तो कहूंगा केवल ड्राइवर ही के लिये नहीं मोटर साइकिल में जो बैठकर चलाता है उसके लिए भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिवहन विभाग इस ओर प्रयत्नशील है। मा0 मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह प्रयास रखें स्मोक कन्ट्रोलर के माध्यम से इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं मा0 मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करता हूं और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धता के लिए उनको बधाई देता हूं। जय भारत।

श्री राम कृष्ण—

मान्यवर, आपने परिवहन के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आभारी हूं। मंत्री जी ने परिवहन विभाग में अनेकों सुविधायें उपलब्ध करायी हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ कमी भी हैं। कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। जैसा कि परिवहन मन्त्री जी ने बताया उन्होंने डीलक्स बसें लगवायीं। विभाग में जो नई बसें आती हैं वह एक-डेढ़ साल में ही खराब कर दी जाती हैं और अधिकारियों द्वारा कंडम दिखा दी जाती हैं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे परिवहन विभाग में घाटा हो रहा है । रोडवेज में भ्रष्टाचार की बातें आती हैं । जो घाटा हो रहा है उसका मुख्य कारण है सही ढंग से बसों का संचालन न किया जाना । सही समय से बसें नहीं चलायी जातीं । दो तीन घण्टे लेट चलती हैं । यात्री प्रतीक्षा करके दूसरे साधनों से चला जाता है।

मान्यवर, बसों के जो परमिट दिये जाते हैं उसमें प्राइवेट बसों के जो रोड निर्धारित किये जाते हैं वह मालुम नहीं होते कि किस तरह से निर्धारित किये जाते हैं। मनमाने ढंग से अधिकारी अपने खास-खास आदमियों को परमिट दे देते हैं। जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता इसमें हमारा सुझाव है कि प्राइवेट बसों को परमिट देने में आरक्षण की व्यवस्था की जाय। जिन क्षेत्रों में यातायात की कठिनाइयां हैं वहां प्राइवेट या रोडवेज की बसें चलायी जांय। जिससे दूसरे देहातों में यातायात की सुविधा हो सके। मान्यवर, मेरे क्षेत्र मछरेहटा में देहातों में बसों की व्यवस्था की जाय। नैमिष से मेरा क्षेत्र मछरेहटा मिला हुआ है उसमें लखनऊ से दो बसें चलती हैं । नैमिष के लिए लाखों तीर्थ यात्री रोजाना आते जाते हैं उनको आने-जाने में कठिनाई होती है। ठयाल व जंगवार तक उनको 50-50 किलो मीटर तक जाना पड़ता है और कभी-कभी रास्ते में ही रुकना पड़ता है और जो बाहर के लोग आते हैं वह हमारे यहां की परिवहन व्यवस्था को देखकर, जैसी इसकी वह स्थिति यहां पर देखते हैं, वह अपने यहां जाकर उसको कहते होंगे । इसी के साथ-साथ हमारे यहां तम्भौर से मछरेहटा और नीमसार तक जो रास्ता है, खड़न्जा स्तर तक तो मार्ग बन गया है, इसलिए यहां बसों के जाने की व्यवस्था मान्यवर, की जाए साथ ही मान्यवर, हमारे यहां सीतापुर से मिश्रिख व संधाना होती हुयी सिधौली को बस जाती थी, जो अब 10 जनवरी से बन्द कर दी गयी है, यह कहकर कि इस पर घाटा आ रहा है। इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी से व संबंधित अधिकारियों से भी अनुरोध किया, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर किसी बस की व्यवस्था नहीं की गयी है, मैं मान्यवर, अपनी जिम्मेदारी पर यह बात कह रहा हूं कि यदि माननीय मंत्री जी कल से इस बस को चलवा दें और पुनः इस बात को देख लें कि उस पर घाटा हो रहा है या नहीं, यदि घाटा फिर हो तो अवश्य उस बस को बन्द करवा दिया जाए । यह मान्यवर, तहसील मिश्रिख और जिला स्तर पर एक ही बस चलती थी, जिसके बंद हो जाने से वहां के तमाम कर्मचारियों को व आम जनता को आने जाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। साथ ही मान्यवर, अंत में एक अनुरोध और यह कहना है कि सीतापुर से नैमी तक 5 बसों की व्यवस्था और करवा दें जिससे हजारों की संख्या में जो तीर्थ यात्री आते हैं और अमावस्या पर वहां पर मेला भी लगता है, इस ओर माननीय मंत्री जी कृपया विशेष रूप से व्यवस्था कराने का कष्ट करें जिससे वहां के तीर्थ-यात्रियों को समस्त सुविधा प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं परिवहन विभाग आगे और भी इसी प्रकार से अच्छा काम करेगा, धन्यवाद।

*श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो परिवहन विभाग के बजट पर इस सम्मानित सदन में बोलने का अवसर दिया, अत्यंत आभारी हूं। मान्यवर, परिवहन विभाग का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेतृत्व करते हुए हमारे हरदिल अजीज माननीय परिवहन मंत्री जो इस विभाग में तब्दीलियां लाए हैं, वह मान्यवर, सर्वविदित हैं । इससे पहले भी मान्यवर, हम लोग इस विभाग की व्यवस्था को देखते थे और यह बातें बराबर सुनने में आती रहती थीं कि इन बसों में हार्न को छोड़कर सभी चीजें बजा करती थीं और दरवाजे को छोड़कर सभी चीजें अव्यस्थित रहती थीं, अब मान्यवर, यह तमाम कमियां ही न सिर्फ दूर हुयी हैं, बल्कि सभी कुछ पहले के देखते हुए ठीक हुआ है और हर चीज में बसों का सौन्दर्यीकरण किया गया है और आगे भी मान्यवर, दिन पर दिन इनकी समस्त व्यवस्था में निखार उत्पन्न होता ही रहेगा, जनता में ऐसा विश्वास पैदा होता जा रहा है, जो पहले संभव नहीं था । यह मान्यवर, डा0 संजय सिंह साहब के अथक प्रयासों व इनके विभाग के सम्मानित अधिकारियों के सहयोग से ही सम्भव हुआ है, इसके लिए यह सभी लोग बधाई के पात्र हैं और इनके द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हर प्रकार से स्वागत करता हूं।

आपने न सिर्फ प्रदेश में ही बल्कि प्रदेश के बाहर भी तमाम स्थानों का दौरा किया तथा अपने अधिकारियों को भेजा यह देखने के लिए कि इन प्रदेशों में इस ओर क्या-प्रगति हो रही है और मान्यवर, यही नहीं आपने देश के बाहर भी परिवहन व्यवस्था को देखने की कोशिश की और दूसरे देशों की चल रही व्यवस्था का भी अध्ययन कराया कि वहां की जो अच्छी चीजें हों उसको एडाप्ट करें और मैं इस सिलसिले में फक्र के साथ कह सकता हूं कि पहले इस विभाग में निहित तमाम कमियों और कठिनाइयों को न सिर्फ दूर किया गया है, बल्कि काफी नयापन भी सम्मिलित किया गया है । साथ ही मैं कुछ सुझाव के रूप में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि स्टूडेंट लाईफ को छोड़े हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है इसलिए इस संबंध में भी कुछ बातें रखना अपना कर्तव्य समझता हूं कि स्टूडेंट कन्सेसन की व्यवस्था हमारे भी इस विभाग में नहीं है, जिससे हमारे तमाम पढ़ने वाले भाइयों व खासतौर से बहिनों को वह सुविधा

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

नहीं मिल पा रही है, जो आपसे अपेक्षित है दूसरे छात्रों के हास्टल से यूनिवर्सिटी तक आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था कराई जाए, विधायकों को अपने विधायक निवास जाने के लिये कई बार बात आयी है कि इस सचिवालय से तमाम जो 6-7 विधायक निवास हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में एम0 पी0 के लिए बसें चलाई जाती हैं, यहां विधायकों के लिये बस का सुझाव आया है लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। मेरा आग्रह है कि कुछ बसें ऐसी चलाई जांय जो सिर्फ विधायकों के लिये हों, उन्हें विधान सभा ले जायं या मार्केट ले जायं । यह मैं गरीब विधायकों, आप विधायकों की बात कर रहा हूं, जिनके पास यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर एक लाख रुपया सभी लोग नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिये प्रतीक्षालय और विश्रामालय बनाए गये हैं, सम्भव हो तो बस स्टेशनों पर भी इसकी व्यवस्था कराई जाय, क्योंकि लांग रूट पर यह जरूरी हो जाता है कि यात्री बसों को छोड़कर अन्यत्र व्यवस्था करें ।

अब मैं खान-पान के बारे में कहना चाहता हूं । जिस तरह से रेलवे में केटरिंग और वेन्डर वालों को लाइसेंस दिया जाता है उसी तरह से बस स्टेशनों पर भी किसी केटरर या वेन्डर को बिना लाइसेंस सामान बेचने की इजाजत

नहीं दी जानी चाहिये। यह तो जनरल सुझाव थे। अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां आपके ही मुबारक हाथों से बस्ती मेंहदावल बस सेवा आरम्भ हुई थी। वह बस्ती से किसी कारण से चल नहीं रही है। इसके लिये मैं दो बार प्रार्थना-पत्र दे चुका हूं, फिर भी यह सर्विस शुरू नहीं हुई है। कहते हैं यह सड़क ठीक नहीं है, इसी प्रकार से केशवापुर से मरियावां-खलीलाबाद मार्ग पर भी बस सेवा पुनः शुरू कराई जाय। इसके अलावा बस्ती से इलाहाबाद जाने के लिये रेल की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें बस से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है मेरी गुजारिश है कि मेंहदावल से मरियावां होते हुए इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी के लिए बसें चलाई जायं . . .

श्री अधिष्ठाता—

मा0 अफसर यू0 अहमद साहब, अब खतम करें।

श्री अफसर यू0 अहमद—

मान्यवर, हमारे यहां केशवापुर से मरियावां होते हुए खलीलाबाद के लिये, हटवा से केशवापुर होते हुए गोरखपुर के लिये, पैन्डी से दानूकुइयां होते हुए केशवापुर के लिये, करमैनी से मेंहदावल होते हुए खलीलाबाद के लिये, करमैनी से नन्दौर होते हुए गोरखपुर के लिये तथा बाघनगर से ऊंचहरा होते हुए खलीलाबाद के लिये बसें चलाई जायं। इसके अलावा मेंहदावाल, बखिरा और सेमरियांवां में वर्कशाप बनाए जायं। नन्दौर, बखिरा, करमैनी, बेलौली, हटवा से मरियावां, बाघनगर और घूरापाली में बुकिंग विन्डो खोले जायं और बस्ती, सेमरियावां, मेंहदावल और बखिरा में विश्राम-गृह खोले जायं। इसके अतिरिक्त सेमरियावां, केशवापुर और करमैनी में बस डिपो बनाये जायं। इन शब्दों के साथ में मा0 परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में परिवहन विभाग प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मजबूती के साथ समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल की सीट पर बैठे सदस्य।

(हंसी)

*श्री राजीव कुमार सिंह—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने निर्दलीय विधायकों की तरफ से कटौती की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं उस कटौती की राशि को चाहता हूं कि परिवहन मंत्री जी के बजट में जोड़ दी जाय, जिससे कि और भी तेजी से विकास हो सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, जैसे कि मैं यह देखता हूं कि जो ट्रकें वगैरह होती हैं, वह प्रेस्क्राइब्ड वजन ले जाने के लिये होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जिनका वजन कम होता है, लेकिन ओवर लोड की वजह से उनको इतना सामान नहीं ले जाना होता है, जैसे भूसा है, पुआल है या धान है, यह सारी चीजें 100 क्विंटल तो नहीं ले जायी जा सकती हैं, लेकिन ओवर लोड होती हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उनका चालान होता है। जिससे कि जो ट्रक ओनर्स होते हैं, उन्हें भी नुकसान होता है और किसानों को इससे कहीं भारी नुकसान होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भूसे का रेट लखनऊ में 60 रु0 से लेकर 80 रु0 तक होता है, ट्रकों की ओवरलोडिंग के व्यय की वजह से, पुलिस को खर्चा देने की वजह से और अन्य जिस तरह की रास्ते में वसूली होती है, उसके व्यय की वजह से, छोटे जिलों में वह भूसा जब ट्रकों पर लदकर आता है, तो उसका काफी रेट अदा करना पड़ता है, उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। इससे किसानों को बहुत ही नुकसान होता है, उन्हें अधिक व्यय वहन करना पड़ता है। वह ट्रक ओनर्स भी बाध्य होते हैं कि अपने-अपने जिलों में, जो कुछ अलग से व्यय करना पड़ा, उसका भी दाम भूसे के रेट में जोड़ लें। धान की पुआल की ओवर लोडिंग की वजह से बहुत ही कम शहर में आवक होती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ही नुकसान होता है। सारा सामान श्रीमन्, ट्रकों के द्वारा ही शहर में आता है, इस चीज को अनदेखा किया जाता है उस समय। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों जैसे-पुआल है, धान है, इनको ओवर लोडिंग से छूट दे दी जाय, जिससे कि किसानों को राहत पहुंच सके। मान्यवर, इस छूट से किसानों को निस्संदेह बहुत ही लाभ होगा।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

आपने कटौती की बाबत कह दिया।

श्री राजीव कुमार सिंह—

मैंने पहले ही कह दिया कि उस कटौती को माननीय मंत्री जी के बजट में जोड़ दिया जाय, जिससे कि विकास और तेजी से हो सके।

मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद बाराबंकी की अपनी क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि बाराबंकी में एक ब्लाक में, जो पूरे डलई ब्लाक है, उसमें मात्र दो कि0मी0 तक बस जाती है, उससे आगे नहीं जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां भी बसों की संख्या बढ़ायी जाय और दूरी बढ़ायी जाय, जिससे वहां के नागरिकों को सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि तहसील पर एक बस स्टैंड बनाया जाय। मान्यवर, तहसील रामसनेही घाट-एक ऐसी जगह है, जहां से लोगों का फैजाबाद लखनऊ वगैरह आना-जाना लगातार बना रहता है। वहां काफी रश रहती है। इसलिये अनुरोध है कि तहसील स्तर पर एक बस स्टैण्ड वहां बना दें और बस स्टैण्ड के निमित्त जो आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं, वह भी वहां उपलब्ध करा दें। ताकि वहां के नागरिकों को सुविधा हो सके।

मान्यवर, साथ ही माननीय मंत्री जी से एक यह भी मांग करता हूं, कि आपके एसोसियेट मेम्बर होने के नाते, तीन मेम्बर यहां अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, उन्हें भी एक-एक बस का परमिट दे दें, जिससे संतुष्ट हो जायं और यह भी अनुरोध है कि इनके क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय, परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में। धन्यवाद।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री हरदेव, श्री वीरेन्द्र सोन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपने-अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर के दे दें।

श्री वीरेन्द्र सोन—

मान्यवर, एक मिनट का मौका दें। ताकि आगरा जनपद के संबंध में, वहां उपलब्ध परिवहन विभाग की सेवाओं के संबंध में, बात कही जा सके।

श्री अधिष्ठाता—

एक-एक मिनट में आप अपनी बात नहीं कह पायेंगे पूरे तौर से इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग विस्तार से अपने-अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर के दे दें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, एक मिनट का मौका दे दें। इलाहाबाद जनपद के संबंध में जरूरी बात कहनी है। साथ ही माननीय मंत्री जी के बजट पर धन्यवाद भी दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

इस पक्ष के लोग अपना धन्यवाद कह ही रहे हैं। आप लोग बैठें। अपने-अपने सुझाव लिखकर के माननीय मंत्री जी को दे दें।

डाक्टर संजय सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे साथियों ने, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उस पक्ष में भी जो इस समय बैठे हैं, वे विरोधी नहीं हैं, वे भी हमारे साथी हैं, जो सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य श्री पाण्डेय जी ने जो पुराने राष्ट्रीयकरण की विज्ञप्ति की बात कही है उसको वापस लेने का हमने निर्णय ले लिया है और यह कार्यवाही जो बहुत अरसे से लम्बित थी, अब मुकदमेंबाजी जो होती थी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे उन्होंने जो बात कही कि बस सर्विसेज बढ़ायी जायें इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं और मैंने अभी 87-88 के बजट में भी कहा है कि 200 नई बसें सिटी बसों के साथ लगाई जा रही हैं जिससे कि अवश्यमेव कानपुर को भी इसका लाभ मिलेगा और अन्य नगरों को भी सुविधा हो सकेगी। अफसर यू0 अहमद साहब ने एक सजेशन दिया और मैंने स्वयं नोट कर लिया है कि माननीय सदस्य जहां से भी आते हैं, चाहे बस से हो, या मिनी बस से हो हम उनके लिये व्यवस्था अवश्य करेंगे। विश्वविद्यालयों में स्टूडेन्ट्स के लिये उन्होंने कहा कि, जो हमारी विश्वविद्यालय की हमारी बहनें हैं, उनके लिये तो पहले से ही व्यवस्था है और अगर यदि स्टूडेन्ट्स पास चाहते हैं तो अगर 60 ट्रिप होती हैं तो उसमें किराया केवल 30 ट्रिपों का ही लिया जायगा, ऐसा प्राविधान अभी भी है। मैं इसके बारे में विचार करूंगा कि यह व्यवस्था और भी अच्छी तरह से हम उनको पहुंचा सकें। आपने बसों को चलाने की बात कही है मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी हम कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हमारे रामकृष्ण साहब ने कहा कि नीमसार से सिधौली के लम्बे रास्ते में बसों की व्यवस्था के बारे में और साथ ही नीमसार से सीतापुर बस सेवा के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह बस सेवा पहले से ही उपलब्ध है। नीमसार से सिधौली के संबंध में कहना चाहता हूं कि यात्रियों को यह रास्ता लम्बा पड़ेगा और इसका किराया भी अधिक

होगा और समय भी अधिक लगेगा। इस तरह से जो भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, करेंगे । परमिटों के कम्पलसरी होने की बात जो कही गयी है और जो एक बात कही कही गई वह किसी सदस्य के द्वारा जो रिजर्वेशन वगैरह के संबंध में है, वह अभी भी है। यह शेड्यूल कास्ट के लिये 18 प्रतिशत और बैकवर्ड के लिये 15 प्रतिशत तथा अदर्स के लिये 50 प्रतिशत है, यह अभी भी प्राविधान है । मान्यवर, इस तरह से जो भी हमारे साथियों ने जो सुझाव दिये हैं, ट्रकों के बारे में भी कहा गया कि एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा माल लादना नियमों के विरुद्ध है, इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है । यदि इस पर कन्ट्रोल न किया जाए तो वह और ऊपर तक लोडिंग चला जायेगा इसी लिये एक लाख 15 हजार ट्रकों का, ट्रांसपोर्ट व्हीकिल्स का चालान किया जा चुका है । इस तरह से हम कड़ाई जरूर कर रहे हैं । आज जो भी आप लोगों के सुझाव आये हैं, जो भी आपके सजेशन्स हैं । मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में इस कारपोरेशन के डिपार्टमेंट के माध्यम से अधिक से अधिक सुविधायें बढ़ाने के लिये हमारा विभाग प्रयत्नशील रहेगा । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से फिर यह निवेदन करता हूं कि आज जो ग्रान्ट्स रखी गई हैं उसको कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं । हालांकि मैंने इससे पूर्व भी उनको लिखित रूप से सूचना दी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एकमात्र साधन यातायात का है जो एक मात्र बसों के माध्यम से ही होता है, अभी हाल में परमिटों के रिन्यूवल, व इन्डोरसमेंट, हस्तान्तरण व अस्थाई परमिट की फीस बहुत ज्यादा ली जाने लगी है । पहले इन्डोर्समेन्ट के लिए 76 रुपया लिया जाता था अब 950 रुपए लिया जा रहा है, टैम्प्रेरी परमिट के लिए जहां पहले 36 रुपए लिए जाते थे, वहीं आज 850 रुपए लिया जा रहा है परमिट ट्रान्सफर के लिए पहले 500 सौ अब एक हजार रुपए व मृत्यु हो जाने पर परमिट के हस्तान्तरण पर पहले कुछ फीस नहीं थी अब 500 (पांच सौ) रु0 लिये जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप केवल स्पष्टीकरण करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या माननीय मंत्री जी इन सब पर पूर्व की भांति रहने या फीस कम करने का आश्वासन देंगे । दूसरा, प्रश्न कोटद्वार में, एक ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस की मांग बहुत पहले से की जा रही है, क्या मंत्री जी आर0 टी0 ओ0 का आफिस खुलवाने का आश्वासन देने का कष्ट करेंगे ।

*चौधरी परागी लाल–

मान्यवर, जो बड़े बड़े जिलों के नगर हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में महोली एक मिल है और एक कस्बा भी है और हरगांव मिल भी है और कस्बा भी है, क्या यहां पर बस अड्डा खुलवाने की कृपा करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र बिल्हौर में शहर के अन्दर 20 साल पुराना चल रहा एक बस स्टेशन था जो कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने था, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा रहती थी यदि किसी को ट्रेन नहीं मिल पाती थी, तो वह बस का सहारा ले लेता था लेकिन बीच में कुछ शरमायेदार थे, जिन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उस स्टेशन को शहर से बाहर कर दिया, जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है। इससे पहले भी जब मैं मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने पुरानी जगह पर स्थापित करने का आदेश दे दिया था, किन्तु फिर उन शरमायेदारों ने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उसे वहीं रखा, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी उस बस स्टेशन को शहर के अन्दर पुरानी जगह पर शिफ्ट करने के आदेश देने की कृपा करेंगे।

*श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, कुछ प्राइवेट रूट्स हैं, जिन पर यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 बस चलाने हेतु परमिट की मांग करती है, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी जो नेशनलाइज्ड रूट्स हैं, उस पर उतनी गाड़ियों के परमिट देंगे जितनी यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के पास गाड़ी चलाने की क्षमता है।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब माननीय मंत्री जी 12 जनवरी, 1987 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गये थे तो वहां पर उन्होंने एक जनसभा में यह कहा था कि उन समस्त मार्गों पर जहां पर यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की बसें नहीं चल रही हैं, उनका परीक्षण कराया जायेगा अगर उनकी आय का स्रोत ठीक स्तर का होगा तो वहां पर परिवहन की बसें चलाई जायेंगी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हैदरगढ़ से बाराबंकी रूट पर 12 बसें संचालित थीं लेकिन उसमें से केवल 6 बसें चल रही हैं हैदरगढ़ से भिटरही तक केवल एक बस चल रही है और सुबेहा से हैदरगढ़ तक कोई बस नहीं चल रही है, माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें।

*श्री वीरेन्द्र सोन–

एक जानकारी करना चाहता हूं कि आगरा में एक योजना 1976 में प्रस्तावित हुई थी कि आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की स्थापना की जायगी, वह स्थापना कब तक होगी ?

*श्री हरदेव–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आजमगढ़, बलिया, सुल्तानपुर से जो बसें लखनऊ होकर कानपुर को जाती हैं, जनहित में और जनप्रतिनिधियों की सुविधा को देखते हुए क्या उन्हें विधान सभा मार्ग से चलवाने की कृपा करेंगे ? माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा इनके यहां पूरा नहीं है, कितनी जल्द पूरा करा देंगे ? इसके अतिरिक्त, क्या माननीय मंत्री जी रसड़ा-बलिया में हलधरपुर, रतनपुरा और पकवाइनार में बस स्टेशन शीघ्र स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय परिवहन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थायी समिति की बैठक में मैंने सुझाव दिया था कि जैसे राजकीय परिवहन की बसों में विधायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आदि के लिये सीटें आरक्षित होती हैं, क्या उसी प्रकार प्राइवेट बसों में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलांगों आदि के लिये सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करायेंगे ?

*श्री योगेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निम्न प्रकार मांग करता हूं:–

(1) बदायूं जनपद में बिसौली-चन्दौसी 22 कि0 मी0 के टुकड़े में सिटी बस सर्विस की व्यवस्था की जाय, जो हर जगह से सवारी उतारे और चढ़ाये।

(2) बदायूं-दिल्ली-आगरा को जाने वाली बस को बदायूं-बिसौली-दिल्ली-आगरा चलाया जाय ।

(3) बदायूं-बिसौली-दिल्ली की बस को इस्लामनगर होकर दिल्ली भेजने की मांग करता हूं ।

(4) बदायूं-बिसौली-इस्लामनगर-अलीगढ़ मार्ग पर बस चलायी जाय ।

(5) मुडियां टी एरिया व फंजगंज टी एरिया पर सभी बसें रुकें व सवारी उतारें और चढ़ायें ।

(6) बिसौली के डिग्री छात्रों के लिए चिन्दौसी-बदायूं डिग्री कालेज दैनिक शिक्षा हेतु जाने के लिये "छात्र कन्सेशन" की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, विरोध पक्ष के अकेले और सारे विरोध पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे माननीय सदस्य की बात माननीय परिवहन मंत्री न टालें और उनकी बात का जरूर जवाब दे दें, बड़ा गुरुतर उत्तरदायित्व अपने कमजोर शरीर पर उनको निभाना पड़ रहा है ।

(हंसी)

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कई बड़े शहरों में सिटी बस चलाने की घोषणा की है । क्या माननीय मंत्री जी मेरठ शहर की आबादी और मिनी बस की खराब हालत को देखते हुए मेरठ सिटी में भी बसें चलवाने की घोषणा करेंगे?

*श्री राम सिंह (एडवोकेट)–

मैनपुरी में एक साल से पहले डिपो बन गया है, लेकिन वहां पर मात्र 4 बसें हैं, छोटी सी जगह में बस स्टेशन था, वह भी वैसा ही चल रहा है । क्या मैनपुरी में बसों की संख्या बढ़ाने और नया बस स्टेशन बनवाने का आश्वासन देंगे ?

*श्री सुरेश चन्द्र–

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रिक्तियों और परमिटों के खिलाफ जो स्टे होता है वह दस-दस साल तक पड़ा रह जाता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमें क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये मामले निपटा दिये जायं ?

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और बसों में बहुत सुधार हुआ है । इलाहाबाद में माननीय मंत्री जी ने बड़ी कृपा की है और बसों के रूप में तोहफा दिया है और बेशुमार बसें वहां दिखायी हैं । मेरा निर्वाचन क्षेत्र जहां रेलवे लाईन नहीं है और वह रेलवे लाईन से 90 किलोमीटर दूर है तो क्या मंत्री जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सर्वे करा कर वहां बसों को चलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, असलम साहेब ने कहा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के बारे में, उन्होंने जो दरखास्त की है, तो उस विषय में मैंने फैसला कर लिया है कि जो बसें नहीं चल सकेंगी उन्हें परमिट नहीं मिलेगा, जो परमिट लेकर रोजगारी करेगा, इसलिये उनको सजा दी जायेगी । यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के माध्यम से कोई बाधा नहीं पहुंचने पायेगी । सुरेन्द्र नाथ अवस्थी ने धांधली के बारे में डिमान्ड की। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बसें उनके यहां नहीं चल रही हैं वह इस महीने तक अवश्य चल जायेंगी । जहां तक माननीय सदस्यों की मांग बस स्टेशन की बिल्डिंग के संबंध में है, तो उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन की जो आर्थिक स्थिति है वह अभी ऐसी नहीं है क्योंकि अभी हमारी कोशिश नयी बसों के बढ़ाने में उनके आपरेशन को पूर्ण करने में है । जहां कहीं छोटा-मोटा बस स्टाफ बनाने की जरूरत है, उसे अवश्य किया जायेगा, लेकिन आज बस स्टेशन बनाने के लिये हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है ।

माननीय कुरील साहेब ने बिल्हौर में बस स्टेशन की बात की थी । मैंने उसके बारे में लखनऊ स्तर से अधिकारियों को भेजा था जांच के लिये । जहां बस स्टेशन उपयुक्त पाया गया वहीं बस स्टेशन चल रही है और जिन माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं, हर चीज को मैंने नोट कर लिया है, इस संबंध में जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दे सकेंगे वह उनको दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,87,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53-वन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-वन विभाग के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,31,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, संक्षेप में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि वनों की महत्ता दिन प्रति दिन बढ़ रही है और आज के बदले हुए युग में जबकि पूरे संसार में इसका बड़ा महत्व है ऊर्जा का स्रोत, बढ़ती हुई जनसंख्या इसके साथ ही साथ पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए आज संसार में वनों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिये अपना महत्व है । जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1952 में इस ओर देखा गया कि किस प्रकार से वनों की आबादी को बढ़ाया जा सकता है । 1952 में वन नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी और उस नीति के अंतर्गत यह महसूस किया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 प्रतिशत वन हैं, जब कि 33 प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है । सैट लाइट के द्वारा पूरी तरह से वनों पर विचार किया गया, तो महसूस किया गया कि 33 प्रतिशत से कम, 11 प्रतिशत वन हैं, तो काफी समस्या दिखाई पड़ी और 1952 की जो वन नीति है, उसको पूरा करने के लिये हमारा बहुत बड़ा विभाग सामने है। 33 प्रतिशत वनों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है ।

मान्यवर, हमें पेड़ों की जीवन से मरण तक आवश्यकता होती है, हमें इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है । इससे पर्यावरण की समस्या दूर होगी और सूखा बाढ़, जिससे किसानों को दिक्कत हो जाती है, जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, इन सब चीजों को देखते हुए वन विभाग ने कुछ उपलब्धियां की हैं और इस साल 1987-88 में 60 करोड़ पेड़ लगाने का प्राविधान किया गया है और पिछले साल 1986-87 में 48.65 करोड़ पेड़ लगाये गये थे, जो एक कीर्तिमान थी और पूरे भारत के अन्दर हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, यह कार्य सामाजिक वानिकी के अंतर्गत हुआ है और उसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लेकर हम आये हैं और वनों को लगाया है । सड़कों के किनारे रेल की पटरियों के किनारे, नहरों के किनारे जहां पर तमाम जमीन बेकार पड़ी हुई है, वहां पर पेड़ लगाये जा रहे हैं । विश्व बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है और जो वन नीति है उस ओर हम बहुत तेजी से बढ़ते चले जायेंगे और मान्यवर, बिना माननीय सदस्यों की सहायता के हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, 1956-57 तक 600 हेक्टर भूमि पर, 1956-57 से 1977 तक 27000 हेक्टर भूमि पर 1980-85 तक 46000 हेक्टर भूमि पर प्रतिवर्ष पेड़ लगाये गये हैं और 1987-88 में 1,00,000 हेक्टर भूमि पर पेड़ लगाने का प्राविधान है । मान्यवर, इसी प्रकार से कृषि वानिकी में 1980-81 में 2.5 करोड़, 1982-83 में 14.5 करोड़, 1985-86 में 25 करोड़, 1986-87 में 35.50 करोड़ पौध का वितरण किया गया है और 1987-88 में 42 करोड़ पौध वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1986 में 45 करोड़ पौध का लक्ष्य था जिसमें से उपलब्धि मान्यवर, 48.65 करोड़ की हुई और 1987 में 64 करोड़

पौध का लक्ष्य रखा गया है । हमारे प्रधान मंत्री ने परती भूमि विकास योजना का अभियान चलाया है और जिसके अंतर्गत 5 जनवरी, 1985 को प्रधान मंत्री ने 50 लाख हेक्टर परती भूमि में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का आह्वान किया है । इस ओर मान्यवर, हम तेजी से कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, प्रदेश में परती भूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु समितियों का गठन किया गया है, एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त अध्यक्ष होंगे, सचिवालय स्तर पर परती भूमि विकास सेल का गठन किया गया है, जिला स्तर पर जो समिति होगी उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और जो ब्लाक स्तर पर समिति होगी उसका अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख होंगे, जो परती जमीन को देखकर पेड़ लगाने का क्रम जारी रखेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ 17 हजार लोगों को जमीन के ऊपर पट्टा देने का लक्ष्य दिया गया था इसके विरुद्ध 53,450 पट्टों का हमने आवंटन कर दिया है । इस तरह से वन विभाग ने जो कार्य किये हैं उसके अंतर्गत कुछ नई योजनायें भी शुरू की गई हैं । किसान नर्सरी जो पिछले साल घोषित की गई थी जो कि किसानों के लिये एक नर्सरी का कार्यक्रम बनाया गया है कि वे हमसे पौधा ले जायं और नर्सरी कायम करें और उनको बेंचें । यदि वे पूरे पेड़ नहीं बेच पाते हैं, तो उनके 80 प्रतिशत पेड़ों को वन विभाग खरीद लेगा । इससे जो यहां पर पौधों की कमी थी वह दूर हो गई । हम चाहते हैं कि जो कार्यक्रम हमारा यह चल रहा है वह जनता के बीच में आये, किसानों के बीच में आये, विद्यार्थियों के बीच में आये, अवाम के बीच में आये।

स्कूल नर्सरी के अंतर्गत स्कूलों में जो जमीन पड़ी हुई है उसके लिये हमने उनको पेड़ दिये हैं, पानी के साधन दिये हैं, औजार दिये हैं और उनसे कहा है कि वे अपनी नर्सरी पैदा करें और साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर हमने 30 पैसे का पेड़ दिया है तो 45 पैसे में हम उनसे खरीदेंगे और इस प्रकार 15 पैसा उनको प्रोत्साहन का मिल जाता है । इस तरह से जो पैसा इकठ्ठा होता है वह बच्चों के सामूहिक लाभ के लिये जैसे पुस्तकों की खरीद, खेलकूद के सामान की खरीद और बच्चों के दोपहर के भोजन के काम में आता है । इससे लाखों बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों द्वारा भी पौधालयों का काम किया जा रहा है । जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 11 जनपदों में नर्सरी का काम हाथ में लिया है । इसके साथ ही साथ वृक्षा रोपण में जनसहयोग प्राप्त करने के लिये कई कार्यक्रम चलाये गये हैं । ट्री पट्टा योजना के अंतर्गत दो साल तक पेड़ों की देखरेख करने के बाद इनका पट्टा भी लगाने वाले व्यक्ति के नाम पर कर दिया जायेगा । इस प्रकार लाभार्थी परिवारों में 50 प्रतिशत तक की संख्या अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की होगी तथा 30 प्रतिशत पट्टे महिलाओं को दिये जायेंगे । इसके अलावा कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं जैसे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा पी0 आर0 डी0 ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इस प्रकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन तथा स्वयं सेवी संस्थाओं हैं जो वृक्षारोपण का कार्य कर रही हैं । पिछले वर्ष भी कुछ संस्थाओं ने जैसे वनवासी सेवा आश्रम ने मिर्जापुर में दशौली ग्राम स्वराज्य संघ ने चमौली में हरदोई सर्वोदय आश्रम ने हरदोई में वृक्षारोपण का कार्य किया है ।

इसी तरह से बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत जो बीहड़ इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां हवाई जहाज द्वारा बीज का छिड़काव किया जा रहा है।

इसके साथ ही साथ ऊसर भूमि में जहां एक आदमी दिन भर में 10 गढ्ढे खोद पाता था वहां अब ट्रैक्टर में लगे कंकड़ पैन एक विशेष औजार के द्वारा 500 गढ्ढे खोद सकता है। इससे समय की बचत भी होगी और ज्यादा गढ्ढे भी खोदे जा सकते हैं। मेरठ में इस औजार का ईजाद किया गया है। धीरे-धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा।

इसके साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर परती भूमि के विकास के अंतर्गत काम किया गया है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही वेस्ट लैंड विकास में अच्छा काम के लिये वृक्ष मित्र पुरस्कार की एक योजना चलाई है जिसमें अच्छा काम करने वालों को भारत सरकार पुरस्कार देती है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा उनके प्रथम स्थान पर आने के लिये दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी आप बाद में भी बोलेंगे।

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, यह सामाजिक वानिकी की योजनायें थीं। मैं कुछ वाइल्ड लाइफ के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी आप उत्तर भाषण में जोड़ दीजिएगा।

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, इस वर्ष 1987-88 में कुछ नई सेन्चुरी हम बना रहे हैं। गोरखपुर में सोहागीवरवा तथा बहराइच में सोहेलवा में पशु बिहारों की स्थापना करने पर विचार चल रहा है। इसी तरह जो हमने राजाजी पार्क की घोषणा की थी वह बनने जा रहीहै उसकी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उसमें रहने वाले 542 गूजर परिवारों की एक कालोनी बनाई जा रही है उसमें 3 करोड़ रु0 की लागत आयेगी जो बहुत जल्द पूरी हो जायेगी और वर्ष राजाजी पार्क ओपन करने की घोषणा हो जायेगी।

इसी प्रकार कछुवा प्रजनन केन्द्र की भी योजना है जिसमें गंगा नदी में प्रदूषण को दूर करने के लिये भारत सरकार के एक्शन प्लान के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है जिसमें इलाहाबाद, कानपुर, बनारस में ब्रीडिंग सेंटर खोल रहे हैं। इसी के साथ दुधवा नेशनल पार्क में शेरों का काफी आतंक है, उसको कम करने के लिये बहुत से कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें मैनीटर शेरों के आतंक की समस्या के हल सुझाए जायेंगे। हमने दुधवा नेशनल पार्क को टायगर रिजर्व पार्क बनाने की अनुमति भारत सरकार से मांगी है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानी निर्माण कार्यों में होती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस संबंध में नैनीताल में पिछले वर्ष मीटिंग की थी उन्होंने आदेश दिये थे कि इन समस्याओं को जल्दी दूर किया जाय तो

उनके आदेशों का पालन हो चुका है । कुछ केसेज हैं जो इरिगेशन विभाग में बचे हैं, वन विभाग में बहुत कम मामले हैं जो हैं भी उनके शीघ्र निस्तारण के लिये अधिकारियों को नियुक्त किया गया है आशा है उनको जल्दी निस्तारित कर दिया जायेगा ।

वनों की सुरक्षा के संबंध में भी हमने पर्याप्त उपाय किये हैं । आग से बचाव के लिये एक हैलीकाप्टर तथा एक प्लेन लिया है। यह हैलीकाप्टर पंतनगर में आ गया है । इस संबंध में ट्रेनिंग के लिये अधिकारी अमेरिका भेजे गये थे वह ट्रेनिंग लेकर आ गये हैं । पंतनगर में अधिकारियों द्वारा काम किया जायेगा और हमारा प्रयत्न है कि इस समस्या पर काबू पाया जा सके । इसी के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम योजना के अंतर्गत करीब 40 करोड़ का अनाज मिल रहा है उसमें कुछ पैसा भी है जिसको हम अपने कर्मचारियों को देंगे उससे उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा, उनके रहन-शहन के स्तर में वृद्धि होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

बाद में बता दें ।

श्री जफर अली नकवी--

इसी के साथ वन निगम के संबंध में बताना चाहता हूं । इसने 106 विक्रय केन्द्र खोले हैं । 5 हजार से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में वन निगम के डिपो खोलने की बात है । वन निगम का टर्नओवर लगभग 64 लाख रुपये था जो 1985-86 में बढ़ कर लगभग 108 करोड़ हो गया है ।

इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में सामाजिक बानकी की योजना चलाई जा रही है क्योंकि नगर पालिकायें यह काम बहुत कम करती हैं और बहुत कम पार्क हैं नगर पालिकायें इस मद में कम खर्च करती हैं । अतः शहरी क्षेत्रों इस योजना के अंतर्गत सारा व्यय वन विभाग ही करेगा ।

कालागढ़ में वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं । इस समय हमारे प्रदेश में कोई वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इसके खुलने से हम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे ।

इसी तरह वैट लैण्ड सैंचुरी का विकास करने की योजना है । इसके साथ साथ कुछ झीलों को विकसित किया जायेगा जिसमें इस समय हमने कुछ झीलों को लिया है जिसमें हरदोई में सांडी, सीतापुर में ज्योतिशाह आलम फर्रुखाबाद में लखबहोसी, मैनपुरी में सगल, बदायूं में सहसवा, गाजियाबाद में सूरजपुर, आगरा में तीथम, बहराइच में सीताबोहरा, खीरी में रमियां बेहर आदि इस प्रकार की 15 योजनायें झीलों के संबंध में हैं । जिसमें पक्षियों को बसाया जायेगा जो हमारी शोभा है । जहां हम यह सब काम कर रहे हैं वहीं हमारा प्रशासन काफी चुस्त हुआ है । हमने मंडलीय स्तर पर कंजरवेटर दिये हैं, जिसमें मेरठ तथा मुरादाबाद में एक एक कंजरवेटर तैनात किये हैं । 9 जिलों में हमारे डी0 एफ0 ओ0 नहीं थे उनमें डी0 एफ0 ओ0 नियुक्त कर दिये हैं और हर ब्लाक स्तर पर एक एक रेंज आफिसर रहेगा । इस प्रकार पूरे प्रदेश में ब्लाक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रशासन को चुस्त किया है ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जब हमारे माननीय सदस्य डिबेट में भाग लेंगे तो अपने अपने सुझाव देंगे जिनके आधार पर वन विभाग अपने काम में कामयाब होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोहम्मद अस्लम खां–

व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी ने लम्बा चौड़ा भाषण दिया लेकिन जीवजन्तु विरोध पक्ष में यहां कोई है नहीं, इसलिये चर्चा होना कोई शोभा नही देता ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नही है ।

अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिये नत्थी (छ) जिनके नाम दिये है कोई भी विपस का सदस्य उपस्थित नहीं है और अन्य किसी सदस्य को प्राधिकृत भी नहीं किया गया है, इसलिए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । लेकिन मूल बजट प्रस्ताव पर चर्चा में अन्य सदस्य भाग ले सकते हैं ।

*श्री पूरन सिंह माहरा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वन विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर चंद सुझाव देने का मुझे अवसर प्रदान किया । मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के इस रवैये की घोर निंदा करता हूं कि प्रदेश के इतने बड़े बजट को उन्होंने किस तरह उपेक्षा की दृष्टि से देखा और किस तरह वे सदन का बहिष्कार करके चले गये ।

मैं मंत्री जी के बजट भाषण को गौर से सुन रहा था, मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें जब तक आप जनता का सहयोग नही लेंगे तब तक यह कार्य सरकार के माध्यम से पूरा होना संभव नहीं है । जहांतक पर्वतीय क्षेत्र का वनों का संबंध है, पर्वतीय क्षेत्रों में वन अधिक से अधिक है और पर्वतीय लोगों पर ही जिम्मेदारी आपने डाल दिया है कि देश और प्रदेश के पर्यावरण के लिए वे आगे बढ़कर आयें, तो जब तक आप पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कुछ रियायतें मुहैया नही करेंगे जो पूर्व में मिलती थीं, तब तक इसमें भी सफलता मिलने की आशा नजर नही आ रही है । इसलिए आपसे निवेदन है कि पूर्व में, अंग्रेजी शासन काल में, पर्वतीय लोगों को वनों से जोड़ने के लिये ग्रामीणों को छोटे छोटे मकानों को बनाने के लिये कुछ हक-हकूक, कुछ अधिकार थे, लेकिन आज आजादी के 40 वर्षों बाद भी उनके हक-हकूकों को रिवाइव, जीवित नहीं किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बनाकर पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों का सर्वे कराकर सब को बराबर हक-हकूक मुहैया करायें जिससे वनों को वह अपना समझे और आग लगने पर बुझाने में वह आगे आयें ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आपने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, भूमि हस्तान्तरित के जो मामले होते हैं उसमें आपने एक मंडल अधिकारी बना रखा है लेकिन विभागीय लोग इसमें न होने से कठिनाई पैदा होती है, पत्राचार में मामले लम्बित हो जाते हैं, इसलिए सुझाव है कि तीन-चार विभागों जैसे पी0 डब्लू0 डी0, जल निगम, विद्युत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभाग आदि की एक कमेटी बनाकर मंडल अधिकारी के साथ मामलों का निपटारा किया जाये जिससे आने वाले समय में लोगों को सुविधा प्रदान हो सके ।

मान्यवर, दूसरी बात किसान नर्सरी की आपने रखी । मेरा निवेदन है कि किसान नर्सरी के लिये आप जितना कम पैसा देते हैं वह पर्वतीय क्षेत्र की दृष्टि से पूर्ण नहीं है, इसलिये इसको दुगुना करना चाहिए ताकि किसान नर्सरी लगाने में आगे आयें और उनको लाभ मिले ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में भूमि का परीक्षण कराकर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष लगाएं, जो मवेशियों के चारे का काम करेंगी और प्रदेश में पानी का स्रोत बने, जो सूखा रहता है, उसमें मदद मिलेगी ।

मान्यवर, पांचवीं बात मैं कहना चाहता हूं कि वन निगम अच्छी तरह से काम कर रहा है लेकिन जब तक इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के हर शहर और हर कस्बे में टाल द्वारा जलानी लकड़ी और इमारती लकड़ी न देंगे तब तक वहां के लोग लकड़ी लेने कहां जायेंगे? इसलिए जरूरी है कि हर कस्बे में और हर शहर में . . . . हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आप अपने वन निगम को निर्देशित करें कि वह ऐसे टाल लगाए और उन पर ऐसी लकड़ी रखे ।

सारे देश के पर्यावरण के प्रश्न को आपने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के कन्धों पर डाल दिया है, लेकिन उनको यदि आप उससे जोड़ने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं देंगे जैसे वे कुकिंग गैस की बात करते हैं, मिट्टी के तेल की बात करते हैं, इसके लिए भी आपको वन निगम को आगे लाना होगा । आप वन निगम को इसके लिए भी निर्देशित करें कि यह उनके लिए मिट्टी के तेल व कुकिंग गैस की व्यवस्था सुनिश्चित कराए । साथ ही वन निगम को सब्सीडाईज्ड रेट पर उनके लिए मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस का प्रबन्ध करना होगा । यही नहीं जो फीडर वहां के मवेशी खाते हैं, वह वन निगम इसका भी प्रबन्ध करे । पर्वतीय क्षेत्र में वन अधिनियम लागू हो गया है और वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि वनों का कम विच्छेदन हो, तो वन विभाग की वहां जो पुरानी सड़कें हैं, उनको डिपाजिट वर्क मानकर, पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से, जिसके पास सभी प्रकार के टेकनिकल आदमी और सामान है, शीघ्र पक्का करा दें उसका लेपन करा दें । इससे वहां के लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाएगी तथा वनों की रक्षा भी और अच्छी तरह से हो जाएगी । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपने जो बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बजट का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां–

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपने जो बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । चूंकि समय ज्यादा हो गया है, सारे सदस्यों को देख रहा हूं कि उनमें एक ऐसी भावना पैदा हो गई है कि यहां अब जो भी बात कही जाए, संक्षेप में कही जाए, उसी के अनुसार मैं अपनी बात थोड़े में कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, , मैं वन बजट के बारे में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इसका जो महत्व है पर्यावरण के लिए, मैं समझता हूं कि उसको पूरे देश की जनता के सामने ठीक से पेश नहीं किया गया है। इस सिलसिले में मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि शायद बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि एक पेड़ जो 50 वर्ष का हो, उससे कितना फायदा समाज को होता है। उससे रिसर्च करके अन्दाजा लगाया गया है कि 16 लाख रुपये का कुल फायदा समाज को होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वन विभाग के पेड़ों से कितना लाभ होगा। वन वर्षा करते हैं, बारिश में पूरी तरह सहायक होते हैं, हवा का परिष्करण करते हैं, वन फालतू पानी को अपने में सोखे रहते हैं जिससे बाढ़ आदि में कमी रहती है और पानी संचित रहता है। जल की ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं और स्वायल इरोजन को भी रोकते हैं। इससे मालूम होता है कि हमारे लिए वनों का कितना महत्व है और इनको बचाने की कितनी कोशिश करनी चाहिए।

मुझे यह कहने में खुशी होती है कि भारत सरकार ने जो नीति अपनाई और जो योजनाएं चलायीं और प्रदेश में जो काम हुए हैं, उससे बहुत कुछ फायदा हुआ है। लेकिन यह पता चला है कि फारेस्ट एरिया, जो सेटेलाइट से देखा गया है, जो पहले 25 लाख 59 हजार हेक्टर था, अब 85-86 में घटकर केवल 21 लाख हेक्टर रह गया है। इससे स्पष्ट है कि यह फारेस्ट एरिया अब बहुत कम हो गया है। तो हमको इसके कटान को रोकने पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए पूरा प्रयास भी करना चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि वन एरिया कम न हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा अभी वन राज्य मंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में नर्सरी कायम की गई है, यह उनका अच्छा काम है। लेकिन मैं एक चीज और चाहूंगा कि हर स्कूल और कालेज में हर विद्यार्थी को इस ओर प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए कि वह कम से कम एक पेड़ साल में लगाए और उसका नाम भी पेड़ से जोड़ा जाए, ताकि उसकी सुरक्षा करने में उसके मन में दिलचस्पी पैदा हो। इसी के साथ-साथ जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको आधे दिन या एक दिन की छुट्टी देकर एक खास दिन निश्चित किया जाए ताकि वह पेड़ लगा सकें। हर जनपद में इनवायरनमेन्टल फारेस्ट बनाने की व्यवस्था की जाए। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि जो भी प्राधिकरण हैं इनमें जो योजनायें बनायी जा रही हैं इसमें पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसमें जो पार्क आदि की स्कीम है उसमें वनीयकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हर विभाग को कुछ प्रतिशत धनराशि इस चीज के लिए मुहैया होनी चाहिए कि दरख्तों को, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जा सके और हमारे यहां जो वन का क्षेत्रफल कम हो रहा है उसको बढ़ाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए श्री माहरा जी ने जिस ओर ध्यान दिलाया है हक और हुकूक की तरफ तथा अन्य जो सुझाव दिए हैं इन सब सुझावों को हम देखेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र का बहुत बड़ा भू-भाग वन से आच्छादित है। मान्यवर, वहीं जिम कारबेट तथा राजाजी पार्क हैं। पार्क के 5 कि0 मी0 की परिधि तक जंगली जानवरों, मवेशी मारे जाने पर उनको मुआवजा दिया जाता है, किन्तु पर्वतीय अंचल के अन्य जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों द्वारा मवेशियों और आदमियों के मारे जाने पर स्थानीय लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता है और न ही जानवरों (शेर, बाघ, भालू) को मारने की इजाजत है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग में मुआवजे देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री जफर अली नकवी–

इस ओर हम विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,31,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 14 में कोई प्रस्तावक नहीं है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

संशोधन के लिए कोई है नहीं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड 2, 3 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 18 मई, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात— — संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 में नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी नियत करना वह उचित समझें, किसी सरकार, व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को, चाहे वह निगमित या अनिगमित हो, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए समस्त या किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, सन 1987 — निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड—1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

वाराणसी, आगरा तथा हाथरस में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

(नगर विकास राज्य मंत्री के वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

वाराणसी में पेयजल समस्या

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

[श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई कि वाराणसी में जल संस्थान द्वारा पेयजल की आपूर्ति 2 जुलाई, 1987 से बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप हजारों नागरिक प्यास से तड़प उठे और भीषण गर्मी से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से नागरिकों में असन्तोष हो गया। इस सम्बन्ध में राजनैतिक दल के कार्यकर्ता जब महाप्रबन्धक, जल संस्थान, वाराणसी से मिलने गये तो महाप्रबन्धक ने उनसे दुर्व्यवहार किया तथा फर्जी मुकदमा लिखवाकर गिरफ्तार करवा दिया।

इस सम्बन्ध में सचिव, वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी ने सूचित किया कि मार्च, 1987 में वाराणसी नगर में नदी से 70 मिलियन लीटर तथा नलकूप से 100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही थी जबकि नगर की आवश्यकता 270 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी। दिनांक 31-3-1987 से नदी से लगभग 120 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन लेना आरम्भ किया गया किन्तु अप्रैल में विद्युत आपूर्ति की रोस्टरिंग के कारण जलापूर्ति में बाधा पड़ी। वाराणसी में जलापूर्ति की समस्या को देखते हुए वर्ष 1986 में 100 हैण्ड पम्प लगाये गये तथा इस वर्ष भी 100 हैण्ड पम्प लगाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की योजना बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :–

(1) भदैनी में गंगा नदी पर बनाये पम्प हाउस का निर्माण जिससे 150 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल प्रतिदिन भेलूपुर को पम्प किया जा सके।

(2) भेलूपुर पर पानी साफ करने की क्षमता बढ़ाकर 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन करना तथा वरुणा नदी से दक्षिण के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए पानी पम्प करने के लिए व्यवस्था करना।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–दिनांक 2 जुलाई, 1987 को प्रातः लगभग 8.30 बजे विश्वविद्यालय के कतिपय छात्र एवं 80–90 व्यक्ति भेलूपुर जल संस्थान प्रांगण में महा प्रबन्धक के आवास में घुस गए तथा महा प्रबन्धक एवं उनके परिवार के सदस्यों से अभद्र व्यवहार किया तथा तोड़-फोड़ की। इस घटना की सूचना मिलते ही जल संस्थान के कर्मचारियों ने कार्य करना बन्द कर दिया। जल संस्थान के चौकीदार ने उक्त घटना की सूचना थाने में दर्ज करवा दी। उसी दिन सायंकाल 6.00 बजे जलापूर्ति पुनः आरम्भ कर दी गयी। वाराणसी नगर में पेयजल अभाव के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

आगरा में पेयजल समस्या

श्री विजय सिंह राणा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि आगरा शहर में जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। सम्पूर्ण संसाधनों से कुल मिलाकर जल संस्थान द्वारा 43 कि0 ली0 पानी उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि 600 कि0 ली0 पानी की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री जी जब आगरा गये तो यमुना नदी पर एक बैराज बनाये जाने की स्वीकृति की घोषणा कर आये थे जिसका भविष्य खटाई में पड़ जाने से समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता। आगरा शहर के अतिरिक्त जिले के गांवों में भी पीने के पानी का अभाव है। कुएं सूख गये हैं जिन गांवों में पीने के पानी की टंकियां हैं, वह बिजली के अभाव में पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं।

इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा ने सूचित किया है कि आगरा नगर में पेयजल का एक मात्र श्रोत यमुना नदी है। दिल्ली नगर की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा सिंचाई कार्य हेतु यमुना नदी का जल ओखला बैराज पर रोक लिया जाता है। इस प्रव्वार ओखला के आगे यमुना में जल प्रवाह नगण्य रह जाता है। आगरा नगर की औसत पेयजल आवश्यकता 60 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। जिसके विरुद्ध जलापूर्ति लगभग 43.5 मिलियन गैलन है। आगरा नगर की जल सम्पूर्ति में सुधार हेतु रु0 1929.38 लाख की अनुमानित लागत की एक योजना विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करके कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें लगभग 5 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

आगरा जनपद में कुल 1082 ग्राम हैं जिसमें वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार 674 गांव समस्याग्रस्त घोषित किये गये थे। इनमें से 365 ग्रामों को पाइप द्वारा तथा 309 ग्रामों को इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 1985 में 207 ग्राम और समस्याग्रस्त घोषित किये गये जिनमें से मार्च, 1987 तक 179 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कर दी गयी। अवशेष को सप्तम पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक पानी की टंकी पर सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण डीजल इंजन जनरेटर लगाना सम्भव नहीं है।

हाथरस जनपद अलीगढ़ में पेयजल समस्या

श्री बंगाली सिंह द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत हाथरस, जनपद अलीगढ़ में एक साल से पीने के पानी के अभाव की सूचना दी गई है तथा कहा है कि जनता एक-एक बून्द पानी के लिए तरस रही है। आज भी हाथरस में पीने के पानी की कड़ी समस्या है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने सूचित किया है कि जनपद अलीगढ़ के हाथरस नगर में पेयजलापूर्ति हेतु 11 नलकूप, 3 टैंक तथा 57 हैण्ड पम्प हैं। एक नलकूप ने पानी देना बन्द कर दिया है तथा एक नलकूप में जल श्राव कम हो गया है। शेष 9 नलकूप व सभी हैण्डपम्प पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में नगर में 23,40,000 गैलन पानी की प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है। नगर में पानी का अभाव नहीं है, कुछ ऊंचे पर स्थित मोहल्ले सीकानापान, चौक दिल्ली वाला, तबेला आदि स्थानों पर गर्मी में पानी की आंशिक समस्या हो जाती है। विद्युत आपूर्ति में आकस्मिक व्यवधान होने से पेयजलापूर्ति की समस्या हो जाती है। इस वर्ष बिजली की कटौती के कारण पेयजल की समस्या अधिक हो गयी है।]

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न करने वाला कोई नहीं है।

जनपद अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर आदि में गन्ने की फसल में पायरिला का प्रकोप होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(गन्ना विकास राज्य मंत्री के वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

[पायरिला कीट गन्ना तथा अन्य फसलों का एक भयंकर तथा हानिकारक कीट है। यह पत्तियों का रस चूस कर हानि पहुंचाती है। इस कीट के जीवन चक्र के अनुसार एक वर्ष में लगभग चार पीढ़ियां होती हैं।

2–इस कीट का प्रकोप मार्च, 1987 में जनपद नैनीताल में गन्ने की फसल पर देखा गया। तदुपरान्त दिनांक 8 अप्रैल, 1987 को प्रभावित क्षेत्र का सर्वे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वैज्ञानिकों से कराने हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक 8 अप्रैल, 1987 को समस्त उप गन्ना आयुक्तों, जिला गन्ना अधिकारियों एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे पायरिला नियंत्रण के संबंध में युद्ध स्तर पर अभियान के रूप में कार्यवाही करें और पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण पायरिला प्रकोप के सम्बन्ध में करायें।

3–नैनीताल जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों–देवरिया, बस्ती, रामपुर, मेरठ, गोरखपुर और गोण्डा से भी पायरिला के प्रकोप की सूचना प्राप्त होने पर अपेक्षित सर्वे-

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षण के लिए समस्त सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। सर्वेक्षण के उपरान्त 34 जनपदों में पायरिला का प्रभाव कहीं कम और कहीं अधिक परिलक्षित हुआ। सम्बन्धित जनपदों के 41,00,617 एकड़ गन्ना क्षेत्रफल में से लगभग 97,622 एकड़ क्षेत्र पायरिला कीट से प्रभावित पाया गया। इसमें से 81,736 एकड़ क्षेत्रफल में पायरिला कीट का प्रकोप नगण्य एवं न्यून तथा 15,886 एकड़ में मध्यम स्तर का है। जनपदवार सूचना संलग्न है।

4—प्रदेश के पश्चिमी जनपद अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बुलन्दशहर तथा मथुरा में दिनांक 30 जून, 1987 तक की सूचनाओं के अनुसार पायरिला प्रकोप तथा उसके नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	जनपद का नाम	गन्ना क्षेत्रफल (एकड़)	प्रकोपित क्षेत्र (एकड़)	नियंत्रित क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4	5
1	अलीगढ़ ..	34,260	1,381	374
2	मुजफ्फरनगर ..	4,00,111	1,287	156
3	गाजियाबाद ..	1,36,206	1,929	764
4	मेरठ ..	3,74,249	24,877	18,118
5	सहारनपुर ..	3,43,443	933	933
6	बुलन्दशहर ..	82,521	6,670	5,741
7	मथुरा ..	37,393	100	.
	योग ..	14,08,183	37,177	26,086

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपर्युक्त सात जनपदों में पायरिला का प्रकोप केवल 37,177 एकड़ क्षेत्रफल पर पाया गया जिसमें से 3106 एकड़ में यह प्रकोप मध्यम तथा 34071 एकड़ में न्यून स्तर का है।

5—पायरिला कीट का नियंत्रण निम्न विधियों द्वारा किया जा रहा है :—

1—यांत्रिक विधि

2—रसायनिक विधि

3—जैविक विधि

यांत्रिक विधि के अन्तर्गत पायरिला कीट के अण्ड समूहों से युक्त पत्तियों को तोड़कर जला दिया जाता है।

रसायनिक विधि के अन्तर्गत विभिन्न कीट नाशकों द्वारा धूलीकरण स्थलीय विधि द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में कीट के नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर द्वारा संस्तुत कीट नाशकों का ही प्रयोग होता है। दिनांक 30 जून, 1987 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में 97,622 एकड़ क्षेत्रफल पायरिला कीट से प्रभावित हुआ जिसमें से 72,655 एकड़ क्षेत्रफल रसायनिक

एवं जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया जा चुका है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार रसायनिक विधि द्वारा 35,810 एकड़ क्षेत्र विभाग के माध्यम से नियंत्रित किया जा चुका है तथा अवशेष 36,845 एकड़ क्षेत्र किसानों द्वारा परजीवी द्वारा नियंत्रित हुआ है।

जैविक विधि के अन्तर्गत पायरिला कीट का नियंत्रण परजीवी द्वारा होता है। उक्त परजीवी जहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वहां पायरिला कीट का स्वत: नियंत्रण हो जाता है तथा ऐसे क्षेत्रों में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि कीट नाशकों से परजीवी के मर जाने की सम्भावना बनी रहती है। कीट के सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने प्रभावित क्षेत्रों में परजीवी की उपलब्धता बताते हुए प्राकृतिक जैविक विधि से नियंत्रण होने की सम्भावना व्यक्त की है।

6—पायरिला कीट के नियंत्रण हेतु टोलियों का गठन किया गया तथा विभिन्न श्रोतों से कृषि रक्षा उपकरण तथा कीट नाशकों की व्यवस्था भी की गयी है। वर्तमान में विभिन्न टोलियों द्वारा कृषि रक्षा उपकरणों का प्रयोग करके प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ कीटनाशकों का उपयुक्त मात्रा में सही विधि से प्रयोग तथा सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार करके किसानों को सही तकनीकी जानकारी दी जा रही है और उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। पायरिला कीट के नियंत्रण में होने वाला व्यय गन्ना विकास विभाग की दो योजनाओं के अन्तर्गत वहन किया जाता है। प्रथम, चीनी मिलों के 16 कि0 मी0 परिधि क्षेत्र में गन्ना विकास के सघनीकरण की योजना, जिसके अन्तर्गत होने वाले व्यय का 20% सहायक अनुदान के रूप में शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में पेड़ी गन्ना फसलों पर यूरिया के साथ कीटनाशक दवा के घोल का छिड़काव किया जाता है। दूसरी योजना के अन्तर्गत स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ना कीट का नियंत्रण किया जाता है और इस नियंत्रण में 25% सामान्य कृषकों के लिए तथा 33 1/3% अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

7—पायरिला कीट के नियंत्रण की समीक्षा भारत सरकार स्तर पर भी बराबर होती रही है तथा इस सम्बन्ध में नई दिल्ली में दिनांक 29 अप्रैल, 1987 तथा 26 जून, 1987 को बैठकें की गयीं जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी/विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। बैठक में कीट का प्रकोप भयावह नहीं बताया गया फिर भी विभाग द्वारा नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। माह जुलाई/अगस्त में पायरिला प्रकोप का सर्वेक्षण भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मिलित रूप से पुन: किया जायगा और भविष्य में स्थिति के अनुसार यथा-आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 119-120 पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न करने वाला कोई नहीं है।

श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा के बारे में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की दिनांक 30 अप्रैल, 1987 को हुयी गिरफ्तारी तथा दिनांक 4 मई, 1987 को जमानत पर हुयी रिहाई के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या 37, दिनांक 4 मई तथा बुलेटिन संख्या 39 दिनांक 15 मई, 1987 एवं सदन में दिनांक 22 जून, 1987 को दी गयी तत्सम्बन्धी सूचना के प्रसंग में जिला मैजिस्ट्रेट, जौनपुर के संदेश दिनांक 9 जुलाई, 1987 द्वारा यह अग्रेतर सूचना भेजी गयी है कि श्री राज बहादुर सिंह उक्त गिरफ्तारी के बाद अस्वस्थता के कारण जिला अस्पताल जौनपुर में भर्ती करा दिये गये थे, जेल नहीं भेजे गये थे और दिनांक 4 मई, 1987 को जमानत मंजूर होने पर उन्हें पुलिस अभिरक्षा से अस्पताल से ही मुक्त कर दिया गया था।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 4 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
16 जुलाई, 1987

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29(4) के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर]

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के पांचवें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री जनार्दन प्रसाद आभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर का संलग्नक ।

प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की मांगें

1–सहकारी समितियों के सचिवों को रु0 400-615 के वेतनमान पर अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा समस्त सुविधायें राजकीय कर्मचारियों की भांति देते हुए सेवाओं का सरकारीकरण किया जाय।

2–सहकारी समितियों में नियोजित आंकिक, विक्रेता, चपरासी एवं चौकीदार को न्यूनतम वेतनमान के अन्तर्गत वेतन दिया जाय।

3–सचिवों की सीधी भर्ती बन्द कर समिति के कर्मचारियों को सचिव पद पर पदोन्नत किया जाय तथा उनकी सेवाओं का कैडर बनाया जाय।

4–आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही से पूर्व विभागीय जांच करायी जाय एवं छीजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

5–कृषि, शिक्षा, पंचायत की भांति सहकारिता विभाग का अलग से निदेशालय बनाया जाय।

6–संग्रह शुल्क शाखा स्तर पर एक अलग खाते में रखा जाय जिसमें से सहकारी कुर्क अमीनों के पारिश्रमिक भुगतान के बाद अवशेष धनराशि समिति के विभिन्न देयकों में समायोजित कर दी जाय।

7–सहकारी समितियों द्वारा जिला सहकारी बैंक में जमा हिस्सों पर लाभांश दिया जाय।

8–बैंक एवं समिति के मध्य में ब्याज का अन्तर 5 प्रतिशत किया जाय।

———

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

सूची

विधान सभा के वर्तमान सत्र के 5वें गुरु हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0–62 का संलग्नक।

दिनांक 24-4-87 को प्रशासक, नगर महापालिका, बरेली को नगर महापालिका कर्मचारी संगठन बरेली द्वारा दिये गये मांग पत्र में अंकित मांगें।

1–कर्मचारियों की पेन्शन नियमावली महापालिका स्तर से लागू की जाये।

2–केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति नगर भत्ता दिया जाये।

3–संगठन के लिए कार्यालय कक्ष की व्यवस्था की जाये।

4–नकदीकरण के मामलों में 60 दिनों के स्थान पर 30 दिनों का अवकाश काटा जाय।

5–चयन समिति व्यवस्था समाप्त की जाये।

6–चुंगी चौकी का निर्माण शीघ्र किया जाये तथा पेयजल की व्यवस्था की जाये।

7–सेलेक्शन ग्रेड दिया जाये।

8–चुंगी चौकी से पूर्व स्पीड ब्रेकर लगाये जाये।

9–कार्यालय में जनरेटर की व्यवस्था की जाये।

10–स्थायीकरण के मामले निपटाये जाये।

11–नकदीकरण की कोई नीति न बनाई जाये बल्कि सभी को प्रदान किया जाये।

12–नगर महापालिका कर्मचारियों को जल मूल्य जलकर व गृह कर से मुक्त किया जाय ।

13–मेडिकल का भुगतान नगर महापालिका के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी की संस्तुति से किया जाये।

14–कार्यालय गेट पर रिसेप्शन कार्यालय खोला जाये।

15–अन्य कर्मचारियों की भांति चुंगी मोहर्रिरों को अवकाश दिये जायें।

16–कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाये।

17–जवाहर पार्क में बने तीन भवन अकेन्द्रियत कर्मचारियों को दिये जाये।

18–सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाये।

19–चुंगी कर्मचारियों को कन्वेन्स सुविधा दी जाये।

20–आवासीय कालोनियों का निर्माण कराया जाये।

21–सामूहिक बीमा योजना का भुगतान 20/- के हिसाब से दिया जाये।

22–फर्जी नाम से आये शिकायती पत्रों पर जांच न की जाये।

23–चुंगी मोहर्रिर के स्थानान्तरण चक्रीय पद्धति से न किया जाये।

24–विभागीय शौचालय व मूत्रालय ठीक कराये जाये।

25–जवाहर पार्क स्थित तालाब के किनारे काटेदार तार लगाये जाये व वहां असामाजिक तत्वों का जमाव समाप्त किया जाये।

26–निरीक्षकों के पद कर संग्रहकर्ताओं की पदोन्नति से भरे जाये।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

"बी" श्रेणी जलकल से "ए" श्रेणी जलकल में उच्चीकरण हेतु निर्धारित मानक

(1) जलकल प्रतिष्ठान वर्ष 1950 के बाद स्थापित किया गया हो और पूंजीगत परिव्यय 50 लाख रुपये से अधिक हो।

(2) जलकल प्रतिष्ठान से गत तीन वर्षों की कुल वार्षिक औसत आय 7.5 लाख रुपये से कम न हो।

(3) बिछी हुई पाइप लाइन की लम्बाई 50 मील से कम न हो।

(4) 9 हजार से कम पानी के कनेक्शन न हों।

(5) वर्ष में प्रतिदिन औसत दैनिक पानी की सप्लाई 10 मिलियन गैलन से कम न हो।

(6) जल वितरण करने वाले वाले क्षेत्र की जनसंख्या 2 लाख से कम न हो।

"सी" श्रेणी जलकल से "बी" श्रेणी जलकल में उच्चीकरण हेतु निर्धारित मानक

(1) जलकल प्रतिष्ठान वर्ष 1960 के बाद स्थापित किया गया हो और पूंजीगत परिव्यय 155 लाख रुपये से अधिक हो।

(2) जलकल प्रतिष्ठान से गत तीन वर्षों की कुल वार्षिक औसत आय 1.5 लाख रुपये से कम न हो।

(3) बिछी हुई पाइप लाइन की लम्बाई 15 मील से कम न हो।

(4) दो हजार से कम पानी के कनेक्शन न हों।

(5) वर्ष में प्रतिदिन औसत दैनिक पानी की सप्लाई एक मिलियन गैलन से कम न हो।

(6) जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 50 हजार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 15 हजार (स्थाई) तथा 30 हजार (ग्रीष्म कालीन मौसम) से कम न हो तथा

(7) सम्बन्धित नगरपालिका प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि जलकल प्रतिष्ठान के उच्चीकरण के लिए सम्बन्धित पालिका का प्रस्ताव निर्धारित सूचना के साथ आना चाहिए।

अवध पुस्तकालय सुल्तानपुर

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत डिमांस्ट्रेटर की सूची

क्रम-सं0	पदधारक का नाम	विषय, जिसमें अध्यापन करते हैं	नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री साद उस्मानी	मोआलेजात	15-5-80	अधिग्रहण के पूर्व से कायरत।
2	श्री मोहम्मद फारुख	बेसिक यूनानी साइंस।	27-7-55	तदैव
3	श्री मो0 शमीम अन्सारी	इलमुल अहलवाल	20-1-84	टेन्योर पद के विरुद्ध कार्यरत (श्री शमीम अन्सारी का कार्य-काल दिनांक 20-1-87 को तीन वर्ष का पूर्ण होने के पश्चात् समाप्त हो गया एवं दिनांक 13-2-87 से पुनः अग्रिम आदेश तक कार्य करने हेतु आदेश दिए गए हैं। नवीन नियुक्ति की जा रही है।)
4	श्री मेंहताब अली	फिजियोलजी	25-11-85	टेन्योर पद के विरुद्ध कार्यरत।
5	श्री मुहीउद्दीन सिद्दीकी	सैदला	23-7-86	तदैव
6	..	निसवां	..	रिक्त पद
7	..	तशरीह	..	रिक्त पद
8	श्री मो0 सलमान खां	बायोलाजी	7-12-70	अधिग्रहण के पूर्व से कार्यरत।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

दिनांक 3-7-1985 को सम्पन्न बैठक में आमंत्रित सदस्यों की सूची

क्रम-सं 0	सदस्य का नाम	पता
1	सर्वश्री रामपाल सिंह	ग्राम–रतुपुरा, तह 0 ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद ।
2	श्री हाफिज मो 0 सिद्दीकी	मो 0 लालबाग, मुरादाबाद ।
3	श्रीमती शान्ती देवी	ग्राम–मोहकमपुर, डा 0 खास, जिला बदायूं ।
4	श्री समरपाल सिंह	जिला सहकारी क्षेत्र, मुरादाबाद ।
5	श्री मोहम्मद हयात	मोहल्ला लकड़ा, अमरोहा
6	श्री कौशिक रमाशंकर	ग्राम–गजरौला, मुरादाबाद ।
7	श्री भगवान दास	ग्राम–बुराबली, डा 0 गंगवार ।
8	श्री शफीकुर रहमान बर्क	मो 0 दीपा सराय, सम्भल ।
9	श्री बृजेन्द्र पाल सिंह	ग्राम–फरीदपुर, खुशाल, तह 0 सम्भल (मुरादाबाद) ।
10	श्री फूल कुंवर	ग्राम–खाऊपुर, तह 0 बिलारी, मुरादाबाद ।
11	श्रीमती रीना कुमारी	रुस्तम नगर सहसपुर, बिलारी, मुरादाबाद ।
12	मो 0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां	ग्राम–बनपुरा, डा 0 चौधरपुर, तह 0 अमरोहा, मुरादाबाद ।
13	श्रीमती पुष्पा सिंघल	90, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।
14	मो 0 रिजवानुला खां	पीपल साना, मुरादाबाद ।
15	श्री सखावत हुसैन	ग्राम–सरीफनगर खास, जिला मुरादाबाद ।
16	श्रीमती इन्द्र मोहिनी	राजा का सहसपुर, बिलारी, मुरादबाद ।
17	डा 0 नैपाल सिंह	52, मालवीय नगर, मुरादाबाद ।
18	श्री केशव कुमार	नई बस्ती पंचपेड़ा, मुरादाबाद ।
19	श्रीमती कमला त्यागी	ग्राम–सिहाली जागीर, हसनपुर, मुरादाबाद ।
20	श्री के 0पी 0 मिश्रा	अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद ।
21	श्री बलराज	परियोजना निदेशक ।
22	डा 0 सोम प्रकाश	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद ।
23	डा 0 जे 0एन 0 गुप्ता	मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद ।
24	श्री एल 0के 0 सिंह	जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
25	श्री आर 0 के 0 राय	एसोसियेटेड डी 0आई 0ओ 0एस 0, मुरादाबाद ।
26	श्री के 0पी 0 श्रीवास्तव	श्रम कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद ।
27	श्री एस 0बी 0 डैनियल	अपर जिलाधिकारी (वित्त), मुरादाबाद ।
28	श्री मूल चन्द्र यादव	अपर जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
29	श्री देवशरण सिंह यादव	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद ।
30	श्री एस 0के 0 गुप्ता	अपर जिलाधिकारी (नगर) मुरादाबाद ।
31	श्री बी 0एन 0 अग्रवाल	जिला सूचनाधिकारी, मुरादाबाद ।
32	डा 0 जे 0एन 0 कश्यप	उप मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद ।
33	डा 0 एस 0एन 0 दत्ता	उप मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद ।
34	डा 0 पी 0एन 0 मेहरोत्रा	उप मु य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद ।

दिनांक 3-7-1985 को सम्पन्न बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1–श्री मो0 रिजवानुल खां, विधायक।
2–श्री शफीकुर्रहमान बर्क, विधायक।
3–श्री के0 बी0 मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, मुरादाबाद।
4–श्री बलराज सिंह, परियोजना निदेशक, मुरादाबाद।
5–डा0 सोम प्रकाश, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद।
6–श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी, जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
7–डा0 जे0 एन0 गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
8–श्री एल0 के0 सिंह, स्टाफ आफीसर, जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
9–श्री आर0 के0 राय, एसोसिएटेड डी0 आई0 ओ0 एस0, मुरादाबाद।
10–श्री के0 बी0 श्रीवास्तव, श्रम कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
11–श्री एस0 बी0 डैनियल, अपर जिला अधिकारी (वित्त), मुरादाबाद।
12–श्री मूलचन्द्र यादव, अपर जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
13–श्री देवशरण सिंह यादव, अपर जिला अधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद।
14–श्री एस0 के0 गुप्ता, अपर जिला अधिकारी (नगर), मुरादाबाद।
15–श्री बी0 एन0 अग्रवाल, जिला सूचना अधिकारी, मुरादाबाद।
16–श्री जे0 एन0 कश्यप, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
17–डा0 एस0 एन0 दत्ता, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
18–डा0 पी0 एन0 मेहरोत्रा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

सूची

दिनांक 20-4-87 को भारतीय जनता पार्टी रिक्शा चालक मोर्चा, बरेली द्वारा दिए गए ज्ञापन में अंकित बिन्दु

1—रिक्शा स्टैण्डों पर से अवैध कब्जे हटाये जायें।

2—रिक्शा स्टैण्डों की लम्बाई चौड़ाई से अवगत कराते हुए हदबन्दी की जाए ।

3—कोचवानी पर किराए की दरों को 40 प्रतिशत बढ़ाकर अंकित कराई जाए ।

4—समस्त स्कूलों पर रिक्शा स्टैण्ड व टिन शेड की व्यवस्था कर हैण्ड पाइप की व्यवस्था की जाए ।

5—निर्बल आय वर्ग के रिक्शा चालकों के लिए कालोनी नगर महापालिका द्वारा बनाई जाए तथा रिक्शा चालकों से आवास सुविधा देने हेतु 500 रु0 जमा करवाये जायं तथा सुविधा देने के पश्चात् 30 रु0 माहवार लिए जाएं ।

6—समस्त रिक्शा स्टैण्डों पर पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाए ।

7—नगर महापालिका की शहर के अन्दर पड़ी भूमि रिक्शा चालकों को लीज पर दिलवायी जाए ।

8—आबादी के हिसाब से 50 नए रिक्शा स्टैण्ड बनाए जाएं जिनमें से मा0 खाना चौराहा, पाकड़ के नीचे एवं इसलामिया गर्ल्स इण्टर कालेज के सामने रिक्शा स्टैण्ड अनिवार्य रूप से बनवाया जाये।

9—महानगर के कम से कम 25 रिक्शा स्टैण्डों पर टीन शैडों की व्यवस्था की जाए जिनमें से प्रेम नगर, धर्मकाटा, हार्ट मैन रिक्शा स्टैण्ड हरिजन कालोनी, माधव पाड़ी, लोहाडापीर सब्जी मण्डी, कुमार टाकीज, रोडवेज कचहरी, इम्पीरियल टाकीज, प्रसाद टाकीज पर टिन शेड अनिवार्य हैं ।

10—नगर महापालिका से चलने वाली प्राइमरी पाठशालाओं को साफ सुथरा रखना, अच्छे फर्नीचर व इंगलिश की अध्यापक की व्यवस्था करना ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पांचवें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री शिव नारायण मिश्र द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर का संलग्नक।

प्रश्नगत समितियों द्वारा वर्ष 85–86 में वितरित अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण का विवरण—

समिति का नाम	मध्यकालीन ऋण		अल्प कालीन ऋण	
	सं0	धनराशि रु0	सं0	धनराशि रु0
1 साधन सहकारी समिति लि0, राजपुर।	10	21,650	41	65,166
2 साधन सहकारी समिति लि0, प्रतापपुर कमेचा।	67	66,851.80	65	41,240.60
3—साधन सहकारी समिति लि0, मरछे।	..	..	..	..
4—साधन सहकारी समिति लि0, चितावनपुर।	7	16,288	4	2,718.10
5—साधन सहकारी समिति लि0, कोथराकला।	34	75,569	38	70,780.55
योग	118	180,358.80	148	179,905.25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

श्री भगवती प्रसाद चौधरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–131 का संलग्नक

परिशिष्ट "क"

क्रम-सं0	संवर्ग का पदनाम वेतनमान	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अग्रणीत पदों की संख्या	अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित अग्रणीत पदों की संख्या
1	2	3	4
	प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पुरुष)		
	1—सीनियर स्केल वेतनमान रु0 1250–2050	145	5
	2—स्पेशल ग्रेड वेतनमान रु0 1840–2400	21	2
	3—संयुक्त निदेशक वेतनमान रु0 2050–2500	8	1
	4—अपर निदेशक वेतनमान रु0 2400–2700	2	..
	प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (महिला)		
	1—सीनियर स्केल वेतनमान रु0 1250–2050	30	2
	2—स्पेशल ग्रेड वेतनमान रु0 1840–2400	4	..
	3—संयुक्त निदेशक वेतनमान रु0 2050–2500	3	..
	4—अपर निदेशक वेतनमान रु0 2400–2700	..	..

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 108 पर)

पायरिला प्रभावित गन्ना क्षेत्रफल एवं नियंत्रित क्षेत्र की स्थिति बावत माह जून, 1987 (30-6-87 तक)

क्रमांक	नाम जिला	गन्ना क्षेत्रफल (एकड़)	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)		नियंत्रित क्षेत्र
			मध्यम एवं उच्च	कुल न्यून को मिलाकर (एकड़)	
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	3,74,249	1284	24,877	18,118
2	गाजियाबाद	1,36,206	329	1,929	764
3	बुलन्दशहर	82,521	..	6,670	5,741
4	मुजफ्फरनगर	4,00,111	1287	1,287	15
5	सहारनपुर	3,43,443	106	933	933
6	अलीगढ़	34,260	100	1,381	374
7	देहरादून	13,125	..	..	पायरिला
8	मथुरा	37,393	100	100	..
9	बिजनौर	3,43,381	3	6,750	4,361
10	मुरादाबाद	2,82,304	..	750	750
11	रामपुर	70,774	..	1,927	1,250
12	नैनीताल	1,63,412	3137	15,419	14,270
13	बरेली	1,31,547	..	797	785
14	बदायूं	46,417	4000	10,000	5,000
15	एटा	18,807	..	655	655
16	शाहजहांपुर	69,917	..	1,729	1,363
17	पीलीभीत	1,16,710	30	222	222
18	फर्रुखाबाद	29,650	..	650	480
19	लखीमपुर खीरी	3,95,126	116	534	326
20	सीतापुर	1,95,556	1137	1147	1021
21	हरदोई	89,072	5	40	35

उत्तर प्रदेश संसदीय

1	2	3	4	5	6
22	बाराबंकी	53,946	22	606	506
23	फैजाबाद	35,883	..	134	123
24	गोण्डा	77,231	1266	2588	2578
25	बहराइच	37,838	..	134	123
26	रायबरेली	11,643	..	194	123
27	जौनपुर	24,242	67	67	67
28	सुल्तानपुर	21,687	सूचना अप्राप्त		
29	आजमगढ़	57,477	12	1337	1253
30	गाजीपुर	28,352	..	111	85
31	बलिया	28,889	..	7250	50
32	वाराणसी	23,495	..	9	9
33	बस्ती	65,878	1596	2171	2164
34	गोरखपुर	63,621	300	1262	231
35	देवरिया	68,848	309	2448	2419
36	पडरौना	1,71,517	..	8814	6431
	कुल योग	41,00,617	15,886	97,622	72,65 5

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 184 वि0 सभा (329)-1987-813 ।,